सामाजिक समाघात आकलन (एस.आईए.) अध्ययन

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) निर्माण परियोजना

तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016)

(Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 & Rajasthan Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Rules, 2016)

अंतिम प्रतिवेदन (Final Report)

प्रस्तुतः

शासन उप सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

राजस्थान सरकार

एस.आई.ए.एजेन्सी :

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज (सीडेक्स),जयपुर

133, नन्नू मार्ग, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला,जयपुर, राजस्थान

सम्पर्क सूत्रः 0141-2294988, 9950124028

Email ID: cdecsjpr@yahoo.in, cdecsjpr@gmail.com

सामाजिक समाघात आकलन (एस.आईए.) अध्ययन

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) निर्माण परियोजना
तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016)

(Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 & Rajasthan Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Rules, 2016)

अंतिम प्रतिवेदन **(Final Report)**

प्रस्तुतः

शासन उप सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग
राजस्थान सरकार

एस.आई.ए.एजेन्सी :

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज (सीडेक्स),जयपुर

133, नन्नू मार्ग, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान

सम्पर्क सूत्रः 0141–2294988, 9950124028

Email ID: cdecsjpr@yahoo.in, cdecsjpr@gmail.com

आमुख

राजस्थान राज्य के औद्योगिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हों। औद्योगिक विकास केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक उन्नति का भी प्रमुख साधन है। उद्योगों विकास एवं विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) का नियोजित विकास किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, रेल लाइन, विद्युत, जल आपूर्ति, सीवरेज, संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास आवश्यक है। सड़क और रेल संपर्क बेहतर होने से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के विपणन में सुविधा होती है, जिससे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ती है। दूसरी ओर, औद्योगिक विकास का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करता है। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर बेहतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की समुचित पहचान और मूल्यांकन किया जाए। इसके अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (Rehabilitation & Resettlement) की प्रभावी नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इसी उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment–SIA) को एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है।

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) औद्योगीकरण, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और बढ़ते शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवार, गांव व क्षेत्र का किया जाता है। इस अध्ययन के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि क्षेत्र में रह रहे परिवार एवं जनसंख्या पर विकास कार्य के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू (प्रभाव) क्या हैं। यह भी अध्ययन किया जाता है कि इस भूमि अवाप्ति से भू–स्वामियों/खातेदारों पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार के होंगे। एस.आई.ए. अध्ययन के अन्तर्गत अधिग्रहण से प्रभावित भू–स्वामियों/ खातेदारों की भागीदारी एवं उनसे चर्चाएँ कर उन पर पड़ने वाले सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव तथा भूमि अवाप्ति को लेकर उनके विचार जानने के प्रयास किये जाते हैं। नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सके या उनको समय पर ही कम किया जा सके। एस.आई.ए. अध्ययन के दौरान ग्राम बैठकों के माध्यम से स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधि एवं सामुदायिक प्रतिनिधि के सुझाव एवं राय जानने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन से प्राप्त सूचनाएँ एवं सुझाव प्रभावित परिवारों के लिए राहत या शमन योजना बनाने में सहायता प्रदान करते हैं।

सामाजिक समाघात आकलन (एस.आई.ए) अध्ययन ऐसे सुधारों को बढ़ावा देता है, जो प्रभावित परिवारों के बेहतर विकास एवं आधारभूत सुविधाओं का किया जाता है ताकि क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को पहले की तरह पुनः बहाल किया जा सके। एस.आई.ए के द्वारा यह अध्ययन किया जाता है कि विकास परियोजनाओं के निर्माण के पहले, निर्माण के दौरान व निर्माण के पश्चात् विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों क्या होंगे। सामाजिक समाघात शमन योजना (SIMP) बनाकर प्रभावित लोगों के लिए समाघात निवारण योजना एस.आई.ए. अध्ययन के पश्चात् बनाई जाती है ताकि प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले की तरह पुनः बहाल हो सके। सामाजिक प्रभाव का आकलन के द्वारा विभाग को बेहतर योजना बनाने, और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने और उचित पैमाने पर कार्य करने हेतु पहल करने में सहायता करता है एवं उनमें स्थानीय जनता/लोगों की भी सहमति होती है। डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव की भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

किसी भी गांव या क्षेत्र के विकास में ढ़ांचागत विकास की अहम भूमिका होती है। 'गति शक्ति' नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेल, सड़क और बंदरगाहों को एक साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया जिसमें सलारपुर टर्मिनल इसी नीति का हिस्सा है। सलारपुर एक ड्राई पोर्ट के रुप में विकसित किया जा रहा है जोकि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से नजदीक है। सरकार का प्रस्तावित ड्राईपोर्ट के माध्यम से व्यापारियों एवं उद्योगों को आयात निर्यात के क्षेत्र में माल की ढुलाई हेतु बेहतर एवं उत्कृष्ट सेवाएं देना हैं। एक अच्छा ''इन्फ्रास्ट्रक्चर'' क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है एवं उनकी सुरक्षा व संरक्षण के लिए प्रशासन की उपस्थिति तथा सेवाएँ अनुकूल हो ताकि भयमुक्त व सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जा सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) द्वारा क्रियान्वित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) भारत सरकार की एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में माल परिवहन को तेज़, सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण–अनुकूल बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत केवल मालगाड़ियों के लिए पृथक रेल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, ताकि यात्री और माल परिवहन को अलग–अलग संचालित किया जा सके।

एस.आई.ए. की अवधारणा को प्रस्तुत करने का उद्देश्य नए विकासात्मक उपायों और समाज पर उनके संभावित प्रभावों को सहभागी तरीके से पता लगाना एवं उसे प्रभावित आबादी से साझा करना है। एस.आई.ए. का मुख्य लक्ष्य सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना और नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। यह अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी व्यक्ति की भूमि/संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसे बाजार की शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसे पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस प्रकार पुनर्वासित किया जाना चाहिए कि उसकी आय में वृद्धि हो और जीवन स्तर बेहतर हो।

RFCTLARR Act, 2013, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन संस्थानों और ग्राम सभाओं के परामर्श से, औद्योगीकरण, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसमें भू–स्वामियों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम असुविधा हो, और उन प्रभावित परिवारों को उचित और न्यायसंगत मुआवजा प्रदान करता है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है या अधिग्रहण प्रस्तावित है या जो ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित हैं, और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान करता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act 2013) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अध्याय III के नियम 6 और 7 के अनुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारित मूल्यांकन का संचालन करना है, जो विभाग द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नियम, 2016 में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार है। राजस्व विभाग (राजस्थान सरकार) का पत्रांक No. F. 1(3) Rev. 6/2011/pt./02 dated 12/01/2016. द्वारा इसे लागू किया गया है।

शासन उप सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एस.आई.ए कार्य के लिए सेंटर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज, (सीडेक्स) को उत्तरदायित्व दिया है। संस्था द्वारा एस.आई.ए. का कार्य पूर्ण विधा से कर ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर ग्राम सलारपुर, ग्राम पंचायत सलारपुर में उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा जिला खैरथल–तिजारा की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव/राय/मांगों को शामिल करते हुये अंतिम प्रतिवेदन (Final Report) तैयार किया गया है। यह अंतिम प्रतिवेदन प्रभावित परिवारों पर होने वाले सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन का वर्णन है ताकि प्रभावित खातेदारों को योजनाबद्ध तरीके से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 (RRFCTLARR Rule, 2016) के दिशा निर्देशों अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सके व उचित मुआवजा मिल सके।

20 मई, 2026

डॉ. अल्पना सिंह
एस.आई.ए., विशेषज्ञ

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	आमुख	3-4
	विषय सूची	5-7
	तालिकाओं की सूची	8-9
1.	कार्यकारी सारांश 1.1 पृष्ठभूमि 1.2 परियोजना का लक्ष्य 1.3 भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य 1.4 परियोजना का उद्देश्य 1.5 परियोजना के लाभ 1.6 परियोजना के तहत भू–अवाप्ति से भू–स्वामियों को सम्भावित हानि 1.7 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के उद्देश्य 1.8 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन की पद्धति/विधियां 1.9 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन से प्राप्त जानकारी निष्कर्ष 1.10 अनुकल्पों पर विचार	10-18
2.	परियोजना विवरण 2.1 परियोजना की पृष्ठभूमि 2.2 परियोजना विवरण 1. परिचय 2. परियोजना क्षेत्र/स्थान 3. तकनीकी विवरण 4. परियोजना का लक्ष्य 5. प्रभावित भू–स्वामियों से चर्चा 2.3 शमन योजना प्रक्रिया एवं प्रबन्धन 2.4 अध्ययन का उद्देश्य 2.5 सामाजिक समाघात आकलन की अध्ययन प्रक्रिया	19-26

	2.6 अध्ययन क्षेत्र 2.7 परियोजना और सामाजिक समाघात आकलन 2.8 अनुकल्पों पर विचार 2.9 कानून और नीतियॉं	
3.	टीम की संरचना, दृष्टिकोण, विधियां 3.1 टीम का गठन, दृष्टिकोण एवं विधि 3.2 जानकारी एकत्रीकरण की प्रक्रिया (क) परिचय सत्र (ख) खुला संवाद एवं सुझाव सत्र (ग) परियोजना क्रियान्वयन पर जनमत (घ) भू–स्वामी/किसान और ग्रामीणों की भागीदारी एवं भूमिका 3.3 एस.आई.ए. एजेन्सी का चयन 3.4 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन 3.5 एस.आई.ए. के लिए जानकारी संग्रहण करने के लिए उपयोगी टूल 3.6 समाघात प्रभाव आकलन विधाएॅं/तरीके 3.7 अध्ययन की सीमाएॅं 3.8 सर्वेक्षण पद्धति 3.9 एस.आई.ए. अनुसूची	27-38
4.	भूमि का आकलन (**Land Assessment**) 4.1 भूमि की आवश्यकता और वर्तमान उपयोग 4.2 भूमि का आकलन	39-43
5.	प्रभावित परिवारों एवं परिसम्पत्तियों का आकलन 5.1 प्रभावित परिवारों के विवरण 5.2 एस.आई.ए. के तहत परिवार सर्वेक्षण	44-47
6.	प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति 6.1 राजनीतिक संगठन 6.2 समुदाय आधारित या सिविल सोसायटी संगठन 6.3 स्थानीय आर्थिक गतिविधियॉं 6.4 सामाजिक स्थिति 6.5 सांस्कृतिक गतिविधियॉं	48-57

	6.6 पर्यावरण की गुणवत्ता 6.7 परियोजना गांव की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा	
7.	सामाजिक समाघात आकलन 7.1 परिचय 7.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव	58-60
8.	अधिग्रहण पर लाभ और सिफारिश 8.1 परियोजना पृष्ठभूमि 8.2 प्रस्तावित भूमि अवाप्ति के कारण परिवार पर पड़ने वाले सामाजिक व आर्थिक भार 8.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	61-64
9.	सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) 9.1 दृष्टिकोण 9.2 प्रभाव से बचने, प्रतिकर करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय	65-71
10.	जन सुनवाई प्रतिवेदन	72-82
	संलग्नक	83
	(क) एस.आई.ए. प्रक्रिया छायाचित्र	84-85
	(ख) एस.आई.ए. बैठक कार्यवाही	86-90
	प्रपत्र–1 प्रभावित भू–स्वामियों की सूची	91-94
	प्रपत्र–2 संरचना विस्थापित परिवार की सूची	95
	प्रपत्र–3 प्रभावित व्यापार / धन्धे के परिवार की सूची	96
	प्रपत्र–4 भूमिहीन परिवारों की सूची	97
	प्रपत्र–5 विस्थापित अनुसूचित जाति परिवारों की सूची	98
	प्रपत्र–6 प्रभावित क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवाओं की सूची	99
	प्रपत्र–7 प्रभावित क्षेत्र में दिव्यांग की सूची	100
	प्रपत्र–8 प्रभावित क्षेत्र में विधवाओं की सूची	101
	(ग) पी.आर.ए. गतिविधि रिपोर्ट	102-111
	(घ) धारा – 4 (1)	112
	(ङ) कार्यालय आदेश (Office Order)	113

तालिकाओं की सूची

तालिका न.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	प्रभावित भूमि अवाप्ति का विस्तृत विवरण	17
1.2	ग्रामवार परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों का विवरण	17
2.1	परियोजना प्रभावित गांव की स्थिति	21
2.2	गांव का जनसंख्या प्रारुप (जनगणना 2011 के अनुसार)	24
3.1	निजी भू–अवाप्ति की तीव्रता प्रभाव का वर्गीकरण	36
3.2	भू–अवाप्ति से प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव	36
3.3	ग्राम स्तर पर एस.आई.ए. अन्तर्गत गतिविधियों की अनुसूची	38
4.1	परियोजना प्रभावित गांव की भूमि का विवरण	39
4.2	भूमि का आकलन	40
5.1	परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण	44
5.2	वैवाहिक स्थिति	45
5.3	शैक्षिक स्तर	45
5.4	रोजगार की स्थिति	45
5.5	मुख्य व्यवसाय	45
5.6	आयु के अनुसार वर्गीकरण	45
5.7	सामाजिक समूह के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण	46
5.8	आय की स्थिति	46
5.9	पशुधन विवरण	47
5.10	अन्य परिसम्पत्तियों का विवरण	47
6.1	प्रभावित गांव का कोड	52
6.2	प्रभावित गांव का भौगोलिक क्षेत्रफल	52
6.3	प्रभावित गांव में कुल घर	52
6.4	प्रभावित गांव की कुल जनसंख्या	52
6.5	प्रभावित गांव में अनुसूचित जाति परिवार	52
6.6	प्रभावित गांव की साक्षरता दर (प्रतिशत में)	52
6.7	प्रभावित गांव में (0–6 वर्ष) के बच्चों की संख्या	52
6.8	प्रभावित गांव में काम करने वाले की संख्या	52
6.9	गांव की स्थिति	52
6.10	गांव की अवस्थिति	53
6.11	आर्थिक संस्थाओं की दूरी	53
6.12	सामाजिक / धार्मिक / सांस्कृतिक संस्थाओं की उपलब्धता	53

तालिका न.	विवरण	पृष्ठ संख्या
6.13	राजनैतिक/प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की दूरी	54
6.14	शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता (सरकारी)	54
6.15	स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी	54
6.16	गांव में पेयजल स्रोतों की स्थिति	55
6.17	सिंचाई के स्रोत की स्थिति	55
6.18	कृषि में बोयी जाने वाली फसलें	55
6.19	परिवहन के साधन	56
6.20	परिसंपतियों की संख्या	56
6.21	गांव में पशुओं का विवरण	56
6.22	स्थानीय जनप्रतिनिधियों/सरकारी कर्मचारी का विवरण	56
6.23	पलायन की स्थिति	57
7.1	परियोजना के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का आकलन	60
8.1	परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव	62
8.2	संभावित प्रभावों की सूची	62
9.1	विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण और उनके प्रस्तावित उपाय	67

अध्याय –1
कार्यकारी सारांश

1.1 पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से भारतीय रेलवे के उन्हीं ट्रैक पर यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों चलती थीं। इससे मालगाड़ियों को अक्सर साइड में खड़ा कर दिया जाता था, जिससे सामान पहुँचने में हफ़्तों लग जाते थे। दशकों से भारतीय रेलवे की एक बड़ी समस्या यह थी कि यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियाँ एक ही पटरी पर चलती थीं। चूंकि प्राथमिकता यात्री ट्रेनों को दी जाती थी, इसलिए मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किमी/घंटा तक सीमित रह गई थी। इसी बाधा को दूर करने और माल ढुलाई को तेज़ व सस्ता बनाने के लिए Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) का गठन किया गया। माल ढुलाई को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (DFC) की योजना बनाई। 'गति शक्ति' नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेल, सड़क और बंदरगाहों को एक साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया जिसमें सलारपुर टर्मिनल इसी नीति का हिस्सा है। सलारपुर एक ड्राई पोर्ट के रुप में विकसित किया जा रहा है जोकि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से नजदीक है। सरकार का प्रस्तावित ड्राईपोर्ट के माध्यम से व्यापारियों एवं उद्योगों को आयात निर्यात के क्षेत्र में माल की ढुलाई हेतु बेहतर एवं उत्कृष्ट सेवाएं देना हैं।

इस टर्मिनल निर्माण का उद्देश्य लॉजिस्टिक की कुल लागत को घटाना हैं और यह तभी सफल हो पायेगा जब नये इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं उसका सही उपयोग किया जायेगा। अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो कंटेनरों के आवागमन की दक्षता तभी महत्तम हो पायेगी जब बंदरगाहों से निकले हुए ट्रैफिक का एकत्रीकरण एक स्ट्रेटेजिक स्थान पर हो और उसके बाद आगे अनुकूल वितरण हो। टर्मिनल के निर्माण के लिए रणनीति स्वरुप इस स्ट्रेटेजिक स्थान का चयन किया गया है। यह स्थान न केवल बंदरगाहों के कंटेनरों को शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला एवं आस–पास के क्षेत्र के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करेगा एवं क्षेत्र में

रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। यह परियोजना भारत में कंटेनरीकृत कार्गो के लिए बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आंतरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एकीकरण के लिए एक मंच का कार्य करेगा तथा 24 घंटे सेवा–आम तौर पर मिल सकेगी। प्रस्तावित परियोजना ''डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर'' के अन्तर्गत औद्योगिक विकास कि लिए रेल कार्गोस हेतु टर्मिनल निर्माण में नेटवर्क की स्थापना को ध्यान में रखते हुए सही स्थान का चयन मूल उद्देश्य है। क्षेत्र की जरुरत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल निर्माण करना अतिआवश्यक है।

गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) भारत के परिवहन इतिहास की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी परियोजनाओं में से एक है। यह केवल एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

1.2 परियोजना का लक्ष्य

प्रस्तावित परियोजना ''डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर'' के निर्माण कार्य से भविष्य में मालवाहक सुविधाओं का विस्तार और लॉजिस्टिक सेवा आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना है। आस–पास के जिला एवं क्षेत्र के व्यापार एवं उद्योगों को उच्च स्तर की लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करेगा एवं प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन अनवरत बिना किसी व्यवधान के किया जा सकेगा। परियोजना का मुख्य लक्ष्य भारत के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास में तेजी लाना और लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost) को कम करना है। गति शक्ति' नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेल, सड़क और बंदरगाहों को एक साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। प्रस्तावित परियोजना सलारपुर टर्मिनल निर्माण भी इस नीति का हिस्सा है।

1.3 भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य

सलारपुर गांव में भूमि अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) से जोड़कर एक अत्याधुनिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इस अधिग्रहण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) की स्थापना**: सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे के 'गति शक्ति' मिशन के तहत एक मल्टी–मोडल कार्गो टर्मिनल विकसित करना, ताकि माल सीधे रेल कॉरिडोर से लोडिंग–अनलोडिंग हो सके।
- **लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी**: निजी भूमि का अधिग्रहण मुख्य रूप से DFC ट्रैक से सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र तक रेल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जायेगा।
- **निवेश और रोजगार**: सलारपुर को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना ताकि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जा सके और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ें।
- **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी**: पारम्परिक माल ढुलाई की तुलना में, डीएफसी (DFC) पर चलने वाली मालगाड़ियाँ लंबी (1.5 किमी) और डबल–स्टैक (दो मंजिला) हैं, जो भारी माल कम लागत में ले जा सकती हैं।

- **तेज़ आवाजाही (स्पीड)**: वर्तमान में मालगाड़ियों की गति कम है। डीएफसी के माध्यम से माल की ढुलाई 70–75 किमी प्रति घंटा की औसत गति से हो सकेगी, जिससे माल वाहन का समय कम होगा।
- **भिवाड़ी–नीमराना क्षेत्र को कनेक्टिविटी**: सलारपुर में डीएफसी के साथ–साथ एक 'लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी' (Cargo Terminal) स्थापित करने का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण उद्योगों को सीधे हाई–स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ना है।
- **मल्टीमोडल कनेक्टिविटी (Gati Shakti)**: पीएम गति शक्ति के अंतर्गत, इस टर्मिनल का उद्देश्य सड़क, रेल और बंदरगाह लॉजिस्टिक्स को एकीकृत करना है, जिससे उद्योगों को अपना कच्चा माल (raw material) लाने और तैयार माल भेजने में आसानी हो। टर्मिनल सलारपुर को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब बनाने की दृष्टि से विकसित किया जायेगा।
- **औद्योगिक विकास और निर्यात**: यह क्षेत्र दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। यहाँ से उत्पाद सीधे मुंबई बंदरगाह (JNPT) तक जल्दी पहुँचेंगे, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी।
- **ट्रैफिक कम करना**: मुख्य रेलवे लाइनों से मालगाड़ियों का बोझ कम करके, पैसेंजर ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है।
- **समर्पित मालवाहक रेल लाइन का निर्माण** : भारी और लंबी दूरी के माल परिवहन हेतु अलग रेल ट्रैक विकसित करना, ताकि यात्री रेल सेवाओं से टकराव न हो और परिवहन अधिक कुशल बने।
- **माल परिवहन की क्षमता और गति में वृद्धि** : उच्च धुरी–भार, लंबे रेक और तेज़ परिचालन से माल परिवहन की लागत व समय में कमी।
- **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और आर्थिक विकास** : औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक पार्कों और खनन क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर व्यापार, निवेश और रोज़गार को बढ़ावा।
- **सड़क यातायात का भार कम करना** : माल को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित कर सड़क दुर्घटनाओं, जाम, ईंधन खपत और प्रदूषण में कमी।
- **पर्यावरणीय लाभ** : रेल आधारित माल परिवहन से कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा दक्षता में सुधार। इसके अतिरिक्ति सड़क परिवहन पर निर्भरता घटाकर ईंधन खपत, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी होगी।
- **सुरक्षा एवं परिचालन दक्षता** : ग्रेड सेपरेशन (ओवरब्रिज/अंडरब्रिज), आधुनिक सिग्नलिंग, यार्ड, लूप लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन आदि अवसंरचनाओं का विकास।
- **भविष्य की परिवहन मांग की पूर्ति** : दीर्घकालीन माल परिवहन मांग को ध्यान में रखते हुए स्केलेबल और टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण।

1.4 परियोजना के उद्देश्य

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor – DFC) का मुख्य उद्देश्य माल परिवहन (Freight Transport) को तेज़, सुरक्षित, विश्वसनीय और लागत–प्रभावी बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- **मालगाड़ियों के लिए अलग रेल मार्ग** : यात्री और मालगाड़ियों के मिश्रित परिचालन को अलग कर मालगाड़ियों के लिए विशेष रेल कॉरिडोर विकसित करना।
- **परिवहन क्षमता और गति में वृद्धि** : भारी और लंबी मालगाड़ियों का संचालन कर माल परिवहन की गति, समयपालन और वहन क्षमता बढ़ाना।
- **लॉजिस्टिक्स लागत में कमी** : उद्योगों, व्यापार और कृषि उत्पादों की ढुलाई सस्ती और अधिक कुशल बनाना। लॉजिस्टिक्स लागत को वर्तमान के 14–16% से घटाकर 8–9% पर लाना, ताकि तैयार सामान देश–विदेशों में सस्ता हो सके।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा** : औद्योगिक क्लस्टर, बंदरगाहों, खनन क्षेत्रों और लॉजिस्टिक हब को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- **मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर दबाव कम करना** : यात्री ट्रेनों के लिए क्षमता मुक्त करना, जिससे उनकी समयबद्धता और सेवा गुणवत्ता सुधरे।
- **पर्यावरणीय लाभः** सड़क परिवहन पर निर्भरता घटाकर ईंधन खपत, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी होगी।
- **आधुनिक तकनीक और सुरक्षाः** उन्नत सिग्नलिंग, ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन और बेहतर ट्रैक मानकों के माध्यम से सुरक्षित संचालन।
- **कंटेनर क्षमता बढ़ानाः** ताकि एक साथ सैकड़ों कंटेनरों को लोड/अनलोड किया जा सके।
- **डोर–टू–डोर कनेक्टिविटीः** फैक्ट्री से रेलवे टर्मिनल और फिर सीधे पोर्ट तक एक सुव्यवस्थित चैन बनाना।

1.5 परियोजना के लाभ

गति शक्ति टर्मिनल और औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के कारण सलारपुर एवं आस–पास के क्षेत्र में आने वाले समय में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और परिवहन क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भिवाड़ी के सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में गति शक्ति मल्टी–मोडल कार्गो टर्मिनल (GCT) और DFC के आने से न केवल स्थानीय उद्योगों को, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ होंगे। इसके प्रमुख लाभ और क्षेत्र पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को नीचे दिए गए बिंदुओं से समझा जा सकता हैः

1. उद्योगों के लिए लाभ

- **कम लॉजिस्टिक्स लागतः** वर्तमान में फैक्ट्रियों से माल बंदरगाहों (Ports) तक भेजने के लिए ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रेन के जरिए थोक में माल भेजने से परिवहन लागत में 20% से 30% तक की कमी आ सकती है।
- **समय की बचतः** DFC (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) पर मालगाड़ियाँ 70–100 किमी/घंटा की गति से चलती हैं। इससे माल की डिलीवरी का समय आधा रह जाएगा।

- **सीधी पोर्ट कनेक्टिविटी**: भिवाड़ी का माल सीधे मुंद्रा और कांडला (गुजरात) या JNPT (मुंबई) बंदरगाहों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सकेगा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

2. क्षेत्रीय विकास (Regional Impact)

- **नया निवेश**: बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा देखकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां (MNCs) भिवाड़ी और सालारपुर क्षेत्र में अपनी इकाइयाँ लगाने के लिए आकर्षित होंगी।
- **रियल एस्टेट में उछाल**: औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में गोदामों (Warehousing), कमर्शियल स्पेस और आवासीय कॉलोनियों की मांग बढ़ेगी।
- **रोजगार के अवसर**: टर्मिनल के संचालन, माल की लोडिंग–अनलोडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

4. स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **छोट और मझोले उद्योग** (MSMEs): सलारपुर और भिवाड़ी के छोटे उद्योगों को अपना माल देश के दूसरे कोनों (जैसे दक्षिण या पूर्वी भारत) में भेजने के लिए सस्ता विकल्प मिलेगा।
- **राजस्व में वृद्धि**: इस कॉरिडोर के सक्रिय होने से राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन को टैक्स और लेवी के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग क्षेत्र की सड़कों और बिजली व्यवस्था को सुधारने में किया जा सकता है।

1.6 परियोजना के तहत भू–अवाप्ति से भू–स्वामियों को सम्भावित हानि

- परियोजना निर्माण कार्य हेतु किसानों की प्रस्तावित भूमि अवाप्ति से भूमि की मात्रा में कमी आना।
- कुछ समय के लिए आजीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
- परियोजना निर्माण कार्य के लिए अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से उनकी भूमि की मात्रा में कमी आने से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आना।
- भूमि अधिग्रहण से भूमि की जोतों में कमी आने से प्रभावित किसानों की आय एवं आजीविका भी प्रभावित होगी।
- भूमि अधिग्रहण से कभी–कभी ऐसा भी होता है कि जिनके पास भूमि/जोत कम है उनके लिए आर्थिक नुकसान के साथ पूर्व स्थिति में बहाल होना चुनौती के रुप में रहता है।
- इस क्षेत्र में भूमि की गुणवत्ता बहुत अच्छी है जिससे फसल उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। गांव के फसल उत्पादन में गेहूँ, सरसों, जौ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, तिल, मोठ एवं ग्वार तथा सब्जियां आदि की पैदावार करते हैं। भूमि अवाप्ति से जमीन की मात्रा में भी कमी आयेगी जिससे क्षेत्र में फसल उत्पादन प्रभावित होगा।

1.7 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के उद्‌देश्य

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अध्याय III के नियम 6 और 7 के अनुसार सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन का संचालन करना है, जो विभाग द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नियम, 2016 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार है। राजस्व विभाग

(राजस्थान सरकार) का पत्रांक No. F. 1(3) Rev. 6/2011/pt./02 dated 12/01/2016. द्वारा इसे लागू किया गया है।

(i) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(ii) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार–प्रसार के पश्चात् जन सुनवाई करना। जन सुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार–विमर्शो को लेखबद्ध करना।

(iii) प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकापार्जन पर होने वाले प्रभावों एवं उचित मुआवजे का आकलन करना।

(iv) प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

(v) प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

(vi) प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आकलन करना तथा उनके जीविकापार्जन के वर्तमान साधनों को ज्ञात करना।

(vii) प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सड़क मार्ग, सार्वजनिक एवं निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाईयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मंदिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आकलन करना।

(viii) इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

1.8 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन की पद्धति / विधियां

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) में क्रॉस सेक्शनल अध्ययन डिजाईन लागू किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर मिश्रित विधि का उपयोग किया गया है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) में गुणात्मक एवं संख्यात्मक अनुसंधान विधि दोनों को शामिल है। अध्ययन का समग्र डिजाइन और ढ़ांचा आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) एवं आर.आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. नियम, 2016 **(**RRFCTLARR Rule, 2016**)** द्वारा निर्देशित किया गया है एवं सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) इकाई के तकनीकी मार्गदर्शन में विकसित और निष्पादित करना है।

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) के लिए जानकारी संग्रहण करने के लिए उपयोगी टूल प्राथमिक और द्वितीयक (सैकेन्डरी) स्तर के आंकड़ों पर निर्भर करता है।

द्वितीयक (सैकेन्डरी) स्रोत

- सरकारी /जनगणना डेटा (2011)
- भूमि लेनदेन के रिकॉर्ड सहित भूमि रिकॉर्ड

- जिला गजेट्र्स
- अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड

प्राथमिक डेटा/आंकड़ा संग्रह विधियों में शामिल है।

I. प्रस्तावित परियोजना में प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों का सूचीकरण एवं उनका पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण।

II. अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों से चर्चाएँ/साक्षात्कार कर सूचना संकलन करना।

III. प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित गांव के निवासियों से भिन्न–भिन्न समूहों में चर्चाएँ कर परियोजना के प्रभावों की जानकारी लेना एवं लिपिबद्ध करना।

IV. परियोजना क्षेत्र में प्रभावित लोगों के साथ पी.आर.ए. (इतिहास, सामाजिक और संसाधन मानचित्रण, चपाती चित्रण एवं मौसमी कैलेन्डर) के माध्यम से ग्रामवासियों की भागीदारी को बढ़ाना एवं गांव की सूचनाएँ तैयार करना।

1.9 एस.आई.ए अध्ययन से प्राप्त जानकारी निष्कर्ष

एस.आई.ए. के दौरान विभिन्न समूहों के साथ ग्राम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रभावित लोगों द्वारा बताया गया कि जमीन अवाप्ति के एवज में सरकार हमारी परिस्थिति को समझते हुए यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित खातेदारों को भूमि के बदले सिंचित भूमि दिलायी जाये ताकि प्रभावित परिवार भूमि अवाप्ति पश्चात् पूर्व की तरह उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक स्थिति बहाल हो सके। प्रस्तावित परियोजना में ग्राम पंचायत सलारपुर का गांव सलारपुर के खातेदार/हिस्सेदार प्रभावित होंगे। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के दौरान प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भूमि अवाप्ति को लेकर प्रमुख सुझाव/राय/बात/मांग रखी गई।

क्र.सं.	**ग्राम पंचायत का नाम**	**गांव का नाम**	**प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव एवं मांग**
1.	सलारपुर	सलारपुर	• बैठक में उपस्थित खातेदारों/हिस्सेदारों द्वारा बताया गया कि अवाप्ति पश्चात् बची हुई शेष भूमि के बारे में उनसे सुझाव/राय लिये जाए। • प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए। • खसरा नम्बर 319, 320, 427, 715/427 एवं 429 के खातेदार श्री मनोज कुमार पुत्र श्री घीसाराम अहीर द्वारा उचित मुआवजे की मांग की गई। • खातेदार श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामकिशोर यादव वगैरह के खसरा नम्बर 430, 438, 439, 427, 481, 1721/439, 1163/1515, 1618/321, 315, 319, 320, 429 एवं 1715/427 द्वारा मांग की गई कि अवाप्ति के बाद शेष जमीन की नाप कराकर दी जावे। • रेलवे लाईन के दोनों तरफ पुराने धार्मिक संस्थान बने हुए है। जिसमें एक तरफ श्री राधाकृष्ण मंदिर तो दूसरी तरफ मीठा पीर मंदिर बने हुए है जो बहुत ही पुराने है एवं आस–पास के गांव वालों की आस्था

			के प्रतीक हैं। प्रस्तावित परियोजना में इनके प्रभावित होने की सम्भावना है। अतः प्रभावित परिवारों की मांग/राय/ सुझाव है कि इन दोनों ही धार्मिक स्थानों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जावे। • सभी प्रभावित संरचनाओं जैसे कुआं, ट्यूबवैल, पक्का निर्माण, पेड़–पौधे, फलदार पेड, विद्युत कनेक्शन एवं पाईपलाईन इत्यादि का उचित मुआवजा दिया जाए। • परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि जो अवाप्त किया जाना है उसका चिन्हीकरण कराया जावे। • प्रस्तावित भूमि का सर्वे व चिन्हीकरण खोतदार की उपस्थिति में किया जावे ताकि किसी प्रकार की कोई चूक व छूट नहीं हो।

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना अन्तर्गत जिला खैरथल–तिजारा की टपूकडा तहसील में कार्य प्रस्तावित है। परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार नियम, 2016 की कार्यवाही के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना राजपत्र क्रमांक प.4 (28)/1/2025, दिनांक 04 फरवरी 2026 को प्रकाशन हो गया है। इस क्रम में जिला खैरथल–तिजारा के तहसील टपूकडा में सलारपुर गावों की कुल 4.1712 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। इस अवाप्ति से खातेदार/हिस्सेदार परिवार प्रभावित होंगे जोकि इस भूमि पर खेती में गेहूँ, सरसों, जौ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, तिल, मोठ एवं ग्वार तथा सब्जियां आदि की पैदावार करते हैं।

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के लिए ग्राम सलारपुर तहसील टपूकडा, जिला खैरथल–तिजारा में प्रस्तावित खसरा एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अवाप्ति क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्न है।

तालिका 1.1 : भूमि अवाप्ति का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	निजी भूमि		प्रस्तावित कुल अवाप्त रकबा (हेक्टेयर में)
		कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
1	सलारपुर	13.4865	4.1712	4.1712

(स्रोत : तहसील के पटवार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार)

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के लिए जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में कुल 4.1712 हेक्टेयर निजी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना कार्य के लिए जो निजी भूमि अधिग्रहण की जानी है वह सार्वजनिक उपयोगार्थ न्यूनतम और आवश्यक है एवं इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

तालिका 1.2 : ग्रामवार परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों का विवरण

क्र. सं.	तहसील	पंचायत	गांव	अन्य पिछड़ावर्ग	अनुसूचित जाति	कुल परिवार
1.	टपूकड़ा	सलारपुर	सलारपुर	35	5	40

Source: As per Revenue Record (Jamabandi)

1.10 अनुकल्पों पर विचार

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव की भूमि अवाप्त किया जाना है। सलारपुर गांव भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक है। अतः डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना हेतु यही सबसे बेहतर विकल्प है। प्रस्तावित परियोजना के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सार्वजनिक उपयोगार्थ निजी भूमि की आवश्यकता न्यूनतम है। प्रस्तावित भूमि का चयन कई विचार–विमर्शों के बाद किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना में चिन्हित अधिग्रहण हेतु खसरों के भू–स्वामी सामान्य व मध्यम श्रेणी के हैं। इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय खेती है। गांव के युवा आस–पास की फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं। प्रभावित परिवारों में कुछ लोगों सरकारी नौकरी एवं सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। प्रभावित सभी परिवारों में शिक्षा का स्तर आरम्भ से ही अच्छा है जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बी एड एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त हैं। भूमि अवाप्ति पश्चात् प्रभावित परिवार सामाजिक एवं आर्थिक रुप से प्रभावित होंगे। प्रभावित गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं लेकिन परियोजना प्रभावित अधिकांश खातेदार/परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग (88 प्रतिशत) के हैं। प्रस्तावित परियोजना से अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के खातेदार/हिस्सेदार प्रभावित हो रहे हैं। गांव में निवास कर रहे परिवारों की 70 से 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए एवं कुछ प्रभावित परिवार द्वारा उचित मुआवजे की मांग की गई। ताकि वे बाजार अनुसार अपने लिए खेती योग्य भूमि क्रय कर पूर्ववत स्थिति बहाल कर सके। इसकी भी पहल परियोजना द्वारा करनी चाहिये।

अध्याय– 2
परियोजना विवरण

2.1 परियोजना की पृष्टभूमि – डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना

आर्थिक प्रगति, औद्योगीकरण तथा बढ़ते व्यापारिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप देश में माल परिवहन की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री और मालगाड़ियों का संयुक्त संचालन होने के कारण क्षमता की सीमाएँ, समयपालन में कमी तथा लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इन्हीं चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor – DFC) की संकल्पना विकसित की गई।

इस परिकल्पना को क्रियान्वित करने हेतु Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) की स्थापना वर्ष 2006 में रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) के रूप में की गई। DFCCIL को देश में केवल माल परिवहन हेतु पृथक, उच्च क्षमता वाले रेल कॉरिडोर की योजना, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत मालगाड़ियों के लिए अलग रेल लाइन विकसित की जा रही है, जिससे यात्री एवं माल परिवहन को पृथक–पृथक संचालित किया जा सके। इससे माल परिवहन की गति, सुरक्षा एवं दक्षता में सुधार होगा, वहीं यात्री ट्रेनों की समयपालनता भी बेहतर होगी। यह परियोजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा बंदरगाहों, औद्योगिक क्लस्टरों एवं उपभोग केंद्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सहायक है।

DFC परियोजना को एक पर्यावरण–अनुकूल परिवहन पहल के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि सड़क परिवहन की तुलना में रेल द्वारा माल ढुलाई से ईंधन की खपत एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे का विकास तथा क्षेत्रीय सामाजिक–आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलता है।

प्रभावित परिवार की महिलाओं से चर्चा करते हुए श्री जगदीश चौधरी एवं मांगीलाल छीपा

2.2 परियोजना की आवश्यकता

सलारपुर में प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि बिना तेज परिवहन के आधुनिक उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आसानी से टिक नहीं सकते। अतः यह टर्मिनल भिवाड़ी के कारखानों के लिए एक 'एक्सप्रेस गेटवे' की तरह काम करेगा।

भिवाड़ी और आस–पास के क्षेत्रों से कच्चा माल एवं तैयार माल की ढुलाई/गंतव्य तक पहुँचाने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसाकि व्यापारिक दृष्टि से भी माल की ढुलाई एवं गंतव्य तक पहुँच बनाने में समय की लागत के साथ–साथ आर्थिक भार भी बढ़ता जा रहा है, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए परियोजना निर्माण की नींव रखी गई। यह विकास राष्ट्रीय गति शक्ति नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक केंद्रों को उच्च गति और उच्च क्षमता वाले रेल माल ढुलाई कॉरिडोर के साथ एकीकृत करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।

सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी (राजस्थान) में गति शक्ति (Gati Shakti) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) टर्मिनल बनाने के मुख्य कारण माल ढुलाई को तेज़, सस्ता और अधिक कुशल बनाना है। यह परियोजना वेस्टर्न डीएफसी के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम है। जैसे–

- **ट्रकों पर अत्यधिक निर्भरता:** इस टर्मिनल से पहले, भिवाड़ी के उद्योगों (जैसे Honda, Saint & Gobain) को अपना माल दिल्ली या गुजरात भेजने के लिए पूरी तरह ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे सड़कों पर जाम और परिवहन लागत (Logistics Cost) बहुत ज्यादा थी।
- **दिल्ली–रेवाड़ी ट्रैक पर दबाव:** मौजूदा दिल्ली–रेवाड़ी–जयपुर रेल लाइन पर यात्री ट्रेनों का भारी दबाव है। यहाँ से औद्योगिक माल भेजना बहुत धीमा और अनिश्चित था। एक समर्पित 'कार्गो टर्मिनल' की जरूरत थी जहाँ केवल माल ढुलाई पर ध्यान केंद्रित हो।
- **बंदरगाहों से दूरी:** राजस्थान एक 'लैंडलॉक्ड' (चारों तरफ जमीन से घिरा) राज्य है। समुद्र तक सीधी और तेज पहुँच के बिना यहाँ के उत्पाद वैश्विक बाजार में महंगे पड़ रहे थे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के माध्यम से समुद्र के रास्ते से आने वाले माल की पहुँच को भिवाड़ी के करीब लाने एवं दूरी कम करने की आवश्यकता है।
- **औद्योगिक विस्तार:** भिवाड़ी–खुशखेड़ा–नीमराना (KBNIR) को एक 'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन को संभालने के लिए पारंपरिक परिवहन तंत्र/व्यवस्था पर्याप्त नहीं थे।

2.3 परियोजना विवरण

1. परिचय

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor – DFC) भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में माल परिवहन व्यवस्था को अधिक तेज़, सुरक्षित, किफायती एवं पर्यावरण–अनुकूल बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत केवल मालगाड़ियों के संचालन हेतु पृथक एवं उच्च क्षमता वाली रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है, जिससे यात्री एवं माल परिवहन को अलग–अलग संचालित किया जा सके।

इस परियोजना का क्रियान्वयन Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) द्वारा किया जा रहा है, जो रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। DFCCIL को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नियोजन, डिज़ाइन, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना से माल परिवहन की गति एवं दक्षता में वृद्धि होगी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी तथा औद्योगिक क्लस्टरों, बंदरगाहों और प्रमुख उपभोग केंद्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। साथ ही, यह परियोजना सड़क परिवहन पर निर्भरता कम कर ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।

परिचय – तहसील टपूकड़ा

टपूकड़ा तहसील राजस्थान राज्य के खैरथल–तिजारा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। यह तहसील हरियाणा सीमा से सटी हुई है, जिसके कारण यहाँ औद्योगिक, व्यापारिक एवं परिवहन गतिविधियाँ तीव्र गति से विकसित हुई हैं। टपूकड़ा क्षेत्र में कृषि, औद्योगिक इकाइयाँ, लॉजिस्टिक्स तथा सेवा क्षेत्र प्रमुख आजीविका स्रोत हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं रेल कनेक्टिविटी की निकटता के कारण यह क्षेत्र क्षेत्रीय आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से यह तहसील ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी आबादी का मिश्रण प्रस्तुत करती है, जहाँ बुनियादी अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार से संबंधित सुविधाओं का क्रमिक विस्तार हो रहा है।

2. परियोजना क्षेत्र/स्थान

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना अक्षांश 28.140777 उत्तर एवं देशांतर 76.77752 पूर्व पर ग्राम सलारपुर में प्रस्तावित है। डीएफसी कॉरिडोर की दूरी तहसील टपूकड़ा से 06 किमी तथा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से 12 कि मी है। सलारपुर गांव की दूरी जिला खैरथल–तिजारा से 40 किमी है। इस परियोजना के लिए सलारपुर गांव की निजी भूमि अधिग्रहण हेतु चिन्हित की गई है।

तालिका 2.1 : परियोजना प्रभावित गांव की स्थिति

क्र. सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	तहसील मुख्यालय से दूरी (कि.मी.)	जिला मुख्यालय से दूरी (कि.मी.)	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	जनसंख्या		लिंगानुपात
							पुरुष	महिला	
1.	खैरथल–तिजारा	टपूकडा	सलारपुर	06	40	578.69	1135	1027	905

Source: Census 2011, ORGI

3. तकनीकी विवरण

औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में डीएफसी कॉरिडोर के साथ 40.00 मीटर चौड़ाई में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर विकसित करने हेतु ग्राम सलारपुर, तहसील टपूकड़ा जिला खैरथल तिजारा में कुल 4.1712 हेक्टेयर निजी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।

4. परियोजना का लक्ष्य

प्रस्तावित परियोजना ''डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर'' के विकास एवं निर्माण कार्य से भविष्य में मालवाहक सुविधाओं का विस्तार और लॉजिस्टिक सेवा आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना है। आस–पास के जिला एवं क्षेत्र के व्यपार एवं उद्योगों को उच्च स्तर की लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करेगा एवं प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन अनवरत बिना किसी व्यवधान के किया जा सकेगा। परियोजना का मुख्य लक्ष्य भारत के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास में तेजी लाना और लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost) को कम करना है। गति शक्ति' नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेल, सड़क और बंदरगाहों को एक साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। प्रस्तावित परियोजना सलारपुर टर्मिनल निर्माण भी इस नीति का हिस्सा है।

5. **प्रभावित भू–स्वामियों से चर्चा–** प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य को लेकर उपस्थित लोगों/भू–स्वामियों/क्षेत्र/गांव में चुनौतीपूर्ण सम्भावनाओं को व्यक्त किया जो इस प्रकार है।

   - रेलवे लाईन के दोनों तरफ पुराने धार्मिक संस्थान बने हुए है। जिसमें एक तरफ श्री राधाकृष्ण मंदिर तो दूसरी तरफ मीठा पीर मंदिर बने हुए है जो बहुत ही पुराने है एवं आस–पास के गांव वालों की आस्था के प्रतीक हैं। प्रस्तावित परियोजना में इनके प्रभावित होने की सम्भावना है। जिससे लोगों की धार्मिक आस्था आहत होगी।
   - ग्राम सलारपुर की आबादी से निकलने वाला पानी रेलवे लाईन के पार जाता है जिसे परियोजना निर्माण में बाधित होने से गांव में पानी की निकासी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।
   - परियोजना निर्माण से लोगों को खेतों में जाने हेतु रास्ते की समस्या उत्पन्न होगी जिससे विवाद होने की सम्भावनाएं बढ़ सकती है।
   - भू–अवाप्ति पश्चात मुआवजा की हिस्सेदारी को लेकर परिवारों में झगड़े उत्पन्न होंगे जिससे कोर्ट कचहरी भी हो सकती है एवं मुआवजे की राशि ऐसे ही खर्च हो जायेगी।
   - परियोजना के निर्माण से पारिवारिक एवं दूसरे किसानों के साथ झगड़े आपसी रंजिश बढ़ सकती है।
   - पूर्व में निर्मित कॉरिडोर से हमारे खेतों के दो टुकड़े हो गये थे। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण परियोजना से खेतों तक पहुॅच की समस्या बढ़ जायेगी।
   - कृषि भूमि की अवाप्ति से खेतिहर मजदूर एवं बटाईदार के लिये कृषि योग्य जमीन की मात्रा में कमी आयेगी जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी।

2.4 शमन योजना प्रक्रिया एवं प्रबन्धन

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है कि सरकार या निजी क्षेत्र में किसी भी विकास के कार्य हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत किया जा सकेगा। सरकार का यह भी मानना है कि भूमि अवाप्ति भू–स्वामियों से सलाह मशविरा, उनकी राय/सहमति से किया जाना चाहिये।

इसी क्रम में भूमि अधिग्रहण अधिनियम/नियम के अनुसार विकास परियोजना में प्रभावित भू–स्वामियों के साथ चर्चा कर उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर जानना है। किसानों/खातेदारों को प्रस्तावित कार्य/परियोजना से कितनी एवं किस प्रकार की क्षति (समाघात) हो रही है का आकलन कर प्रभावित लोगों की सहभागिता से क्षतिपूर्ति/मुआवजा हेतु कार्यवाही कराना है। सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन (एस.आई.ए.) के अन्तर्गत परियोजना विस्तार कार्य से प्रभावित लोगों, समुदाय से विभिन्न स्तरों पर चर्चाएँ कर प्राप्त सूचनाओं को संकलित करना है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन अन्तर्गत प्राप्त जानकारियों एवं संकलित सूचनाओं के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर सम्बन्धित विभाग/सरकार को प्रस्तुत करना है।

एस.आई.ए. अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक राहत/शमन योजना बनाना है। सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने की योजना परियोजना के प्रबन्धन संचालन करने में

मदद करती है। प्रभावी एस.आई.ए. और एस. आई. एम. पी. परियोजना के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की पहचान, सार्वजनिक/सामुदायिक परामर्श, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए कानूनी पात्रता नीति में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (आर.एण्ड आर.) (Rehabilitation & Resettlement) का विवरण है।

2.5 अध्ययन का उद्देश्य

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अध्याय III के धारा 6 और 7 के अनुसार सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन का संचालन करना है, जो विभाग द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 है। जिसे राजस्व विभाग (राजस्थान सरकार) के पत्रांक **No. F. 1(3) Rev. 6/2011/pt./02 dated 12/01/2016.** द्वारा इसे लागू किया गया है।

सामाजिक समाघात आकलन (एस.आई.ए.) अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैः

(i) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(ii) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार–प्रसार के पश्चात् जन सुनवाई करना। जन सुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार–विमर्श को लेखबद्ध करना।

(iii) प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकापार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आकलन करना।

(iv) प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

(v) प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

(vi) प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आकलन करना तथा उनके जीविकापार्जन के वर्तमान साधनों को ज्ञात करना।

(vii) प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों तथा सड़क मार्ग, सार्वजनिक एवं निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाईयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मंदिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आकलन करना।

(viii) इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

2.6 सामाजिक समाघात आकलन की अध्ययन प्रक्रिया

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन सम्भवतः परियोजना नियोजन चरण के दौरान किया जाना चाहिये। यह अध्ययन की प्रक्रिया स्थानीय परिवार व समाज को समझने में सहयोग प्रदान करती है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन की प्रक्रिया निम्न हैः

- सकारात्मक या नकारात्मक रुप से प्रभावित होने वाले समूह/वर्ग की जानकारी।
- परियोजना और उसके प्रभाव के बारे में प्रभावित लोगों की धारणाओं के बारे में जानकारी।
- भूमि अधिग्रहण के प्रभावों को कम करने के लिए संभावित उपाय करने की जानकारी।
- परियोजना क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में आधारभूत जानकारी।
- परियोजना के सम्भावित प्रभावों, परिणाम, वितरण और उनकी अवधि की विशेषता पर जानकारी।
- राहत उपायों को लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता के बारे में जानकारी।

2.7 अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में प्रस्तावित है। उपरोक्त परियोजना में सलारपुर गांव की दूरी तहसील मुख्यालय से 06 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से लगभग 40 कि.मी. दूरी पर है। इस परियोजना के लिए सलारपुर गांव की 4.1712 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण हेतु चिन्हित की गई है। प्रस्तावित परियोजना के लिए जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का कुल 40 परिवारों की भूमि परियोजना निर्माण हेतु अवाप्त होगी। अवाप्ति हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का कृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है जिसमें गेहूँ, सरसों, जौ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, तिल, मोठ एवं ग्वार तथा सब्जियां आदि की पैदावार करते हैं।

तलिका 2.2 : गांव की जनसंख्या प्रारुप (जनगणना 2011 के अनुसार)

क्र सं	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	जनगणना कोड	गांव की जनसंख्या प्रारुप (जनगणना 2011 के अनुसार)			अनुसूचित जाति	अनु. सूचित जनजाति
					क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल परिवार	कुल जन संख्या		
1.	खैरथल–तिजारा	टपूकडा	सलारपुर	072259	578.69	451	2162	356	3

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

2.8 परियोजना और सामाजिक समाघात आकलन

एस.आई.ए. अध्ययन प्रक्रिया के तहत यह प्रयास किया गया कि ग्राम बैठक में गांव के पंचायत जन प्रतिनिधी जैसे सरपंच व पंच, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक व पटवारी भी मौजूद रहें। बैठक में किसान/भू–स्वामी एवं गांव के अन्य लोग भी उपस्थित रहें। समूह बैठक में एस.आई.ए. के दौरान जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में ग्राम स्तर पर समुदाय एवं प्रभावित लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। ग्राम बैठक कर किसानों/भू–स्वामी एवं गांव के अन्य लोगों के विचार जानने का प्रयास किया गया। बैठक में गांव एवं प्रभावित परिवारों के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्राम बैठक में उपस्थित लोगों/भू–स्वामियों ने गांव के विकास को लेकर अपने–अपने मत प्रस्तुत किये। चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि किसान/भू–स्वामियों को जो भी क्षति होने वाली है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा मुआवजे की कार्यवाही करते हुए लोगों को आश्वस्त किया जाना चाहिये। लोगों को आश्वस्त करने से प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में निर्माण कार्य करना आसान हो जाता है।

प्रभावित भू–स्वामियों के साथ प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बारे में तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में लोगों के साथ विभिन्न बैठक एवं फोकस ग्रुप चर्चा की गई। चर्चा में यह समझने के प्रयास किये गये कि गांव के लोगों की आय एवं जीवन यापन के मुख्य आधार क्या हैं साथ ही यह भी प्रयास किये गये कि गांव/मोहल्लों में कहीं कोई विवादास्पद स्थिति तो नहीं है। परियोजना के विकास एवं निर्माण हेतु भू–अवाप्ति के प्रभावों को जानने के लिए छोटे समूह में बैठक करने का निर्णय लिया गया।

समाज/गांव में अलग–अलग स्तर पर चर्चाएं करना, बैठकें करना किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद या बाधा को समझने में सहायक होती हैं। गांव एवं लोगों के विचारों को जानकर उनके अनुसार रणनीति बनाना और चरणबद्ध तरीके से कार्य नीति निर्माण करना आसान रहता है। छोटे समूहों में चर्चा कर उन्हें अपनी बात कहने का अवसर भी दिया गया ताकि वे अपनी बात कह पाये। प्रभावित लोगों के विचार उनकी राय परियोजना कार्य के क्रियान्वयन के लिए सहायक होते हैं। लोगों को उनकी समस्याओं को समझने का एक अवसर भी है। इस प्रकार प्रभावित लोगों द्वारा दिये गये सुझावों के निराकरण शामिल कर लिये जाते हैं तो अधिकांश लोगों की सहमति भी मिल जाती है जिससे परियोजना कार्य के क्रियान्वयन की राह सहज हो जाती है।

प्रस्तावित परियोजना में ग्राम पंचायत सलारपुर का गांव सलारपुर के खातेदार/हिस्सेदार प्रभावित होंगे। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के दौरान प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भूमि अवाप्ति को लेकर प्रमुख सुझाव/राय/बात/मांग रखी गई।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	गांव का नाम	प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव एवं मांग
1.	सलारपुर	सलारपुर	• बैठक में उपस्थित खातेदारों/हिस्सेदारों द्वारा बताया गया कि अवाप्ति पश्चात् बची हुई शेष भूमि के बारे में उनसे सुझाव/राय लिये जाए। • प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए। • खसरा नम्बर 319, 320, 427, 715/427 एवं 429 के खातेदार श्री मनोज कुमार पुत्र श्री घीसाराम अहीर द्वारा उचित मुआवजे की मांग की गई। • खातेदार श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामकिशोर यादव वगैरह के खसरा नम्बर 430, 438, 439, 427, 481, 1721/439, 1163/1515, 1618/321, 315, 319, 320, 429 एवं 1715/427 द्वारा मांग की गई कि अवाप्ति के बाद शेष जमीन की नाप कराकर दी जावे। • रेलवे लाईन के दोनों तरफ पुराने धार्मिक संस्थान बने हुए है। जिसमें एक तरफ श्री राधाकृष्ण मंदिर तो दूसरी तरफ मीठा पीर मंदिर बने हुए है जो बहुत ही पुराने है एवं आस–पास के गांव वालों की आस्था के प्रतीक हैं। प्रस्तावित परियोजना में इनके प्रभावित होने की सम्भावना है। अतः प्रभावित परिवारों व ग्रामीणों की मांग/राय/ सुझाव है कि इन दोनों ही धार्मिक स्थानों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जावे। • सभी प्रभावित संरचनाओं जैसे कुआं, ट्यूबवैल, पक्का निर्माण, पेड़–पौधे, फलदार पेड, विद्युत कनेक्शन एवं पाईपलाईन इत्यादि का उचित मुआवजा दिया जाए। • परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि जो अवाप्त किया जाना है उसका चिन्हीकरण कराया जावे। • प्रस्तावित भूमि का सर्वे व चिन्हीकरण खोतदार की उपस्थिति में किया जावे ताकि किसी प्रकार की कोई चूक व छूट नहीं हो।

2.9 अनुकल्पों पर विचार

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव की भूमि अवाप्त किया जाना है। सलारपुर गांव भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक है। अतः डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना हेतु यही सबसे बेहतर विकल्प है। प्रस्तावित परियोजना के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सार्वजनिक उपयोगार्थ निजी भूमि की आवश्यकता न्यूनतम है। प्रस्तावित भूमि का चयन कई विचार–विमर्शों के बाद किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना में चिन्हित अधिग्रहण हेतु खसरों के भू–स्वामी सामान्य व मध्यम श्रेणी के हैं। इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय खेती है। गांव के युवा आस–पास की फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं। प्रभावित परिवारों में कुछ लोगों सरकारी नौकरी एवं सेवा निवृत्त हैं। प्रभावित सभी परिवारों में शिक्षा का स्तर आरम्भ से ही अच्छा है जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त हैं। भूमि अवाप्ति पश्चात् प्रभावित परिवार सामाजिक एवं आर्थिक रुप से प्रभावित होंगे। प्रभावित गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के लोग निवास करते है लेकिन परियोजना प्रभावित अधिकांश खातेदार/परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग (88 प्रतिशत) के हैं। प्रस्तावित परियोजना से अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के खातेदार/हिस्सेदार प्रभावित हो रहे हैं। गांव में निवास कर रहे परिवारों की 70 से 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए एवं कुछ प्रभावित परिवार द्वारा उचित मुआवजे की मांग की गई। ताकि वे बाजार अनुसार अपने लिए खेती योग्य भूमि क्रय कर पूर्ववत स्थिति बहाल कर सके। इसकी भी पहल परियोजना द्वारा की जानी चाहिये।

2.10 कानून और नीतियाँ

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) ढ़ांचागत परियोजना (Infrastructural project) एवं अन्य विकास कार्यों से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा करने की एक पद्धति है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) ढ़ांचागत परियोजना (Infrastructural project) एवं अन्य विकास कार्यों से प्रभावित होने वाले भू–स्वामियों के बारे में सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को जानना है। प्रभावित भू–स्वामियों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के अन्तर्गत राहत योजना तैयार कर राहत दिलाना है जिसके लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 का कानून प्रभावी है जिसके तहत् एस.आई.ए. का अध्ययन किया गया।

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013), एवं
- राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 (RRFCTLARR Rule, 2016)।

अध्याय –3
टीम की संरचना, दृष्टिकोण एवं विधि

3.1 टीम का गठन, दृष्टिकोण एवं विधि

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं उन्हे उनकी पूर्व स्थिति में किस प्रकार पुनः बहाल किया जा सकता है। इस परियोजना के निर्माण हेतु जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव की भूमि अधिग्रहण से प्रभावित खातेदारों/हिस्सेदारों की आम राय किस प्रकार बन सकती है। एस.आई.ए. अध्ययन में यह भी ध्यान रखा गया है कि इस परियोजना के निर्माण कार्य से क्षेत्र में जमीन के अतिरिक्त किस प्रकार की संरचनाएँ भी प्रभावित हो रही है। पी.एल.ए. (पार्टीसिपेटरी लर्निंग एण्ड एक्शन)/पी. आर. ए. (पार्टीसिपेटरी रुरल अप्रेजल) के माध्यम से लोगों से परियोजना के निर्माण एवं भू–अवाप्ति के संदर्भ में विचार जानने का प्रयास किया गया। ग्राम विकास को लेकर गांव की समस्या एवं उनके समाधान एक अभ्यास गांव के कुछ लोगों के साथ आरम्भ किया गया। लोगों की भागीदारी के साथ धीरे–धीरे संख्या भी बढ़ने लगी। पी.आर.ए. अभ्यास के दौरान ग्राम मुद्दों पर लोगों द्वारा विचार रखे गये। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में भूमि अधिग्रहण कर डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन को लेकर सकारात्मक है वहीं कुछ लोग भूमि अधिग्रहण हेतु असमंजस की स्थिति में हैं।

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के दौरान भूमि अधिग्रहण हेतु योजना निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन को महत्त्वपूर्ण माना गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विशेषज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, पी.आर.ए. विशेषज्ञ, लिंग विशेषज्ञ एवं तकनीकी विशेषज्ञ दल का संस्थान स्तर पर गठन किया गया। संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा एस.आई.ए. अध्ययन कार्य को रणनीतिबद्ध एवं योजनानुसार गति प्रदान की गई।

पी.आर.ए. अभ्यास के दौरान हमारी समस्या हमारे समाधान चर्चा के अन्तर्गत जन प्रेरणा का प्रयास किया गया है ताकि परियोजना के बारे में प्रभावित परिवारों में जानकारी हो सके। प्रभावित भू–स्वामियों को प्रेरित करते हुए बताया गया कि भूमि अधिग्रहण सभी की समस्या है तो निश्चित ही समाधान भी हमारे पास है। सभी उपस्थित ग्रामीण जन को पी.आर.ए. अभ्यास से जुड़े रहने के लिए उत्प्रेरित किया गया। सभी उपस्थित ग्रामीण जन/प्रभावित खातेदारों ने चर्चा के समय अपने–अपने मत/सुझाव प्रस्तुत किये। उद्योग विभाग व रीको का यह मानना है कि परियोजना निर्माण कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना जरुरी है। इस परिस्थिति में समाघात प्रभाव निवारण हेतु शमन योजना बनाई जानी चाहिये। जिससे प्रभावित खातेदार/किसान राहत महसूस कर सके।

पी.आर.ए विधा

1. ग्राम इतिहास (Village History)
2. सामाजिक मानचित्रण (Social Mapping)
3. मौसमी चित्रण (Seasonality)
4. बदलाव विश्लेषण (Trend Analysis)
5. चपाती चित्रण (Chapati Diagram)
6. मैट्रिक्स रैंकिंग (Matrix Ranking)
7. समय रेखा (Timeline)

3.2 प्रभावित क्षेत्र व प्रभावित परिवारों के सम्बन्ध में सूचना एवं जानकारी एकत्रीकरण की प्रक्रिया

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना हेतु जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के दौरान भूमि अधिग्रहण हेतु ग्राम स्तरीय जानकारी एकत्र करने हेतु बैठक के लिए प्रभावित खातेदारों/लोगों को सूचित किया गया। प्रभावित खातेदारों/लोगों की राय से बैठक आयोजन हेतु स्थान चयन किया गया ताकि लोग बिना किसी रुकावट या अवरोध के एक स्थान पर एकत्र हो सकें। परियोजना कार्य को लेकर किस प्रकार की बाधाएँ हैं सभी का बैठक में आकलन किया गया। ग्राम बैठक में जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बुनियादी सवालों के सन्दर्भ में समुदाय, प्रभावित खातेदारों की राय/सुझावों को लिपिबद्ध किया गया।

प्रभावित खातेदारों से चर्चा करते हुए एस.आई.ए. विशेषज्ञ श्री दिलीप शर्मा

(क) परिचय सत्र : एस.आई.ए. दल के सदस्यों द्वारा बैठक में अपना–अपना परिचय दिया गया। तत्पश्चात ग्राम बैठक में उपस्थित ग्रामीणजनों द्वारा भी अपना–अपना परिचय दिया गया। बैठक के दौरान प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना से संबंधित समस्त जानकारी किसानों/भू–स्वामियों/खातेदारों को प्रदान की गई। प्रभावित खातेदारों एवं उपस्थित ग्रामीणजनों को अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई।

बैठक के दौरान सामान्य चर्चा में ग्रामीणों के विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही की जाए। साथ ही यह भी अपेक्षा व्यक्त की गई कि सामाजिक समाघात शमन योजना के अंतर्गत प्रभावित भू–स्वामियों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार राहत प्रदान की जाए, ताकि वे अपनी पूर्व स्थिति में पुनः बहाल हो सकें।

(ख) खुला संवाद एवं सुझाव सत्र : बैठक में उपस्थित भू–स्वामी/लोगों को अपने मत रखने का अवसर प्रदान किया गया जो परियोजना कार्य से प्रभावित हो रहे हैं। इस सत्र का सीधा–सीधा फायदा यह हुआ कि प्रभावित परिवार बिना किसी दबाव के एवं स्वेच्छा से अपने मन की बात रखी। बैठक में उपस्थित भू–स्वामियों/लोगों को प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति एवं मुआवजा के बारे में अवगत कराया गया। प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा कार्य में सहयोग करने का आश्वासन भी दिलाया

गया। प्रभावित भू–स्वामियों का कहना है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए एवं कुछ खातेदारों द्वारा उचित मुआवजे की मांग की गई। लोगों के विचारों को जानते हुए बताया गया कि सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया का भाग है तथा भूमि अवाप्ति के एवज में खातेदार/हिस्सेदारों के द्वारा दिये गये सुझावों को प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगा। एस.आई.एम.पी. में इनको ध्यान में रखते हुए एक शमन योजना तैयार की जायेगी जिसके अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधान अनुसार समय पर एवं उचित मुआवजा राशि/राहत दिया जा सकेगा।

प्रभावित खातेदारों को परियोजना की जानकारी देते हुए श्री जगदीश चौधरी

(ग) परियोजना क्रियान्वयन पर जनमत : प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना हेतु जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में प्रस्तावित स्थान को कार्य के लिए जरुरी एवं उपयोगी बताया। भू–अवाप्ति को लेकर कहीं ना कहीं मन में पीड़ा (तकलीफ) भी है ऐसा लोगों से चर्चा के दौरान महसूस किया गया। जन समुदाय से हुई बैठक व चर्चानुसार उपरोक्त मांग/शर्तों पर कुछ लोगों का नजरिया सकारात्मक तो कुछ लोग असमंजस थे।

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए) प्रक्रिया

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन प्रक्रिया के दौरान विषय विशेषज्ञों ने जन समुदाय/ग्रामीण जन को प्रेरित कर इस परियोजना के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में प्रभावित भू–स्वामियों से राय जानने का प्रयास किया गया। इस योजना में अधिग्रहण से भू–स्वामी पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार होगा आदि का आकलन किया गया। राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 अनुसार उचित कार्यवाही किया जाना चाहिये ताकि परियोजना कार्य को गति प्रदान की जा सके। प्रभावित

किसान/भू–स्वामियों को जमीन के बदले खेती योग्य जमीन या बाजार भाव के हिसाब से उचित मुआवजा राशि मिल सके जिस पर लगभग सभी भू–स्वामी सहमत हैं।

(घ) भू–स्वामी/किसान और ग्रामीणों की भागीदारी एवं भूमिका: सामाजिक समाधात अध्ययन के दौरान गांव के लोगों, महिलाओं, गणमान्य व्यक्तियों सभी से अलग–अलग समूह में खुली चर्चा एवं संवाद किया गया। जैसा विदित है कि परियोजना से किसी व्यक्ति, समाज, धरोहर को कितना क्षति हो रही है एवं किस स्तर तक क्षति का वहन किया जा सकता है या फिर इसकी भरपाई किस प्रकार एवं कितना किया जाना चाहिये जिससे कि प्रभावित भू–स्वामी को राहत/क्षतिपूर्ति की जा सके एवं उस पर वह कार्य करने की रजामन्दी प्रदान कर दें। बैठक में सभी उपस्थित किसानों, भू–स्वामियों और ग्रामीणों का सामाजिक व आर्थिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर लोगों द्वारा अपनी राय प्रस्तुत की गई है जिसे गांव के उपस्थित सभी लोगों के बीच पढ़ कर सुनाया गया। प्रभावित लोगों द्वारा दी गई राय/सुझाव/मांग को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु लेखबद्ध किया गया है।

3.3 एस.आई.ए एजेंसी का चयन

शासन उप सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांकः प.4(28)उद्योग/1/2025 दिनांक 29 जनवरी 2026 के अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र में एस.आई.ए कार्य के लिए (सेंटर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज, (सीडेक्स) का चयन कर कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। सीडेक्स द्वारा जिम्मेदार, जानकार एवं विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक टीम बनाई गई तथा एस.आई.ए दल के सदस्यों को प्रभावित खातेदारों से चर्चाएँ कर भूमि अधिग्रहण के प्रभावों की स्थिति जानना एवं सूचनाएँ संकलन की जिम्मेदारी दी गई। अध्ययन में प्रभावित व्यक्तियों की सूची का प्रमाणीकरण करना, सूचनाओं के संग्रह, सारणीकरण एवं प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करना आदि शामिल थे। एस.आई.ए की आवश्यकता के मुताबिक टीम के प्रत्येक सदस्य की अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है एवं विषय विशेषज्ञ भी हैं। विशेषज्ञ दल के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक शोध अध्ययनों के अनुभव है और इससे पहले ऐसे कई अध्ययन भी इनके द्वारा किए गए हैं।

क्र.सं	सदस्य का नाम	शैक्षणिक योग्यता	लिंग	विशेषता
1.	डॉ. उपेन्द्र सिंह	• ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन में स्नातकोत्तर • पी.एच.डी.(विकास के संदर्भ में प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाऍं	पुरूष	• प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाएं • पी.आर.ए./पी.एल.ए. विशेषज्ञ • परियोजना निर्माण प्रबन्धन कार्य • प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन कार्य • सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन
2.	डॉ. सुनील रे	स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र), पी.एच.डी.	पुरूष	• सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण
3.	श्री पेमाराम	भू–अवाप्ति विशेषज्ञ, रिटायर्ड तहसीलदार, राजस्थान सरकार	पुरुष	• एस.आई.ए. व भूमि रिकॉर्ड अनुभव • सामाजिक समाघात प्रभाव, फ्रेम वर्क एवं आकलन
4.	डॉ. अल्पना सिंह	• ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन में स्नातकोत्तर • पी.एच.डी. –(**"Poverty,**	महिला	• सामाजिक समाघात प्रभाव, फ्रेम वर्क एवं आंकलन, रिपोर्ट सम्पादन कार्य

क्र.सं	सदस्य का नाम	शैक्षणिक योग्यता	लिंग	विशेषता
		Gender & Social Development: Sociological construction of a Paradigm",		• ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी, व समाज निर्माण के प्रतिमान
5.	कैलाश कुमावत	सामाजिक एवं आर्थिक विशेषज्ञ	पुरूष	• एस.आई.ए. व भूमि रिकॉर्ड अनुभव
6.	मांगीलाल	स्नातकोत्तर (MSW)	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
7.	जगदीश चौधरी	एम०ए० (सामाजिक विज्ञान)	पुरूष	• पी.आर.ए. विशेषज्ञ • सूचना संकलन • कम्यूनिटी मोबीलाईजर
8.	पूजा जैन	एम०ए० (सामाजिक विज्ञान)	महिला	• पी.आर.ए. विशेषज्ञ • सूचना संकलन एवं विश्लेषक
9.	दिलीप शर्मा	एम०ए० (सामाजिक विज्ञान)	पुरूष	• कम्यूनिटी मोबीलाईजर • पी.आर.ए. विशेषज्ञ • सूचना संकलन
10.	रवि पारीक	तकनीकी एवं डाटा विशेषज्ञ	पुरूष	• प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाएँ • पी.आर.ए. / पी.एल.ए. विशेषज्ञ • परियोजना निर्माण प्रबन्धन कार्य • प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन कार्य
11.	मुकेश राठी	तकनीकी एवं डाटा विशेषज्ञ	पुरूष	• सूचना संकलन एवं विश्लेषक
12.	राजेन्द्र सैनी	बी.सी.ए.	पुरूष	सूचना संकलन एवं डाटा विश्लेषक
13.	रतनलाल योगी	स्नातकोत्तर	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
14.	पवन कुमार गौत्तम	स्नातकोत्तर	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
15.	कृष्ण कुमार मीणा	स्नातकोत्तर	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
16.	विरेन्द्र गौत्तम	स्नातक	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
17.	महावीर नागर	स्नातक	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
18.	सियाराम मीणा	स्नातक	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
19.	सोनू मीणा	स्नातक, बी.एड	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक

3.4 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) एक ऐसी कार्यप्रणाली है, जो विकासात्मक सुधारों को बढ़ावा देती है तथा लोगों के समग्र विकास एवं प्रभावी योजना निर्माण में सहायक होती है। यह अध्ययन न केवल बेहतर योजना तैयार करने में सहायक है, बल्कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उचित स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाता है। सामाजिक समाघात आकलन जवाबदेही सुनिश्चित करता है, हितधारकों के बीच संवाद को सशक्त करता है तथा विशेष रूप से सामाजिक समाघात राहत एवं पुनर्वास योजना की तैयारी हेतु संबंधित प्रभावित परिवार, परिवार की महिला, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामुदायिक प्रतिनिधि से परामर्श के माध्यम से दुर्लभ संसाधनों के समुचित आवंटन का मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अध्ययन के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में गांव/वार्ड स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया तथा सार्वजनिक सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थान के बारे में परियोजना प्रभावित परिवारों को सूचित किया गया। सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन प्रभावित परिवारों के विचार, सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। सामाजिक समाघात आकलन के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) के साथ सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण, सहभागी ग्रामीण आकलन (पी.आर.ए.) तथा फोकस ग्रुप चर्चा (एफ.जी.डी.) जैसी विधियों का उपयोग किया गया, जिससे परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों एवं समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों की पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त प्राप्त आंकड़ा/सूचना का उपयोग कार्य योजना तैयार करने के साथ–साथ राहत कार्य क्रियान्वयन के लिए भी किया जाता है। अध्ययन के आंकड़ों को संकलित करने के लिए कई प्राथमिक और सैकेन्डरी स्रोतों की सहायता ली गई है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के अन्तर्गत विस्थापन का सामना करने वाले लोग/किसान/परिवार और समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान की गई जिसमें उपस्थित लोगों ने कुआं, ट्यूबवैल, पक्का निर्माण, पेड़–पौधे, फलदार पेड, विद्युत कनेक्शन एवं पाईपलाईन आदि का प्रभावित_होना बताया गया। जिन किसानों की ज्यादा भूमि अवाप्ति में जाने वाली है वे आर्थिक, सामाजिक तौर पर ज्यादा प्रभावित होगें। भविष्य में उनके सामने जीवन–यापन करना एवं अपने आप को तैयार करना एक चुनौती के रुप में होगा।

3.5 एस.आई.ए. के लिए जानकारी संग्रहण करने के लिए उपयोगी स्रोत– सैकेन्डरी और प्राथमिक

(ए) सैकेन्डरी स्रोत में निम्नांकित शामिल है।

- सरकारी/जनगणना डेटा (2011)
- भूमि लेनदेन के रिकॉर्ड सहित भूमि रिकॉर्ड
- जिला गजेट्र्स
- अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड
- परियोजना की डी.पी.आर/परियोजना विस्तृत विवरण

(बी) प्राथमिक स्रोत

- ग्राम पंचायत
- आंगनवाडी केन्द्र
- उपस्वास्थ्य केन्द्र
- विद्यालय
- परिवार

3.6 समाघात प्रभाव आकलन विधा/तरीके

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन पद्धति की स्पष्टता महत्त्वपूर्ण है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) में परिवारों, व्यक्तियों, शिक्षा, रोजगार एवं आय के बारे में जानकारी संकलित करते हैं। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन में आम तौर पर डेटा/आंकड़ा संग्रह पद्धतियां, संख्यात्मक और गुणात्मक सारणी का उपयोग शामिल है। घरेलू इकाई का उपयोग आमतौर पर पुनर्वासन योजना के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार या गैर सम्बन्धित सदस्यों सहित एक इकाई शामिल हो सकती है। प्रभावों की लिंगीय प्रकृति पर हमेशा विचार करना महत्त्वपूर्ण है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन करने के लिए कारणों के संयोजन की आवश्यकता होती है। मूल विश्लेषणात्मक उपकरणों के अलावा सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए) सहभागिता के तरीकों का उपयोग करता है जो परियोजना कार्य की बेहतर समझ में योगदान करते हैं। परियोजना के स्वामित्व को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। परियोजना के निर्माण कार्य से लोगों के कुआं, ट्यूबवैल, पक्का निर्माण, पेड़–पौधे, फलदार पेड, विद्युत कनेक्शन एवं पाईपलाईन आदि को प्रभावित होना बताया गया। जो कि व्यक्ति, परिवार या समुदाय के लिए उपयोगी है। जिन किसानों की ज्यादा भूमि अवाप्ति में जाने वाली है वे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तौर पर ज्यादा प्रभावित होगें।

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन दल (एस.आई.ए.टीम) ने प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए साईट/स्थान का दौरा किया। क्षेत्र की पहचान करने के बाद, सर्वेक्षण दल ने परियोजना स्थल पर परिवार के मुखिया, स्थानीय व्यक्तियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सामुदायिक व्यक्तियों से चर्चाएँ की गई। एस.आई.ए. प्रक्रिया में शामिल/उपस्थित खातेदारों/ग्रामीणों के दृष्टिकोण और विचारों को जानने के लिए एफ.जी.डी. (फोकस ग्रुप डिस्कशन)/ बैठक आयोजित की गई। सर्वेक्षण दल ने उन हितधारकों के साथ बैठक भी आयोजित की है जो प्रभावित है। उनकी गणना करते हुए प्रभावित भू–स्वामियों की सूची का प्रमाणीकरण भी किया गया। प्रभावित भू–स्वामियों को परियोजना के बारे में जानकारी और सर्वेक्षण प्रक्रिया साझा की गई।

3.7 अध्ययन की सीमाएँ

संख्यात्मक डेटा संग्रह पद्धति की भी सीमाएँ हैं, जैसे नमूने की पर्याप्तता, उत्तरदाताओं का सहयोग, टीम का अनुभव और क्षेत्र में टीम के द्वारा पर्याप्त सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। कई बार क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां, पारिवारिक विवाद, कृषि कार्य होने एवं आकस्मिक समस्या की स्थिति में कुछ हितधारकों की अनुपस्थिति के कारण उनके विचारों एवं सूचनाओं का संग्रहण नहीं किया जा सकता है।

3.8 सर्वेक्षण पद्धति

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन करने के उद्देश्य के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सूचनाएँ एकत्र करने के कई तरीके हैं। आमतौर पर सर्वेक्षण पद्धति में निम्न विधियाँ शामिल है।

संख्यात्मक विधियाँ (Quantitative Method)

- भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण (अधिसूचना अनुसार)
- जनगणना आंकड़ों को एकत्र करना
- परिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण
- अन्य प्रशासनिक राजस्व रिकॉर्ड

गुणात्मक तरीके (Qualitative Method)

- साक्षात्कार
- फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफ.जी.डी.)
- रैपिड मूल्यांकन
- ग्राम बैठक / जन सुनवाई
- महिला बैठक / सम्पर्क
- सार्वजनिक ग्राम बैठक
- पी.आर.ए.

सामाजिक समाघात हेतु प्राथमिक स्तरीय सूचना संकलन विधा

I. गुणात्मक तरीके

(क) साक्षात्कार : एक प्रश्नावली जो परियोजना शुरु करने से पहले आधारभूत स्थितियों को जानने एवं समझने में सहायता करती है। प्रश्नों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति (धर्म, जाति, परिवार आकार, शिक्षा, कौशल, व्यवसाय और आय) के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। यह प्रश्नावली सरल भाषा में एवं महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित है।

(ख) फोक्स्ड ग्रुप डिस्कशन्स (एफजीडी) : एफजीडी में एक या एक से अधिक शोधकर्ता जांच के जरिए एक समूह चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं। समूह सदस्यों को विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस समूह में प्रतिभागियों द्वारा मुद्दों पर चर्चा की जाती है। शोधकर्ता द्वारा समूह के प्रतिभागियों से मुद्दों, मुख्य विषय के बारे में सामान्य चर्चाएँ की जाती हैं एवं लोगों की सक्रिय एवं सहयोगात्मक भागीदारी हो इसके लिए प्रेरित किया जाता है। समूह चर्चा के दौरान प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। एफजीडी के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ भी संकलित की जाती है ताकि लोगों की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों आदि का आकलन किया जा सके।

(ग) रैपिड़ मूल्यांकन : कभी–कभी 'रैपिड मूल्यांकन' (कई अलग–अलग नामों से ज्ञात) के रूप में जाना जाने वाला विधा उपयोगी हो सकती है। यह कम लागत वाली विधि महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ गहन साक्षात्कार / चर्चा पर आधारित है, जिसमें परियोजना सम्बन्धित मुद्दों के बारे में जानकारी संग्रहित की जाती है।

(घ) ग्राम बैठक / सुनवाई : ग्राम बैठक के द्वारा सूचनाओं के संकलन एवं बाधाओं को ज्ञात करने में आसानी रहती है। कई बार प्रभावित भू–स्वामी अपनी बात को कहने बताने में सक्षम नहीं होता है तब गांव के अन्य समझदार एवं सक्षम व्यक्ति उनकी बातों को अभिव्यक्त करने में मददगार साबित होते हैं। ग्राम स्तरीय समस्याओं का आकलन भी आसानी से हो पाता है क्योंकि सभी लोग सकारात्मक होकर भागीदारी निभाते हैं। कई बार असामान्य स्थिति में ग्राम बैठक कर लोगों की राय जानना परियोजना के हित में होता है।

(ड़) महिला बैठक / सम्पर्क : किसी भी परिवार के विकास एवं सम्पन्नता में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी एवं उनके परिवार पर भू–अर्जन के प्रभाव किस प्रकार के होंगे या उनके परिवार को कितना प्रभावित करेगा सभी जानना अनिवार्य है। महिला बैठक में उनकी राय लेते हुए उनके सुझावों को भी संकलित किया गया जोकि प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए राहत कार्य में मददगार होंगे। महिलाओं ने आजीविका के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जमीन किसी की भी जाये एवं कितनी भी जाये प्रभावित किसान की आय प्रभावित अवश्य होगी।

इसका कोई ठोस उपाय किया जाना चाहिये एवं उनको जमीन के बदले उचित मुआवजा राशि या राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों एवं प्रावधान अनुसार उचित राहत दिया जाना चाहिये।

(च) सार्वजनिक जन सुनवाई

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

प्रभावित परिवार की महिलाओं से भूमि अवाप्ति के बारे में विचार जानते हुए श्री जगदीश चौधरी एवं मांगीलाल छीपा

2013 की धारा 5 के अनुसार जब कभी धारा 4 के अधीन सामाजिक समाघात आकलन निर्धारण तैयार करवाया जाना अपेक्षित हो तो समुचित सरकार जन सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात् प्रभावित परिवारों के मत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में अभिलिखित किए जाने को अभिनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई का आयोजन सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक समाघात आकलन दल परियोजना और इसके संभावित प्रभावों, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों का वर्णन करती है और फिर सभी मुद्दों पर खुली चर्चा की अनुमति देती है। यह माना जाता है कि इस प्रकार की बैठक/जनसुनवाई में लोगों द्वारा परियोजना और इसके प्रभावों पर उपयोगी प्रतिक्रिया मिल सकती है जिससे प्रभावित लोगों को होने वाले नुकसान के बारे में समझ बनाती है। जन सुनवाई के दौरान प्रभावित भू–स्वामियों से मिलने वाले सुझाव/राय/मांग निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपयोगी एवं बेहतर साबित हो सकती है। लोगों से परियोजना और इसके प्रभावों के बारे में सही एवं तथ्यात्मक प्रतिक्रिया मिलती है जो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने एवं शमन योजना बनाने के लिए उपयोगी एवं बेहतर साबित होती है।

II. संख्यात्मक विधियाँ

(क) भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण : परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से खातेदारों/ हिस्स्ेदारों के लिए विस्थापन और आजीविका का नुकसान अलग–अलग प्रकार से होगा। भूमि अधिग्रहण के आकलन सर्वेक्षण में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है कि भूमि अवाप्ति से किस पर और कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकारी भूमि अभिलेख, उपयोग के नक्शे, सांख्यिकीय जानकारी और मौजूदा कानून और प्रशासनिक अभ्यास एकत्रित करके सूचनाएँ तैयार की जाती है। आमतौर पर भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण में केवल कानूनी शीर्षक वाले व्यक्ति शामिल है। गैर–शीर्षक वाले व्यक्ति (शेयर धारक, किरायेदारों, अनौपचारिक निवास) शामिल नहीं है। इसे अक्सर प्रभावित व्यक्तियों

की ''अधिकारिक'' सूची के रूप में जाना जाता है। सरकार के द्वारा उपलब्ध खातेदारी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन का आकलन किया गया। सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित परिवारों की भूमि खातेदारी रिकॉर्ड के अनुसार बताई गई जानकारी संकलित की गई।

(ख) जनगणना सर्वेक्षण : यह सबसे महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण है, क्योंकि यह उन लोगों की सटीक संख्या निर्धारित करने में मदद करता है जिन पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव होंगे। जनगणना सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी प्रभावित व्यक्तियों और संपत्तियों की एक सूची तैयार करना है, जो निम्न हैं:

- परियोजना क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण
- सभी प्रभावित संपत्ति की जानकारी
- सभी प्रभावित व्यक्ति की आय का स्तर और स्रोत और उन पर परियोजना के लिए उनकी भूमि अवाप्ति का असर/प्रभाव
- सर्वेक्षण में खातेदारी रिकॉर्ड अनुसार डेटा संग्रहण के लिए घर को मूल इकाई के रूप में माना।

(ग) सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण : यह अध्ययन प्रभावित जनसंख्या के महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करता है इसमें शामिल हैं: जनसांख्यिकीय विवरण (पारिवारिक आकार, लिंग अनुपात, साक्षरता/शिक्षा का स्तर, जाति, जनजाति, धर्म, लिंग, आयु–वर्ग और कमजोर समूहों की आबादी), सामाजिक आर्थिक उत्पादन प्रणाली, आय के स्रोत, महिलाएं आर्थिक गतिविधियां और आय, पैतृक संपत्ति प्रावधान और रीति–रिवाज, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर आदि।

तालिका 3.1 : निजी भूमि अवाप्ति की तीव्रता प्रभाव का वर्गीकरण

प्रभावित खसरों का विवरण						
क्र.सं.	**गाँव**	**0 से 25 प्रतिशत**	**26 से 50 प्रतिशत**	**51 से 80 प्रतिशत**	**80 प्रतिशत से अधिक**	**कुल**
1	सलारपुर	5	3	4	4	16

उपरोक्त तालिका 3.1 में प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना अन्तर्गत निजी भू–अवाप्ति की तीव्रता के प्रभाव के वर्गीकरण को दर्शाता है। प्रस्तावित प्रभावित कुल 16 निजी खसरा की भूमि परियोजना हेतु अवाप्ति के लिए प्रस्तावित है जिसमें 5 खसरा की 25 प्रतिशत तक, 3 खसरा की 26–50 प्रतिशत तक, 4 खसरा की 51–80 प्रतिशत तक एवं 4 खसरा की 80 प्रतिशत से भी अधिक भूमि परियोजना हेतु अवाप्त हो रही है। इस प्रकार प्रत्येक 4 खसरा की 51–80 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत से अधिक भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।

तालिका 3.2: भू–अवाप्ति से प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

क्र.सं.	कुल परिवार	0–25 प्रतिशत	26–50 प्रतिशत	50–75 प्रतिशत	75–100 प्रतिशत
1.	सलारपुर	14	15	6	5

उपरोक्त तालिका परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति के कारण प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। परियोजना प्रभावित 40 परिवारों में से 14 परिवारों की आर्थिक स्थिति पर 0–25 प्रतिशत, 15 परिवारों की 26–50 प्रतिशत, 06 परिवारों की 50–75 प्रतिशत एवं 05 परिवारों की 75–100 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ेगा।

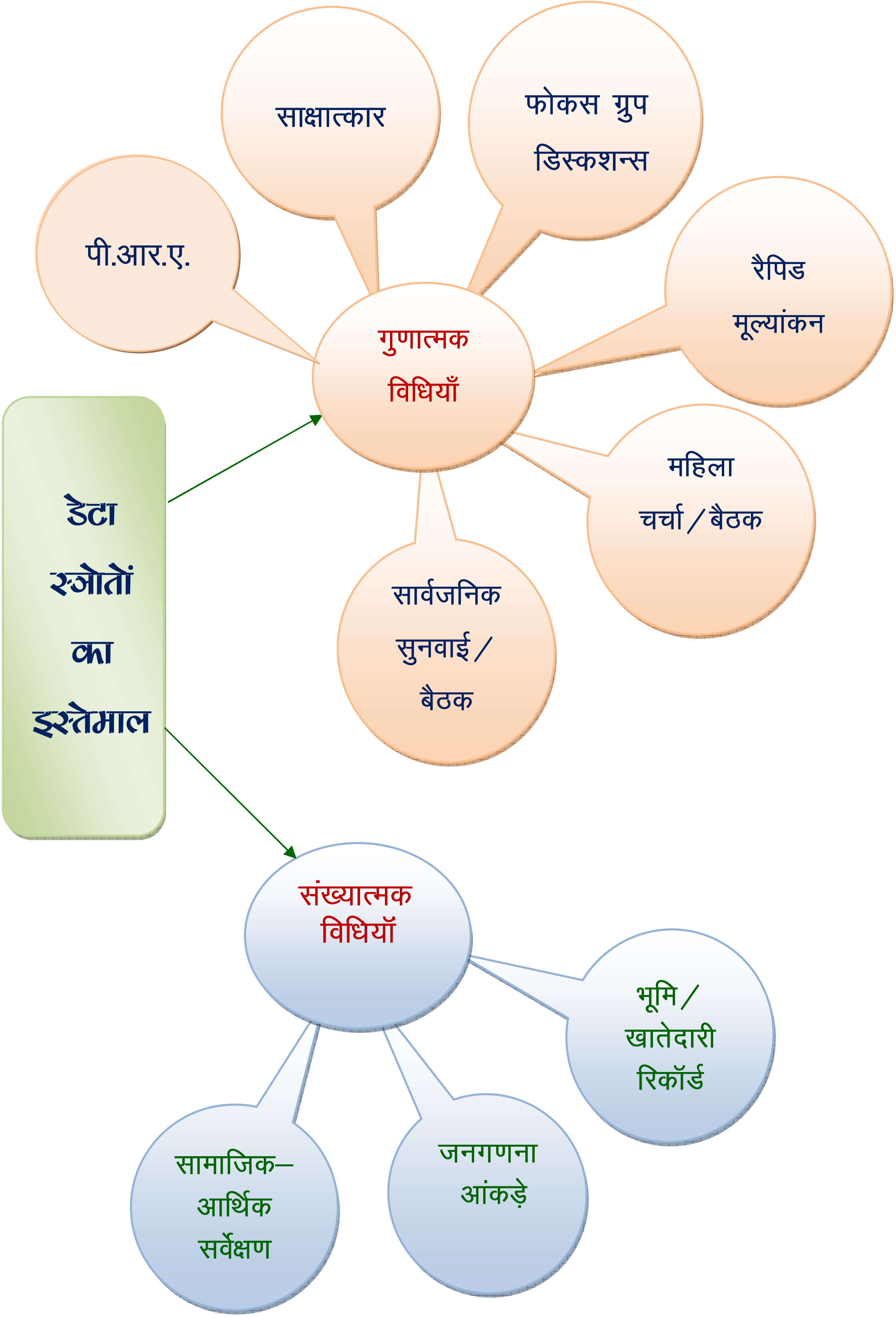
डेटा स्त्रोतों का इस्तेमाल
गुणात्मक विधियाँ
पी.आर.ए.
साक्षात्कार
फोकस ग्रुप डिस्कशन्स
रैपिड मूल्यांकन
महिला चर्चा/बैठक
सार्वजनिक सुनवाई/बैठक
संख्यात्मक विधियॉ
भूमि/खातेदारी रिकॉर्ड
जनगणना आंकड़े
सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण

3.9 एस.आई.ए. अनुसूची

तालिका 3.3 : ग्राम स्तर पर एस.आई.ए. अन्तर्गत गतिविधियों की अनुसूची

क्र.सं.	विवरणी	दिनांक
1.	ग्राम चर्चा एवं स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क	24 फरवरी, 2026 से 6 मार्च, 2026
2.	ग्राम बैठक	
3	सर्वेक्षण / परिवार सम्पर्क	
4	समूह बैठक / चर्चा	
5	पी.आर.ए, एफजीडी,	
6	जनसुनवाई कार्यक्रम	17 मई, 2026

अध्याय 4

भूमि की आवश्यकता एवं आकलन

4.1 भूमि की आवश्यकता और वर्तमान उपयोग

भूमि मात्र एक भौतिक या आर्थिक संपत्ति नहीं है; यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए आजीविका, सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक सुरक्षा का आधार है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमि कृषि, पशुपालन, वन–आधारित आजीविका, आवास और अंतर–पीढ़ीगत सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। लघु एवं सीमांत किसानों, अनुसूचित जनजातियों और भूमि पर निर्भर परिवारों जैसे कई कमजोर समूहों के लिए, भूमि का नुकसान सीधे तौर पर आजीविका विस्थापन, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक अलगाव और दीर्घकालिक गरीबी का कारण बनता है। इसलिए, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का कोई भी अधिग्रहण या हस्तांतरण दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम लाता है।

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव की भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव उन कृषक के लिए है जिनकी अवाप्ति के बाद शेष भूमि बचेगी। क्षेत्र में औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास से व्यवसाय एवं रोजगार के नये अवसर मिल सकेंगे। परियोजना के निर्माण कार्य से क्षेत्र में सुविधाओं की एवं भूमि की कीमतों में अभिवृद्धि होगी। नकारात्मक प्रभाव उन कृषकों पर पड़ेगा जिनकी पूरी या अधिकतम भूमि डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना हेतु अवाप्ति में जाएगी। उन्हें आजीविका के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्राथमिक हितधारक किसान/भू–स्वामी हैं जिनकी भूमि प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण तालिका 4.1 में है।

तालिका 4.1 : भूमि अवाप्ति का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	निजी भूमि		प्रस्तावित कुल अवाप्त रकबा (हेक्टेयर में)
		कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
1	सलारपुर	13.4865	4.1712	4.1712

(स्रोत : तहसील के पटवार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार)

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के लिए जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव में कुल 4.1712 हेक्टेयर निजी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।

भूमि अवाप्ति की विस्तृत जानकारी खातेदार/हिस्सेदार वार प्रपत्र सं–1 में संलग्न है।

परियोजना क्षेत्र में प्रभावित होने वाले सर्वाधिक खातेदार/हिस्सेदार अन्य पिछड़ा वर्ग (लगभग 88 प्रतिशत) के हैं। शेष प्रभावित समुदायों में अनुसूचित जाति के (12 प्रतिशत) परिवार हैं।

तालिका 4.2 : भूमि का आकलन

क्र.सं.	विवरण	वस्तु स्थिति/आज की स्थिति
1.	खसरा नक्शा और स्वामित्व के विवरण के साथ भूमि की सूची का विवरण	हाँ
2.	प्रभाव के क्षेत्र का सीमांकन	हाँ
3.	प्रस्तावित भूमि का स्थान/गांव	जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव
4.	प्रस्तावित भूमि की मात्रा का अधिग्रहण (कुल)	4.1712 (पटवार सर्वेनुसार हैक्टेयर)
5.	प्रस्तावित भूमि की मात्रा का अधिग्रहण (निजी)	4.1712 (पटवार सर्वेनुसार हैक्टेयर)
6.	वर्तमान उपयोग	कृषि कार्य के उपयोग में है।
7.	किसी व्यक्ति ने पहले से ही परियोजना के उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी, अलगाव, पट्टे या अधिग्रहित किया है।	नहीं
8.	यदि भूमि कृषि भूमि है, किसी भी सिंचाई कवरेज और फसल पैटर्न।	हाँ (गेहूँ, सरसों, जौ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, तिल, मोठ एवं ग्वार तथा सब्जियां आदि)
9.	प्रकृति और भूमि का वर्तमान उपयोग	बालू एवं दोमट मिट्टी है जो कृषि कार्य के लिए उपजाऊ है।

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

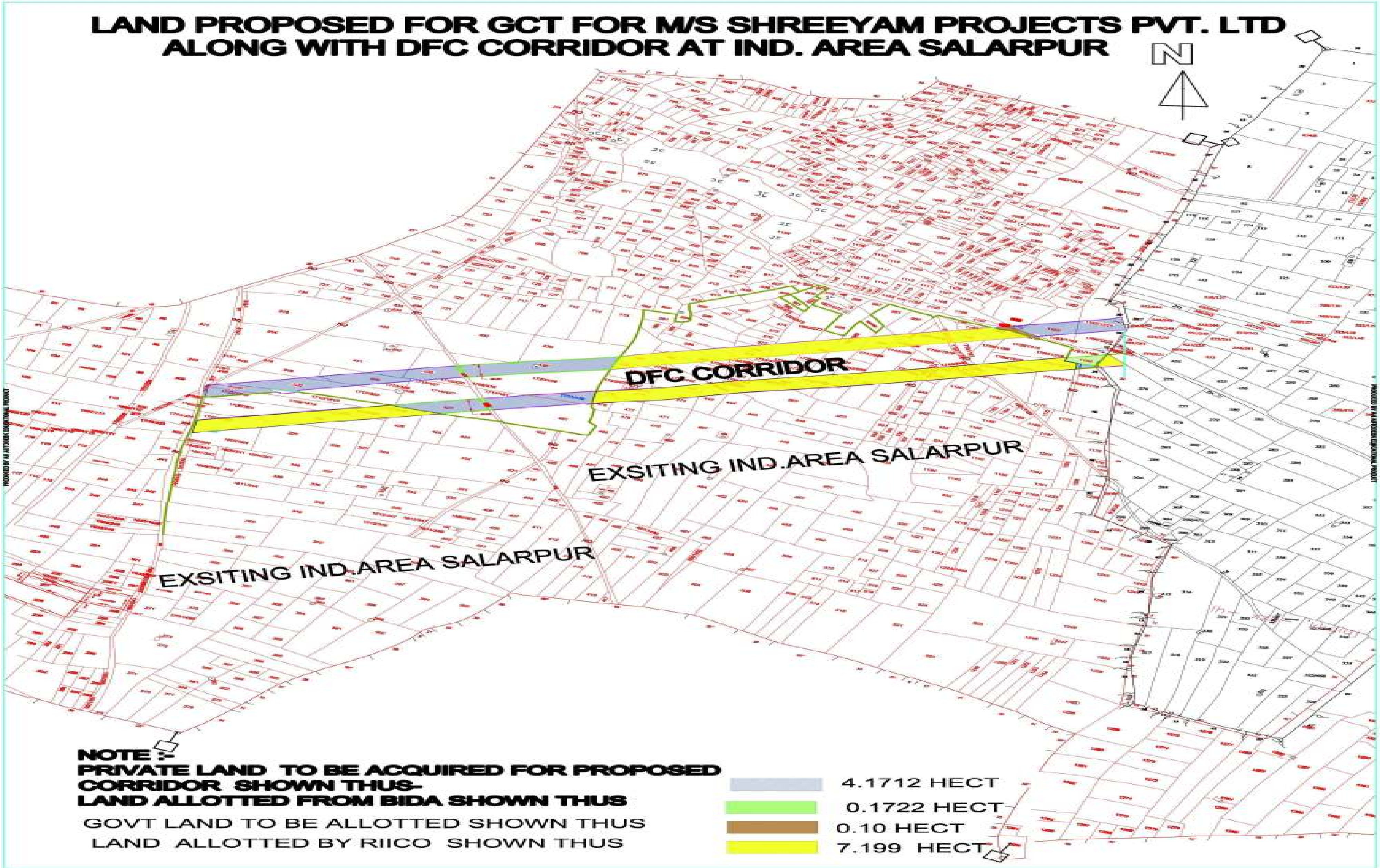

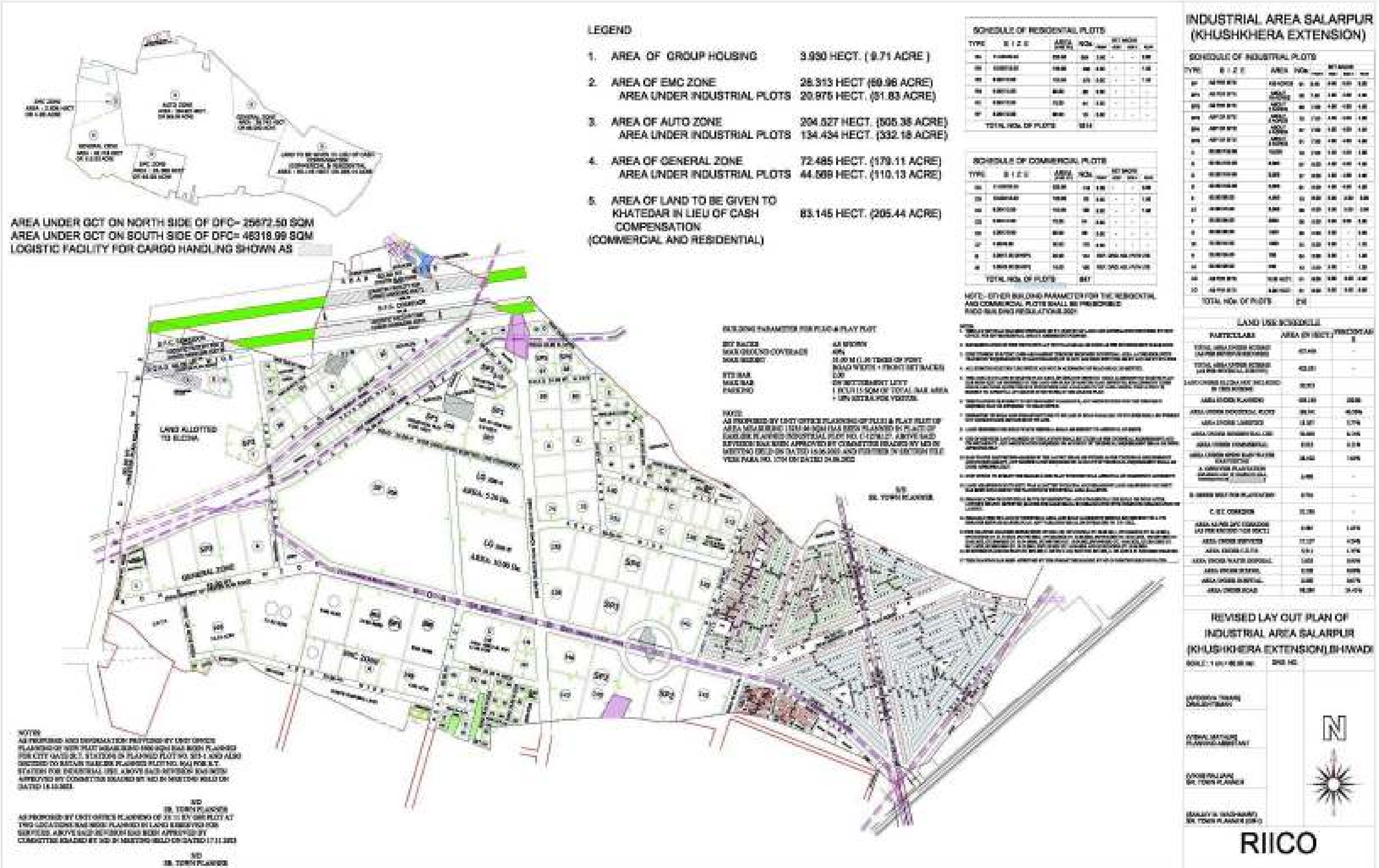
LEGEND
1. AREA OF GROUP HOUSING 3.930 HECT. (9.71 ACRE)
2. AREA OF EMC ZONE 28.313 HECT. (69.96 ACRE)
AREA UNDER INDUSTRIAL PLOTS 20.975 HECT. (51.83 ACRE)
3. AREA OF AUTO ZONE 204.527 HECT. (505.38 ACRE)
AREA UNDER INDUSTRIAL PLOTS 134.434 HECT. (332.18 ACRE)
4. AREA OF GENERAL ZONE 72.485 HECT. (179.11 ACRE)
AREA UNDER INDUSTRIAL PLOTS 44.569 HECT. (110.13 ACRE)
5. AREA OF LAND TO BE GIVEN TO KHATEDAR IN LIEU OF CASH COMPENSATION (COMMERCIAL AND RESIDENTIAL) 83.145 HECT. (205.44 ACRE)
AREA UNDER GCT ON NORTH SIDE OF DFC= 25672.50 SQM
AREA UNDER GCT ON SOUTH SIDE OF DFC= 46318.99 SQM
LOGISTIC FACILITY FOR CARGO HANDLING SHOWN AS
SCHEDULE OF RESIDENTIAL PLOTS
SCHEDULE OF COMMERCIAL PLOTS
SCHEDULE OF INDUSTRIAL PLOTS
LAND USE SCHEDULE
LAND ALLOTTED TO ELCINA
GENERAL ZONE
EMC ZONE
S/D
SR. TOWN PLANNER
INDUSTRIAL AREA SALARPUR (KHUSHKHERA EXTENSION)
REVISED LAY OUT PLAN OF INDUSTRIAL AREA SALARPUR (KHUSHKHERA EXTENSION),BHIWADI
N
RIICO

अध्याय–5

प्रभावित परिवारों और परिसम्पत्तियों का आकलन

5.1 प्रभावित परिवारों का विवरण

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 3 में प्रभावित परिवार की परिभाषा विस्तृत एवं समावेशी हैं। इसमें स्वत्वधारी तथा परम्परागत अधिकार अधिभोगी व्यक्तियों तथा परिवारों को सम्मिलित किया गया है। प्रभावित परिवार की कसौटी आजीविका तथा जीविकोपार्जन के संसाधन हैं। भूमि अवाप्ति के फलस्वरूप आजीविका खोने वाले परिवारों को प्रभावित परिवार माना गया है। इस प्रकार से प्रभावित परिवार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के पात्र होंगे। प्राथमिक हितधारक वे किसान/भू–स्वामी होंगे जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक सर्वेक्षण में पाया गया कि डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत निर्माण कार्य से भू–स्वामी प्रभावित हो रहे हैं।

क्र.सं.	विवरण	विवरण
क.	प्रभावित किसान/भू–स्वामी	जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव
1	जमाबंदी में नाम के अनुसार भूमि मालिक	हाँ, सूची संलग्न है।
2	क्या वहां किरायेदार हैं या अधिग्रहित होने वाली भूमि पर कब्जाधारी हैं।	नहीं
3	अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों ने अपने वन अधिकारों में से किसी को खो दिया है।	नहीं
4	आम संपत्ति, संसाधन जो उनकी आजीविका के लिए हैं भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे	हाँ (विद्युत लाईन एवं रास्ता)
5	अपनी भूमि किसी भी योजना के तहत सौंपी गई है और वह भूमि अधिग्रहण के अधीन है	नहीं
6	अधिग्रहण से 3 साल पहले आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रुप में अधिग्रहित होने वाली जमीन पर निर्भर है।	हाँ

5.2 एस.आई.ए. के तहत परिवार सर्वेक्षण

तालिका 5.1: परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण

उत्तरदाता का वर्गीकरण (प्रतिशत में)				
क्र.सं	गांव का नाम	पुरूष	महिला	कुल
1.	सलारपुर	52.4	47.6	100

तालिका 5.1 में प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित गांव में उपस्थित लोगों में 52.4 प्रतिशत पुरूष एवं 47.6 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

तालिका 5.2 : वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति (प्रतिशत में)					
क्र.सं.	गांव का नाम	विवाहित	अविवाहित	विधवा/ विधुर	कुल
1.	सलारपुर	71.4	25.4	3.2	100

तालिका 5.2 में गांवो ंके प्रभावित परिवारों की वैवाहिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में कुल उपस्थित लोगों में 71.4 प्रतिशत विवाहित, 25.4 प्रतिशत अविवाहित एवं 3.2 प्रतिशत विधवा/विधुर हैं।

तालिका 5.3: शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर (प्रतिशत में)												
क्र.सं.	गांव का नाम	निरक्षर	साक्षर	प्राथमिक	उ.प्राथमिक	सैकेन्डरी	हायर सैकेन्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	तकनीकी	बच्चे	कुल
1.	सलारपुर	9.5	3.2	11.1	13.5	15.1	18.3	11.9	4.8	1.6	11.0	100

तालिका 5.3 में प्रभावित परिवारों की शैक्षिक स्तर को दर्शाता है। प्रभावित गांव में कुल उपस्थित लोगों में 9.5 प्रतिशत निरक्षर, 3.2 प्रतिशत साक्षर, 11.1 प्रतिशत प्राथमिक, 13.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 15.1 प्रतिशत माध्यमिक, 18.3 प्रतिशत उच्च माध्यमिक, 11.9 प्रतिशत स्नातक, 4.8 प्रतिशत स्नातकोत्तर, 1.6 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा प्राप्त हैं एवं 11.0 प्रतिशत बच्चे हैं।

तालिका 5.4 : रोजगार की स्थिति

रोजगार की स्थिति (प्रतिशत में)				
क्र.सं.	गांव का नाम	हॉ	नहीं	कुल
1.	सलारपुर	62.7	37.3	100

तालिका 5.4 में प्रभावित गावं में परिवारों के रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में कुल परिवारों में 62.7 प्रतिशत लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं वहीं इन गांव में 37.3 प्रतिशत लोग रोजगार से नहीं जुड़े हैं क्योंकि वे 18 वर्ष से कम है या बुजुर्ग व गृहणी हैं।

तालिका 5.5 : मुख्य व्यवसाय

मुख्य व्यवसाय (प्रतिशत में)							
क्र.सं.	गांव का नाम	कृषि	कृषि/दैनिक मजदूरी	वेतनभोगी	स्वरोजगार	सरकारी नौकरी	कुल
1.	सलारपुर	87.6	1.2	2.5	7.5	1.2	100

तालिका 5.5 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के मुख्य व्यवसाय को दर्शाता है। प्रभावित गांव में कुल उपस्थित लोगों में से 87.6 प्रतिशत उत्तरदाता खेती, 1.2 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि/दैनिक मजदूरी, 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता वेतनभोगी, 7.5 प्रतिशत स्वरोजगार एवं 1.2 प्रतिशत सरकार में कार्यरत हैं।

तालिका 5.6 : आयु के अनुसार वर्गीकरण

आयु वर्गीकरण (वर्षों में) (प्रतिशत में)						
क्र.सं.	गांव का नाम	18 साल से कम	18 से 30	31 से 60	60 से अधिक	कुल
1.	सलारपुर	19.0	25.4	42.9	12.7	100

तालिका 5.6 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में कुल उपस्थित लोगों में से 19.0 प्रतिशत 18 वर्ष से कम आयु की, 25.4 प्रतिशत 18 से 30 वर्ष की आयु, 42.9 प्रतिशत 31 से 60 वर्ष की आयु, एवं 12.7 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

तालिका 5.7: सामाजिक समूह के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्र.सं.	गांव का नाम	अनु. जाति	अ.पि.वर्ग (ओ.बी.सी.)	कुल
1.	सलारपुर	12	88	100

तालिका 5.7 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के जाति वर्ग को दर्शाता है। प्रभावित गांव में कुल उपस्थित लोगों में अनुसूचित जाति का 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग का 88 प्रतिशत हैं। इस प्रकार से प्रभावित गांव में सबसे अधिक उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

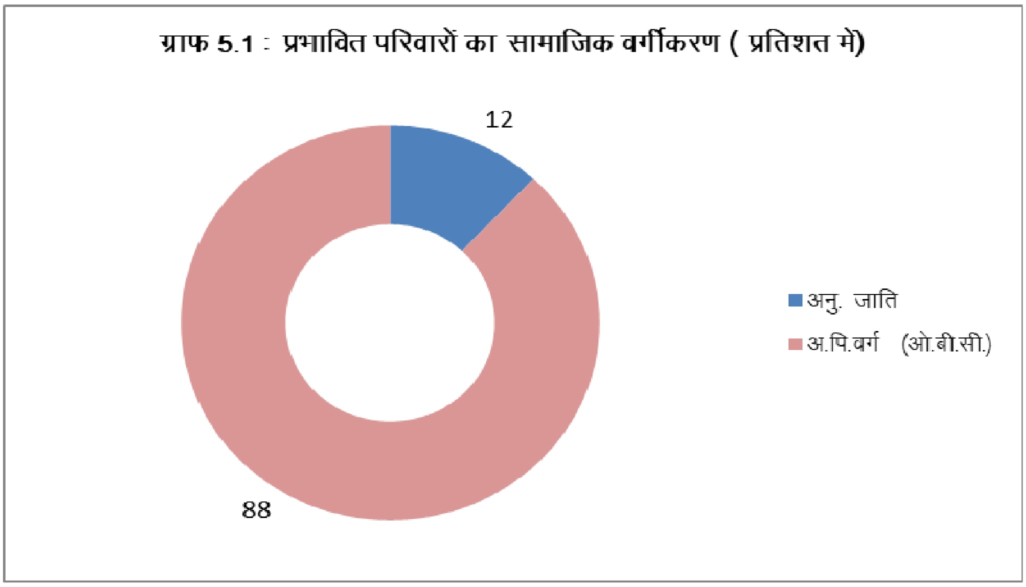

तालिका 5.8 : आय का स्तर

प्रभावित काश्तकार की सालाना आय (प्रतिशत में)						
क्र.सं.	गांव का नाम	60000 तक	60000-100000 लाख तक	1.0 – 2.0 लाख तक	2.0 लाख से अधिक	कुल
1.	सलारपुर	18.6	40.7	18.5	22.2	100

तालिका 5.8 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के वार्षिक आय के स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में 60,000 तक 18.6 प्रतिशत, 60000 से 1.00,000 तक 40.7 प्रतिशत, 1.00,000 से 2,00,000 तक 18.5 प्रतिशत तथा 2.0 लाख से अधिक आय वाले 22.2 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

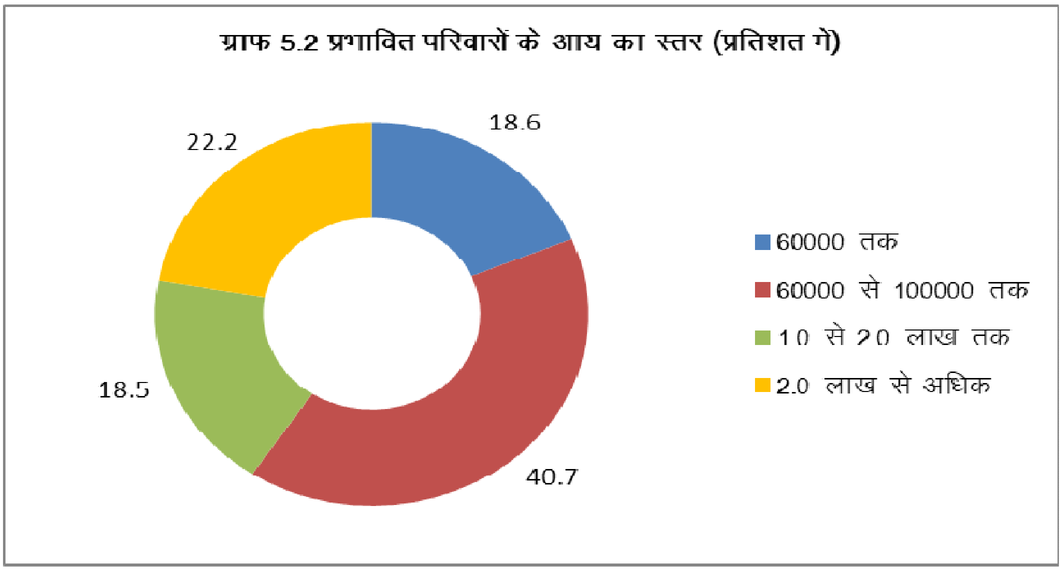

तालिका 5.9 : पशुधन का विवरण

क्र.सं.	गाँव	गाय	भैंस	ऊँट
1.	सलारपुर	33	31	1

तालिका 5.9 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के पशुधन स्वामित्व के विवरण को दर्शाता है। प्रभावित गांव में उत्तरदाता के कुल पशुधन स्वामित्व में से 33 गाय, 31 भैंस, 1 ऊँट, हैं।

तालिका 5.10: अन्य परिसम्पत्तियों का विवरण

क्र.सं.	गाँव	मोटर साईकिल	कार	गैस	टीवी	वाशिंग मशीन	मोबाईल	ट्रैक्टर
1.	सलारपुर	26	6	26	7	2	32	2

तालिका 5.10 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के अन्य परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के विवरण को दर्शाता है। प्रभावित गांव में उत्तरदाता के कुल अन्य परिसम्पत्तियों में से 26 दो पहिया वाहन, 6 चार पहिया वाहन, 26 गैस कनेक्शन, 07 टी.वी, 02 वाशिंग मशीन, 32 मोबाईल एवं 2 के पास ट्रैक्टर हैं।

अध्याय–6
प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 3 में प्रभावित क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए। परियोजना से प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण है जहां की जनसंख्या कृषि, मजदूरी एवं पशुपालन पर निर्भर है। कृषि सदैव से मानव समाज की आजीविका का स्रोत रही है। कृषि की परिभाषा मात्र खेती तक ही सीमित नहीं हैं। व्यापक रूप से कृषि में फसलों के उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन, फलोत्पादन तथा वृक्षारोपण भी सम्मिलित है। क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्ग जैसे सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ावर्ग एवं अनुसूचित जाति के परिवार निवास करते हैं किन्तु 88 प्रतिशत प्रभावित परिवार अन्य पिछड़ावर्ग के हैं। क्षेत्र में परिवारों की संरचना कुछ संयुक्त एवं कुछ एकल परिवार हैं। शिक्षा की स्थिति अच्छी है। परियोजना प्रस्तावित गांव एवं आसपास में राजकीय एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं निजी बी.एड कॉलेज उपलब्ध हैं। प्रभावित सभी परिवारों में शिक्षा का स्तर आरम्भ से ही अच्छा है जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त है। लड़के एवं लड़कियां सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली एवं भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से नजदीक होने के कारण शिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांव में स्वास्थ्य सुविधा हेतु उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुर्वेदिक अस्पताल उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महसरा में स्थित है जो गांव से 2 किमी की दूरी पर है। यह गांव राज्य का सीमावर्ती गांव है। गांव से 1 किमी के बाद हरियाणा राज्य आरम्भ हो जाता है जहां पर ग्रामीणों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है।

एस.आई.ए प्रतिनिधि को प्रभावित क्षेत्र का खातेदारों द्वारा मौका स्थिति से अवगत कराया गया

प्रभावित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रुप से कृषि आधारित है। परियोजना हेतु प्रस्तावित निजी भूमि कृषि योग्य है जिसमें खातेदार गेहूँ, सरसों, जौ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, तिल, मोठ एवं ग्वार तथा सब्जियां आदि की पैदावार करते हैं। प्रस्तावित परियोजना में चिन्हित अधिग्रहण हेतु खसरों के भू–स्वामी सामान्य व मध्यम श्रेणी के हैं। इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय खेती है। गांव के युवा आस–पास की फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं। प्रभावित परिवारों में कुछ लोगों सरकारी नौकरी एवं सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं।

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में लोगों की संस्कृति स्थानीय परम्पराओं, उत्सवों से जुड़ी हुई है। यहां के लोग पारम्परिक त्योहार, मेले व धार्मिक आयोजनों को सामूहिक रुप से मानते है। परियोजना क्षेत्र में लोग धार्मिक आस्था वाले है जोकि अपने–अपने तरीके से देव स्थान, मंदिर का निर्माण करते हैं एवं उनकी आराधना करते हैं। लोगों के रीति–रिवाज उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। लोगों में सामाजिक, आपसी मेल–जोल एवं सहयोग क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता है। परियोजना के निर्माण कार्य से प्रभावित होने पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्थिति बनती है उस स्थिति में लोगों की संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।

6.1 राजनीतिक संगठन

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कोई राजनीतिक संगठन नहीं है एवं प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

6.2 समुदाय आधारित या सिविल सोसाइटी संगठन

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कोई भी समुदाय आधारित या सिविल सोसायटी संगठन नहीं है।

6.3 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ (Local Economic Activities)

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत प्रस्तावित गांवो में परंपरागत रुप से लोगों के आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं नौकरी है। गांव के लोग मुख्यतः कृषि कार्य पर आधारित हैं एवं कृषि के प्रति गांव के लोग जागरुक हैं। एस.आई.ए. अध्ययन के दौरान देखा गया कि जमीन का उपजाऊ होना, सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग के कारण फसलों का उत्पादन अधिक हैं। गांव में गेहूँ, सरसों, जौ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, तिल, मोठ एवं ग्वार तथा सब्जियां आदि की पैदावार करते हैं। यहाँ की मिट्टी बालू एवं दोमट होने के कारण उपजाऊ किस्म की है जिसमें पैदावार अच्छी होती है। गांव के लोग पशुपालन में गाय, भैंस रखते हैं। पशुपालन को किसान अपनी पारिवारिक जरुरत मानते हैं।

प्रभावित परिवारों के आजीविका का द्वितीयक माध्यम दैनिक मजदूरी/कृषि मजदूरी है। अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अधिकतर परिवार साल में दो फसल का उत्पादन लेते हैं वहीं कुछ किसान तीसरी फसल साग–सब्जी के रुप में लेते हैं। प्रभावित परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हैं। किसानों की पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ एवं मध्यम है। लोगों के पास जोतों का आकार कम है तथा जमीन में हिस्सेदार होने के कारण कमाई का हिस्सा बंट जाता है। अगर आर्थिक पक्ष को देखा जाये तो **प्रथम पक्ष** यह है कि लोगों के पास भूमि औसत मात्रा में है। अधिकांश लोग खेती से होने वाली आय पर आश्रित हैं। **दूसरा पक्ष** यह है कि भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों के पास भूमि की मात्रा में कमी आयेगी। परिवार पर भूमि अधिग्रहण के प्रभाव को हम सामाजिक परिपेक्ष्य में देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि किसी भी परिवार की आय में कमी होने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है। जैसा कि लोगों द्वारा सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) के दौरान बताया कि क्षेत्र में सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति को लेकर समाज के लोगों का मत है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक जमीन/जोत है वह सम्पन्न परिवार माना जाता है और इसी आधार पर उस परिवार का सामाजिक स्तर माना जाता है। इस प्रकार सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अध्ययन में प्रभावित लोगों से यह सब जानने का प्रयास किया गया है कि परिवारों पर भूमि के अधिग्रहण के प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं।

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि कृषि योग्य है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के सदस्य अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर आश्रित हैं जिससे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होंगे। प्रस्तावित अधिग्रहित की जाने वाली

निजी भूमि की परिधि में सम्भवतः कुआं, ट्यूबवैल, पक्का निर्माण, पेड़–पौधे, फलदार पेड, विद्युत कनेक्शन एवं पाईपलाईन हैं जिनके प्रभावित होने की सम्भावना है।

6.4 पर्यावरण की गुणवत्ता

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति के पश्चात् इस परियोजना के निर्माण कार्य में विकास की गतिविधियां आरम्भ होगी एवं इस दौरान सम्भवतः बड़े–छोटे पेड़ परियोजना निर्माण के दौरान प्रभावित होंगे। इससे पर्यावरण को क्षति होगी। अतः उक्त मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे पौधे लगाये जाने हेतु कार्ययोजना का निर्माण भी किया जाना चाहिये। पर्यावरण एवं जैव विविधता की क्षति ऐसी क्षति है जिसका निवारण आवश्यक है एवं जितने पेड़ प्रभावित होंगे उससे चार गुणा तक नई योजना बनाकर नये पेड़ लगा कर उनकी उत्तर जीवितता सुनिश्चित किया जाना चाहिये क्योंकि पर्यावरण हेतु कोई मांग करने वाला नहीं है। अर्थात् सरकार को इसके लिए प्रभावी पहल कर नवीन पौधों के लगाये जाने हेतु प्रभावी रणनीति अवश्य बनानी चाहिये।

प्रभावित परिवार की आवासीय संरचना

किसानों/भू–स्वामियों ने अपनी बात/राय रखते हुए बताया कि डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के लिए जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव की कुल 4.1712 हेक्टेयर निजी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का नियमानुसार एवं भू–स्वामियों को भूमि अवाप्ति से हो रही क्षति को ध्यान में रखते हुए खातेदारों को क्षतिपूर्ति/भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

6.5 सामाजिक स्थिति

विकास परियोजनाओं के अंतर्गत होने वाले भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से पारंपरिक सामाजिक ढांचे के टूटने, पड़ोस एवं रिश्तेदारी के विघटन, सामुदायिक संस्थाओं से दूरी तथा आजीविका में परिवर्तन के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट की संभावना रहती है। कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, महिलाएं, विकलांगों एवं वृद्धजन पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है।

अतः सामाजिक प्रभाव आकलन के अंतर्गत प्रभावित आबादी की सामाजिक स्थिति का सम्यक आकलन आवश्यक है, ताकि संभावित सामाजिक जोखिमों की पहचान की जा सके तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर एवं सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित

करने हेतु उपयुक्त उपायों का प्रावधान किया जा सके। सलारपुर गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य एवं अनुसूचित जाति के हैं। पी.आर.ए. के दौरान प्रभावित खसरों के खातेदार/हिस्सेदार प्रभावित परिवारों से चर्चा की गई है। गांव में मकान अधिकांश पक्के एवं नये तरीके से बनये गये हैं जो सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त बने हुए हैं। गांव में सार्वजनिक चौक है जहां पर मुख्य चौपाल बनी है। गांव में स्वच्छता के प्रति सभी लोग जागरुक है एवं गंदे पानी की निकासी हेतु जमीन के अन्दर रास्ते के मध्य में नाली बनाई गई है। गांव में सभी समुदायों में एकता है और आपसी सामंजस्य एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण है। गांव के लोगों में नशा प्रवृत्ति अर्थात् गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी एवं सिगरेट का उपयोग नहीं करते हैं।

6.6 सांस्कृतिक गतिविधियाँ

सांस्कृतिक गतिविधियाँ किसी भी समुदाय की पहचान, सामाजिक एकता एवं परंपरागत जीवन–पद्धति का मूल आधार होती हैं। इनमें स्थानीय रीति–रिवाज, त्यौहार, मेले, लोक–नृत्य, लोक–गीत, धार्मिक अनुष्ठान, पारंपरिक कला एवं शिल्प, सामुदायिक उत्सव, विवाह एवं अन्य सामाजिक संस्कार सम्मिलित होते हैं। ये गतिविधियाँ न केवल सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि पीढ़ी–दर–पीढ़ी ज्ञान, मूल्य और परंपराओं के हस्तांतरण का माध्यम भी होती हैं।

विकास परियोजनाओं के कारण होने वाला भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन इन सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पारंपरिक स्थल, धार्मिक स्थान, सामुदायिक चौपाल, मेलास्थल एवं उत्सव स्थलों के नष्ट होने या स्थानांतरित होने से सांस्कृतिक निरंतरता में बाधा उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप समुदाय की सामाजिक संरचना कमजोर पड़ती है तथा सांस्कृतिक पहचान पर संकट उत्पन्न हो सकता है। गांव में बिजली की व्यवस्था है। गांव मे मंदिर भी है। गांव में लोग धार्मिक आस्था वाले हैं।

परचून एवं रोजमर्रा का सामान के लिए गांव में दुकाने हैं जहां पर सभी सामान मिलता है। अधिक मात्रा में सामान की आवश्यकता होने पर नन्दरामपुर, हरियाणा एवं टपूकड़ा से ही लाते हैं। गांव से लोग आने–जाने के लिए स्वयं के साधन का इस्तेमाल करते हैं।

प्रभावित गांव में सेवा प्रदाता के रुप में आंगनवाड़ी केन्द्र है जहां 6 वर्ष से छोटे बच्चों के शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का माध्यम भी है। सलारपुर गांव में सरकारी एवं निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है।

- गांव के घरों/परिवारों में चार पहिया वाहन/कार, जीप, मोटर साईकिल उपलब्ध हैं।
- समाचार एवं मनोरंजन हेतु गांव मे परिवारों के पास टेलीविजन व मोबाईल हैं।
- गांव में बीमार होने पर बीमार व्यक्ति को नन्दरामपुर एवं महसरा अस्पताल ले जाते हैं जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं निजी चिकित्सक भी हैं।
- ग्रामीण युवा सोशल मीडिया से काफी मुखातिब हैं।

त्यौहार– होली, दीपावली नवरात्रा, रक्षाबन्धन, संक्रान्ति सभी त्यौहार मनाते हैं। त्यौहारों पर लोग का खान पान पुड़ी, हलवा, खीर आदि बनाते हैं। वैसे भी भोजन परिवार की सक्षमता का भाग है जिस व्यक्ति एवं परिवार की सम्पन्नता अच्छी है उसी के आधार पर लोग घरों में अलग अलग भोजन बनाते हैं।

स्वास्थ्य व पोषण देखभाल

बीमारी में परिवार के लोग निजी एवं सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सलारपुर गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि लोग जापा कराने हेतु अस्पताल जाते हैं। कुछ लोग

प्राईवेट अस्पताल में भी ईलाज, जापा कराने के लिए जाते हैं। सामान्य बीमारी के लिए नन्दरामपुर, महसरा तथा टपूकड़ा स्वास्थ्य केन्द्र जाते हैं।

6.7 प्रभावित गांव की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा

तालिका 6.1: प्रभावित गांव का कोड

क्र.सं.	गांव का नाम	गांव कोड
1.	सलारपुर	072259

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

तालिका 6.2 : प्रभावित गांव का भौगोलिक क्षेत्रफल

क्र.सं.	गांव का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	सलारपुर	578.69

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

तालिका 6.3: प्रभावित गांव में कुल घर

क्र.सं.	गांव का नाम	कुल घर
1.	सलारपुर	451

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

तालिका 6.4 : प्रभावित गांव की कुल जनसंख्या

क्र.सं.	गांव का नाम	पुरूष	महिला	योग
1.	सलारपुर	1135	1027	2162

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

तालिका 6.5 : प्रभावित गांव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार

क्र.सं.	गांव का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1.	सलारपुर	356	3	451

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

तालिका 6.6 : प्रभावित गांव की साक्षरता दर (प्रतिशत में)

क्र.सं.	गांव का नाम	पुरूष	महिला	योग
1.	सलारपुर	88.74	67.5	78.49

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

तालिका 6.7 : प्रभावित गांव में (0–6 वर्ष) के बच्चों की संख्या

क्र.सं.	गांव का नाम	बालक	बालिका	योग
1.	सलारपुर	149	107	256

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

तालिका 6.8 : प्रभावित गांव में काम करने वाले की संख्या

क्र.सं.	गंव का नाम	मुख्य	सीमांत	योग
1.	सलारपुर	707	652	1359

Source: Census 2011, ORGI (District Abstract)

प्रभावित गांव की देशांतर, अक्षांशए , चौहद्दी एवं घरों की बनावट तालिका 6.9 में दिया गया है

तालिका 6.9: गांव की स्थिति

क्र.सं.	गांव की स्थिति	सलारपुर
1.	देशांतर (N)	76.77752
2.	अक्षांश (E)	28.140777
अ.	उत्तर	थड़ा

ब.	दक्षिण	खुशखेड़ा
स.	पूर्व	टपूकड़ा
द.	पश्चिम	नन्दरामपुर
4.	गांव में घरों की बनावट	पक्का

Source: Village Tool

6.10 गांव की अवस्थिति

प्रभावित गांव की प्रमुख प्रशासनिक संस्थाओं से दूरी का विवरण तालिका 6.10 में दिया गया है, तालिका से स्पष्ट है कि प्रभावित गांव की दूरी तहसील मुख्यालय से 06 कि.मी. है। बस स्टेशन से दूरी 06 कि.मी. तक है, रेलवे स्टेशन की दूरी. 26 कि.मी. है।

तालिका 6.10 : गांव की अवस्थिति

क्र.सं.	प्रशासनिक संस्थाओं से दूरी	सलारपुर (किमी)
1.	जिला मुख्यालय से दूरी	40
2.	तहसील मुख्यालय से दूरी	06
3.	नज़दीकी बस स्टेशन से दूरी	06
4.	रेलवे स्टेशन से दूरी	26
5.	राजमार्ग से दूरी	03

Source: Village Tool

6.11 आर्थिक संस्थाओं की दूरी

ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी क्रय/विक्रय समिति एवं नजदीकी बाजार के संबंध में तालिका 6.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.11: आर्थिक संस्थाओं की दूरी

क्र.सं.	आर्थिक संस्थाओं से दूरी	सलारपुर
1.	ग्रामीण बैंक	0
2.	सहकारी बैंक	–
3.	सहकारी क्रय/विक्रय समिति	–
4.	सरकारी बैंक	3
5.	नजदीकी बाजार	2

Source: Village Tool

6.12 सामाजिक/धार्मिक स्थल

प्रभावित गांव में सांस्कृतिक सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों/संस्थाओं की उपलब्धता एवं उपलब्ध न होने की स्थिति का विवरण तालिका 6.12 में दिया गया है।

तालिका 6.12: सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक संस्थाओं की उपलब्धता

क्र.सं.	संस्था/स्थल	सलारपुर
1.	मंदिर	हॉ
2.	मस्जिद	नहीं
3.	गिरिजाघर	नहीं
4.	गुरुद्वारा	नहीं
5.	खेल का मैदान	हॉ
6	मेला स्थल	हॉ
7	पुरूष सार्वजनिक शौचालय	नहीं

8	महिला सार्वजनिक शौचालय	नहीं
9	श्मशान	हॉ

Source: Village Tool

6.13 राजनैतिक/प्रशासनिक संस्थाएँ

प्रभावित गांव में राजनैतिक/प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की उपलब्धता का विवरण तालिका 6.13 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 6.13: राजनैतिक/प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं की दूरी

क्र.सं.	राजनैतिक/प्रशासनिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं से दूरी	सलारपुर
1.	पंचायत भवन	0
2.	डाकघर	3
3.	पुलिस स्टेशन	3
4.	जन वितरण प्रणाली दुकान की संख्या	0
5.	कुल वार्ड सदस्यों की संख्या	5

Source: Village Tool

6.14 शिक्षण संस्थाएँ

प्रभावित गांव में विभिन्न स्तर की सरकारी शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता का विवरण तालिका 6.14 में दिया गया है।

तालिका 6.14: शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता (सरकारी)

क्र.सं.	स्कूल/कॉलेज	सलारपुर
1.	प्राथमिक विद्यालय	–
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	–
3.	माध्यमिक विद्यालय	–
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	हॉ
5.	कॉलेज	–

Source: Village Tool

6.15 स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

प्रभावित गांव में चिकित्सा एवं पोषण सुविधाओं/सेवाओं की उपलब्धता का विवरण तालिका 6.15 में दिया गया है। प्रभावित गांव में सभी स्वास्थ्य सेवा 04 कि.मी. तक की दूरी पर उपलब्ध है।

तालिका 6.15: स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी

क्र.सं.	स्वास्थ्य सेवाओं से दूरी	सलारपुर
1.	आंगनबाडी केंद्र की संख्या	0
2.	उपस्वास्थ्य केन्द्र	0
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	4
4.	गैर सरकारी अस्पताल	1
5.	प्रशिक्षित चिकित्सक की उपलब्धता	4
6.	गांव में कुल आशा कार्यकर्ताओं की संख्या	1

Source: Village Tool

6.16 पेयजल स्रोत

प्रभावित गांव में पेयजल के स्रोतों का विवरण तालिका 6.16 में दिया गया है।

तालिका 6.16: गांव में पेयजल स्रोतों की स्थिति

क्र.सं.	पेयजल स्त्रोत	सलारपुर
1.	पाइप द्वारा जलापूर्ति	नहीं
2.	हैण्डपम्प	हॉ
3.	कुआं	नहीं
4.	निजी ट्यूबवेल	हॉ

Source: Village Tool

6.17 सिंचाई के स्रोत

प्रभावित गांव में सिंचाई के मुख्य स्रोतो का वर्गीकरण तालिका 6.17 में किया गया है। प्रभावित गांव में निजी नलकूप/टयूबवेल एवं कुआं से सिंचाई की जाती है।

तालिका 6.17: सिंचाई के स्रोत की स्थिति

क्र.सं.	सिंचाई के स्त्रोत	सलारपुर
1.	निजी नलकूप/टयूबवेल	हॉ
2.	कुआं	हॉ

Source: Village Tool

6.18 कृषि में बोयी जाने वाली फसलें

मुख्य फसलों के अनुसार प्रभावित गांव का विवरण तालिका 6.18 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि प्रभावित गांव में रबी की मुख्य फसलें गेहूँ, सरसो, जौ, खरीफ की मुख्य फसलें बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, मोठ, ग्वार एवं मूंग तथा जायद की मुख्य फसल सब्जियां प्रमुख है।

तालिका 6.18: कृषि में बोयी जाने वाली फसलें

क्र.सं.	विवरण	सलारपुर
अ	**रबी**	
1.	गेहूँ	**हॉ**
2.	सरसों	**हॉ**
3.	जौ	**हॉ**
4.	साग–सब्जी	**हॉ**
ब	**खरीफ**	
1.	बाजरा	**हॉ**
2.	ज्वार	**हॉ**
3.	मूंगफली	**हॉ**
4.	तिल	**हॉ**
5.	मोठ	**हॉ**
6.	ग्वार	**हॉ**
7.	मूंग	**हॉ**

Source: Village Tool

6.19 परिवहन के साधन

प्रभावित गांव में परिवहन के प्रमुख साधनों का विवरण तालिका 6.19 में दिया गया है। तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि प्रभावित गांव में साईकिल, मोटर साईकिल, ट्रेक्टर एवं कार उपलब्ध हैं।

तालिका 6.19: परिवहन के साधन (ग्रामीणों द्वारा अनुमानित संख्या)

क्र.सं.	विवरण	सलारपुर
1.	कार/जीप	हॉ
2.	साईकिल	हॉ
3.	मोटर साईकिल/स्कूटर	हॉ
4.	ट्रैक्टर	हॉ
5.	ट्रक	हॉ

Source: Village Tool

6.20 परिसंपतियों की संख्या

प्रभावित गांव में परिसंपतियों की संख्या का विवरण तालिका 6.20 में दिया गया है।

तालिका 6.20: परिसंपतियों की संख्या (ग्रामीणों द्वारा अनुमानित संख्या)

क्र.सं.	विवरण	सलारपुर
1.	मोबाईल	900
2.	टी.वी	220
3.	वाशिंग मशीन	45
4.	कम्प्यूटर	11

Source: Village Tool

6.21 पशुओं का विवरण

प्रभावित गांव में पशुओं का विवरण तालिका 6.21 में दिया गया है।

तालिका 6.21: गांव में पशुओं का विवरण (ग्रामीणों द्वारा अनुमानित संख्या)

क्र.सं.	विवरण	सलारपुर
1.	गाय	50
2.	भैंस	70

Source: Village Tool

6.22 स्थानीय जनप्रतिनिधियों/सरकारी कर्मचारी का विवरण

प्रभावित गांव में स्थानीय जनप्रतिनिधियों/सरकारी कर्मचारी का विवरण तालिका 6.22 में दिया गया है।

तालिका 6.22: स्थानीय जनप्रतिनिधियों/सरकारी कर्मचारी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	सलारपुर
1.	सरंपच का नाम	श्रीमती सुनीता यादव
2.	उप सरपंच का नाम	श्री नरेश कुमार
3.	पंचायत समिति सदस्य का नाम	वेदप्रकाश यादव
4.	पटवारी का नाम	योगराज यादव
5.	ग्राम सचिव का नाम	रामदयाल वर्मा
6.	आशा का नाम	बिन्दुरानी
7.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	कमलेश
8.	आंनगबाड़ी सहायिका का नाम	गीतादेवी
9.	ए.एन.एम का नाम	सुनीता
10.	स्कूल हेडमास्टर का नाम	नरेन्द्र कुमार शर्मा
11.	ग्राम सहकारी समिति सचिव का नाम	—

Source: Village Tool

6.23 पलायन की स्थिति

प्रभावित गांव में पलायन की स्थिति का विवरण तालिका 6.22 में दिया गया है।

तालिका 6.23: पलायन की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	सलारपुर
1.	गांव से स्थायी प्रवास	15 परिवार
2.	गांव से मौसमी प्रवास	नहीं

Source: Village Tool

अध्याय–7
सामाजिक समाघात आकलन

7.1 परिचय

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 4 के अनुसार जब कभी समुचित सरकार का, किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन का आशय हो, वह प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श से ऐसे रीति में और ऐसी तारीख से, जो उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तब सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराएगी।

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत सलारपुर गांव में भू–अवाप्ति प्रस्तावित है। परियोजना प्रभावित गांव में परियोजना के प्रभावों को हम किस प्रकार देखते हैं या गांव में परियोजना के प्रभावों किस प्रकार के होंगे इसके लिए सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन करना आवश्यक है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विकास और बेहतर विकास परिणामों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना है, न कि केवल नकारात्मक या अनपेक्षित परिणामों की पहचान या उनका निवारण करना। समुदायों और अन्य हितधारकों को विकास लक्ष्यों की पहचान करने में सहायता करना और सकारात्मक परिणामों को अधिकतम सुनिश्चित करना, नकारात्मक प्रभावों से होने वाले नुकसान को कम करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इस अध्याय के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों पर भूमि अवाप्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभावों को जानने का प्रयास किया है।

परियोजना के प्रभाव

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) निर्णय निर्माताओं को अपने कार्यों की संभावित नकारात्मक प्रभावों की अग्रिम जानकारी या पहचान करने में सहायता करता है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों पर जानकारी प्रदान करता है ताकि नकारात्मक प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए कम से कम समय में आवश्यक कदम उठाये जा सके या निर्णय लिया जा सके। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) से प्राप्त एवं संकलित सूचनाओं के आधार पर ही परियोजना में प्रभावों का निवारण कर प्रभावित लोगों को पूर्व की स्थिति में बहाल करना होता है।

किसी क्षेत्र में कोई परियोजना आरम्भ होती है तो उसके प्रभाव विभिन्न प्रकार से देखे जाते हैं। क्षेत्र में प्रभावों को सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय में किसी प्रकार का बदलाव ही सामाजिक प्रभाव को परिभाषित करता है। जैसे किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यों से, जहाँ लोग रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित करते हैं, सहयोग करते हैं और आम तौर पर समाज के सदस्यों के साथ अच्छे या बुरे कार्यों से सामना करते हैं। इसमें सांस्कृतिक प्रभाव भी शामिल हैं। जिनमें मानदंड़ों, मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन शामिल हैं, ताकि खुद को और उनके समाज की समझ और तर्क संगत तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं जिससे परिवर्तन प्रभावित होते हैं जैसे रोजगार, आय, उत्पादन, जीवनशैली, संस्कृति, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार, भय एवं आकांक्षाएँ आदि सामाजिक प्रभाव लोगों के सामाजिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण सुधार या नुकसान दे सकते हैं।

प्रभावों की पहचान करने के लिए ढ़ांचा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है।

चरण 1 : एस.आई.ए. टीम का निर्माण

चरण 2 : साहित्य समीक्षा

चरण 3 : विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक

चरण 4 : डाटा संग्रह (उपकरणः परिवार सम्पर्क, प्रश्नावली, एफजीडी, अनुसूची)

चरण 5 : डाटा प्रोसेसिंग

चरण 6 : रिपोर्टिंग

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 में भू–स्वामी के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी हैः–

(क) जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध; या

(ख) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2007 का 2) के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन वन अधिकार दिए गए है;या

(ग) जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अंतर्गत समनुदेशित भूमि भी है, पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार है; या

(घ) जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है;

भूमि अधिग्रहण से हितधारक (भू–स्वामी) प्रभावित होगा। चूंकि प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में कृषि/खेती है इसलिए भू–स्वामियों को कृषि भूमि के अतिरिक्त वृक्षों का भी नुकसान हो रहा है जिसमें फलदार वृक्ष भी शामिल है।

7.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना कार्य के तहत भूमि अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव निम्नानुसार होंगे।

(i) परियोजना पूर्व चरण के दौरान प्रभाव

(ii) परियोजना चरण के दौरान प्रभाव

परियोजना के अनुसार जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव के भू–स्वामियों की जमीन अधिग्रहण हेतु चिन्हित की गई है।

सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाना है और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना है। सामाजिक समाघात शमन हेतु उपाय परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किए जाएंगे।

(i) परियोजना पूर्व चरण के दौरान प्रभाव

इस चरण में भूमि अधिग्रहण करने सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित की जायेगी। यहां पर भू–स्वामी किसी भी प्रकार की खेती सम्बन्धी कोई गतिविधि करने की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात् हितधारक को इस समय में आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जिससे भू–स्वामी/खातेदार हिस्सेदार/परिवार पर कुछ समय के लिए नकारात्मक प्रभाव होते हैं। लोगों के सामने आजीविका की

चुनौती रहेगी। भूमि अधिग्रहण से लोगों की आय प्रभावित होगी एवं कृषि मजदूरी भी नहीं मिल पायेगी। रोजगार के अभाव में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की आय में कमी आयेगी। जमीन की अवाप्ति को लेकर मन में संशय बना रहेगा एवं कृषि कार्य भी बाधित होगा। भूमि अवाप्ति को लेकर लोगों के मन में शंकाएँ, डर, भय एंव मानसिक दबाव रहेगा।

परियोजना चरण के दौरान प्रभाव

परियोजना चरण के दौरान ग्रामीणों से चर्चाएँ कर इसके विभिन्न प्रभावों को पहचाना गया है। इस चरण में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। प्रस्तावित तकमीना/ड्राईंग के अनुसार जो भूमि अधिग्रहण की जाती है कई बार भू–अवाप्ति के कारण हितधारक कृषि करने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। अर्थात् हितधारक को इस समय में केवल मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है एवं असमंजस की स्थिति में रहता है। लोगों का यह मानना है कि यहां पर भूमि अधिग्रहण के बाद जिन भू–स्वामियों की शेष भूमि है उस पर ही गुजर बसर करना होगा एवं पूर्व की स्थिति में बहाल होने में भी समय लगेगा। काश्तकार द्वारा भूमि अवाप्ति के दौरान कृषि नहीं कर पाने से फसल के रुप में नुकसान का लोगों द्वारा अनुमान है। भूमि अवाप्ति के दौरान लोगों के लगाये गये फलदार एवं छायादार पेड़–पौधों का नुकसान होगा।

तालिका 7.1 : परियोजना के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का आकलन

विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
परियोजना पूर्व चरण	• जमीनों के भाव/कीमत में अभिवृद्धि होना।	• भूमि अधिग्रहण की समस्या एवं मन में संशय रहना। • फसल उत्पादन मे कमी होना। • कम भूमि का बचना जिससे आय का प्रभावित होना। • पेड़–पौधों का नुकसान जिसमें फलदायी एवं छायादार पौधें भी शामिल है।
परियोजना चरण	• व्यवसाय के नये रास्ते खुलेंगे। • औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास से व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर मिलना। • आय में अभिवृद्धि से सामाजिक स्तर में सुधार होना। • भूमि की बाजार कीमत में अभिवृद्धि होना।	• भूमि अधिग्रहण के बाद भूमि की मात्रा कम होना। • खेती हेतु भूमि कम होने के कारण आय में कमी होना। • सार्वजनिक रास्ता का प्रभावित होना। • पेड़–पौधों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान।

अध्याय–8
भूमि अधिग्रहण पर लाभ एवं सिफारिश

8.1 परियोजना पृष्ठभूमि

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का एकमात्र उद्देश्य भूमि अधिग्रहण है, इसलिए अधिनियम के अर्थ में भूमि शब्द को समझना अनिवार्य है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 में कृषि भूमि से निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है, (i) कृषि या उद्यान कृषि; (ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कट–पालन उद्योग, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी–बूटियां (iii) फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पाद और (iv) पशुओं के चारागाह के लिए उपयोग में लाई गई भूमि।

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) के अनुसार हम देखें तो ज्ञात होगा कि प्रभावों को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही ओर से देखा जाना चाहिये। सामान्यतः किसी भी प्रभाव को देखने का तार्किक आधार यह है कि प्रभाव सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए कितना नुकसान दे सकते हैं एवं नकारात्मक प्रभाव कहीं सकारात्मक से अधिक तो नहीं है। डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत सलारपुर गांव में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। जब कभी कोई परियोजना का क्रियान्वयन होता है तो उसे एक नजर से नहीं देखा जाना चाहिये। परियोजना लागत और विभिन्न चरणों, मूल डिजाइन सुविधाओं, प्रस्तावित बुनियादी सुविधाओं, कार्यबल आवश्यकताओं (अस्थायी और स्थायी), आउटपुट, जोखिम, उत्पादन लक्ष्य आदि की अनुपलब्धता के कारण एक विस्तृत सामाजिक लागत और लाभ विश्लेषण प्रदर्शन नहीं किया गया है, हालांकि इस परियोजना से उत्पन्न होने वाले कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को तालिका में दर्शाया गया है।

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत एस.आई.ए. के दौरान स्थानीय एवं प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा चर्चा के दौरान बताये गये सम्भावित लाभ निम्नानुसार होंगे।

- **कम लॉजिस्टिक्स लागतः** वर्तमान में फैक्ट्रियों से माल बंदरगाहों (Ports) तक भेजने के लिए ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रेन के जरिए थोक में माल भेजने से परिवहन लागत में 20% से 30% तक की कमी आ सकती है।
- **समय की बचतः** DFC (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) पर मालगाड़ियाँ 70–100 किमी/घंटा की गति से चलती हैं। इससे माल की डिलीवरी का समय आधा रह जाएगा।
- **सीधी पोर्ट कनेक्टिविटीः** भिवाड़ी का माल सीधे मुंद्रा और कांडला (गुजरात) या JNPT (मुंबई) बंदरगाहों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सकेगा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- **नया निवेशः** बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा देखकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां (MNCs) भिवाड़ी और सालारपुर क्षेत्र में अपनी इकाइयाँ लगाने के लिए आकर्षित होंगी।
- **रियल एस्टेट में उछालः** औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में गोदामों (Warehousing), कमर्शियल स्पेस और आवासीय कॉलोनियों की मांग बढ़ेगी।
- **रोजगार के अवसरः** टर्मिनल के संचालन, माल की लोडिंग–अनलोडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- **छोट और मझोले उद्योग** (MSMEs): सलारपुर और भिवाड़ी के छोटे उद्योगों को अपना माल देश के दूसरे कोनों (जैसे दक्षिण या पूर्वी भारत) में भेजने के लिए सस्ता विकल्प मिलेगा।
- क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार से स्थानीय परिवार खेती से व्यापार की तरफ बढेंगे।

- **राजस्व में वृद्धि**: इस कॉरिडोर के सक्रिय होने से राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन को टैक्स और लेवी के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग क्षेत्र की सड़कों और बिजली व्यवस्था को सुधारने में किया जा सकता है।

तालिका 8.1 : परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

क्र.सं.	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव	टिप्पणी
1.	परियोजना (डीएफसी) के बाद भू–स्वामियों को व्यवसाय के बेहतर अवसर मिलेंगे।	भूमि के अधिग्रहण से खेती योग्य भूमि में कमी आयेगी।	एफ.जी.डी. के दौरान सूचना संकलन करते समय लोगों द्वारा बताया गया है।
2.	परियोजना (डीएफसी) के बाद जमीन की कीमतों में वृद्धि होगी	सामान्य वृक्षों का नष्ट होना ।	
3.	स्थानीय निवासियों/लोगों को छोटे–मोटे व्यवसाय के व्यापक अवसर मिलेंगे।	आंशिक तौर पर लोगों की आजीविका प्रभावित होना।	
4.	आवागमन की सुविधाओं में वृद्धि होगी		

तालिका 8.2 : संभावित प्रभावों की सूची

कारक	प्राथमिक हितधारकों पर प्रभाव	द्वितीयक हितधारकों पर प्रभाव
गांव	डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत सलारपुर गांव के भू–स्वामियों की भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव।	• पर्याप्त सुविधा के कारण अन्य किसानों की शेष जमीन का मूल्य बढ़ जाना।
भूमि	उपर्युक्त गांव के खातेदार/परिवारों की कृषि भूमि अधिग्रहण में जाने का प्रस्ताव है।	• द्वितीयक हितधारकों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना। • जमीन का मूल्य बढ़ जाना।
मकान	आवासीय संरचना प्रभावित नहीं हो रही है।	
आजीविका और आय	• भूमि अधिग्रहण के कारण कुछ समय के लिए आजीविका की चुनौती होना। • एक व्यवसायिक संरचना (होटल) का प्रभावित होना जिससे आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा।	• ढ़ांचागत सुविधाओं के विकास से आय में वृद्धि होना।
निजी सम्पत्ति	कुआं, ट्यूबवैल, पक्का निर्माण, पेड़–पौधे, फलदार पेड, विद्युत कनेक्शन एवं पाईपलाईन का प्रभावित होना।	–
सार्वजनिक सम्पत्ति	रास्ता एवं बिजली लाईन का प्रभावित होना।	–
स्वास्थ्य	कुछ समय के लिए मानसिक पीड़ा होगी।	–
सांस्कृतिक और सामाजिक एकजुटता	नहीं	–

8.2 प्रस्तावित भूमि अवाप्ति के कारण परिवार पर पड़ने वाले सामाजिक व आर्थिक भार

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत सलारपुर गांव में 16 खसरा के भू–स्वामियों की भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। सलारपुर गांव तहसील मुख्यालय से 06 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से लगभग 40 कि.मी. दूरी पर है। सभी सम्भावित प्रभावित परिवार जिनकी जमीन अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है वे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तौर पर प्रभावित होंगे। जिन लोगों की जमीन अधिक जायेगी उनके आर्थिक रुप से प्रभावित होने की सम्भावना अधिक है।

8.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता (The Nature and Intensity of Social Impacts)

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण कार्य परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति दौरान प्रभावित परिवारों के प्रभावों की गणना, घरेलू सर्वेक्षण, स्वयं रिपोर्ट सूचना, सामूहिक चर्चा, शोधकर्ता के अवलोकन, स्थानीय मुख्य व्यक्तियों जैसे–सरपंच, पटवारी व ग्राम सेवक आदि तथा अधिग्रहणकर्ता विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर सामाजिक प्रभावों का आकलन किया गया। सामाजिक समाघात आकलन अनुसंधान दो भाग में बांट कर किया गया है– पहले भाग में प्रभावित क्षेत्र की पृष्टभूमि जैसे जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतों से संबंधित सूचनाओं को लिया गया तथा दूसरे भाग में लोगों के जीवन स्तर में प्रभाव से संबंधित विभिन्न तरह की सूचनाओं को भी लिया गया। जनसांख्यिकीय संकेतो के अंतर्गत आय, व्यय, नौकरी, आय के स्त्रोत, पलायन, स्थानीय सरकारी सुविधाओं आदि से सम्बंधित सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभाव के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्थानीय एवं भौतिक संसाधनों पर प्रभाव, आजीविका प्रभाव तथा भूमि पर प्रभाव के बारे में सूचनाओं का संकलन किया गया। प्रभावों की गणना दोनों पहलुओं (सकारात्मक तथा नकारात्मक) के आधार पर की गई है। इस परियोजना से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई मांगों पर भी चर्चानुसार नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक समाघात शमन योजना की भी चर्चा की गई। भूमि अधिग्रहण की तीव्रता को सामाजिक समाघात शमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन से कम किया जा सकता है।

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना भूमि अधिग्रहण पर अंतिम निष्कर्ष हेतु अनुशंसा

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत सलारपुर गांव में 16 खसरा के भू–स्वामियों की भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। सभी अपनी भूमि पर काश्त करते हैं। प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत निजी खसरा के खातेदार हिस्सेदार परिवारों की भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है जिससे निजी खसरा के खातेदार हिस्सेदार लोग प्रभावित होंगे। प्रभावित किसानों का यह भी कहना है कि अगर क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि अवाप्त की जानी है तो उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए एवं उचित मुआवजे की मांग की गई। जिससे हम पूर्व की स्थिति में बहाल हो सकें। जमीन की मांग अधिक होने के कारण क्षेत्र में जमीन की उपलब्धता नहीं है। उपरोक्त कारणों से प्रभावित परिवारों को निकटतम क्षेत्र में जमीन खरीदना मुश्किल होगा।

इस प्रकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 में भूमि अर्जन के तहत पुनर्वासन की प्रक्रिया को इस तरीके से बनाया गया है कि प्रभावित व्यक्ति प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित नहीं हो और उनकी स्थिति बेहतर हो या कम से कम वे अपने पिछले जीवन स्तर और आय एवं उत्पादन के स्तर को बनाये रखें। आरआरएफसीटीएलएआरआर, नियम, 2016 के तहत यह प्रयास भी है कि पुनर्वासन से निर्भरता कम हो एवं सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत रुप से लोग आत्मनिर्भर हो।

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना कार्य हेतु आवश्यकतानुसार एवं मौजूद विभिन्न फैक्टर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम निजी भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया है। सामाजिक समाघात प्रभाव निर्धारण अध्ययन अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य में जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव के प्रभावित भू–स्वामियों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उनको क्षतिपूर्ति / उचित मुआवजा तथा सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं से सहयोग की सिफारिश की जाती है।

अध्याय–9
सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.)

9.1 दृष्टिकोण

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के तहत किए गए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का एक अभिन्न अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण और परियोजना कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को रोकना, कम करना, उनका निवारण करना और उनका प्रबंधन करना है, साथ ही प्रभावित परिवारों और समुदायों के लिए सकारात्मक परिणामों को बढ़ाना है। सोशल इम्पेक्ट मिटिगेशन प्लान (एस.आई.एम.पी.) में राहत, निगरानी और संस्थागत उपाय शामिल है, जिसे परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत यह सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) तैयार की गई है जिससे नकारात्मक (Negative) प्रभाव को खत्म या कम किया जा सके तथा साथ–साथ सकारात्मक (Positive) प्रभाव को महसूस किया जा सकता है।

9.2 प्रभाव से बचने, प्रतिकर करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

(1) सामाजिक उपाय

- राजस्थान राज्य में भूमि विभाजन को लेकर आज भी बंटवारा मौखिक रुप से ही किया जाता है। परिवार के लोग मौखिक रुप से हुए बंटवारे के अनुसार भूमि पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन जब कभी सरकार किसी विकास कार्य के लिए भूमि अवाप्त करती है तो पारिवारिक, सामाजिक विवाद की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार के तमाम मतभेद/विवादास्पद मामलों में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी/भू–अवाप्ति अधिकारी को समस्या निवारण हेतु निर्देशित कर विवादों का निवारण कराया जाना चाहिये। अन्त में यह सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी मालिकों को क्षतिपूर्ति/उचित मुआवजा दिया जावे।

- महिलाओं, विकलांगो एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास उनकी निर्णय लेने में भागीदारी को सुनिश्चित करके, परम्परागत कौशलता को बेहतर बनाकर एवं नये कौशल का विकास के द्वारा किया जाना चाहिये।

- परियोजना प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण के समय, कुल मुआवजे की राशि, भुगतान की विधि आदि के बारे में स्पष्ट रूप में संवाद करने की आवश्यकता है। बीच में किसी भी मध्य पुरुष/बिचौलियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए।

(2) पुनर्वासन उपाय

- परियोजना हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण में आवासीय संरचनाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं अतः पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) पुनर्व्यवस्थापन उपाय

- भूमि अवाप्ति पश्चात् परियोजना से प्रभावित परिवारों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जावे ताकि वह अपना जीवनयापन कर सके। कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ–साथ पर्याप्त आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होगी।

- परियोजना संचालन/निर्माण चरण के दौरान गांव के प्रभावित परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना चाहिये क्योंकि परियोजना निर्माण के पश्चात् भूमि कम हो जायेगी। रीको/सरकार द्वारा परियोजना के संचालन में उनकी योग्यतानुसार रोजगार दिया जाना चाहिए।

(4) सार्वजनिक सेवाओं एवं सामाजिक संस्थान के उपाय

- परियोजना निर्माण अन्तर्गत सार्वजनिक रास्ते एवं बिजली लाईन प्रभावित होंगी। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

- सामाजिक आस्था के मंदिर भी प्रभावित होंगे उस पर भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) आर्थिक उपाय

- परियोजना द्वारा कृषि भूमि की अवाप्ति से प्रभावित परिवारों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 (RRFCTLARR, 2016) के तहत क्षतिपूर्ति/उचित मुआवजा दिया जावे।

- निर्माण चरण के दौरान विभाग/ठेकेदार द्वारा किसानों की कृषि भूमि पर खुदाई एवं निर्माण के दौरान फैलाई गई सामग्री एवं मिट्टी समतल किया जाना चाहिये।

- परियोजना के निर्माण चरण में गांव के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना चाहिये ताकि प्रभावित परिवारों का किसी हद तक आर्थिक रुप से पुनर्भरण किया जा सके।

- गांव में लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों जैसे ट्रैक्टर, जेसीबी आदि को भी परियोजना में अवसर दिया जाना चाहिये ताकि लोगों को मदद मिल सके।

(5) पर्यावरणीय उपाय

- परियोजना निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई होगी। अतः उसके निवारण हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा पेड़ लगाये जाने की योजना निर्माण कर क्रियान्वित कराया जाना चाहिये।

- परियोजना के निर्माण चरण के दौरान कम से कम प्रदूषण के स्तर को बनाये रखने के लिए भी निर्णय लिया जाना चाहिए।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना (Rehabilitation & Resettlement Planning- R & R)

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जिन भू–स्वामियों की कृषि भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है उनसे होने वाली क्षति के बारे में चर्चाएँ की गई। इस भू–अवाप्ति से जिला खैरथल–तिजारा की तहसील टपूकडा का सलारपुर गांव की मुख्य खातेदारी के खातेदार/हिस्सेदार भिन्न–भिन्न प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावित खातेदारी में लोग कृषि कार्य कर रहे हैं जो लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित खसरों में 6 परिवारों की 56 प्रतिशत एवं 5 परिवारों की 80 प्रतिशत से अधिक भूमि का रकबा प्रभावित हो रहा है। जो भूमि अधिग्रहित की जाने वाली है उसमें 80 प्रतिशत से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के खातेदार प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित

खातेदारों को राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से होने वाली क्षति पूर्ति हेतु लोगों से चर्चा करते हुए एक राहत योजना/प्रबन्धन योजना भी तैयार की गई।

इस प्रकार खातेदारों को भूमि अधिग्रहण से होने वाले नुकसान/क्षति को कम करने के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में शामिल किया जाना है। प्रतिकूल प्रभावों के निवारण हेतु रणनीति प्रस्तुत की गई है। यह बहुत स्पष्ट है कि वर्ग अनुसार खातेदारों के पुनर्व्यवस्थापन की योजना की अनुपालना आवश्यक है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में छोटी सी चूक कालान्तर में नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। कई बार भूमि विभाजन को लेकर परिवारों में मौखिक रुप से बंटवारे कर दिये जाते हैं। कभी कभी कुछ परिवारों में भूमि विभाजन को लेकर विवादास्पद स्थितियां बन जाती हैं। नियम व अधिनियम अनुसार लोगों का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (Rehabilitation & Resettlement- R&R) इस प्रकार हो कि इसके सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact) परिवार/लोगों पर हो।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत प्रभावित लोगों से चर्चा कर उनके विचार अनुसार एस.आई. एम.पी तैयार किया गया है। जो लोगों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में मददगार हो सकता है।

तालिका 9.1 : विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण और उनके प्रस्तावित उपाय

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभाव की स्थिति	प्रस्तावित शमन योजना
1	भूमि का नुकसान	खैरथल–तिजारा **जिला तहसील** टपूकडा **सलारपुर–40**	इस प्रकार खैरथल–तिजारा **जिला** के प्रस्तावित 16 खसरा में से प्रत्येक 4 खसरा की 51–80 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत से अधिक भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।	• राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत प्रावधान अनुसार राहत प्रदान कराना।
2	बिल्ट–अप प्रोपर्टी का नुकसान	नहीं	–	–
3	उत्पादक सम्पत्ति का नुकसान	हाँ	होटल का प्रभावित होना।	• राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत प्रावधान अनुसार राहत प्रदान कराना।
4	आजीविका का नुकसान	कृषि भूमि अधिग्रहण से कृषि कार्य प्रभावित होगा। जिससे कुछ समय के लिए आय भी प्रभावित होगी।	हाँ	• कृषि भूमि अधिग्रहण से कुछ समय के लिए आय नहीं होने पर प्रभावित खातेदारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना। • प्रभावित परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
5	सार्वजनिक उपयोगिता की चीजों की हानि	मंदिर, रास्ता एवं बिजली लाइन	हाँ	• राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत

				प्रावधान अनुसार कार्यवाही कराना।
7	सांस्कृतिक गुणों में नुकसान	नहीं	–	–

सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी) हेतु ग्राम स्तरीय बैठक

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) के दौरान ग्राम स्तरीय बैठक में प्रभावित भू–स्वामियों से चर्चा की गई। प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना हेतु भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत सलारपुर गांव के खातेदार/हिस्सेदार (परियोजना प्रभावित परिवार) प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित भू–स्वामियों से की गई चर्चानुसार सभी ने अपने विचार बताये। प्रभावित भू–स्वामियों के विचारों/सुझावों को सम्मिलित करते हुए सामाजिक समाघात शमन योजना (SIMP) तैयार की गई जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 (RRFCTLARR Rule, 2016) के प्रावधान अनुसार है।

सामाजिक समाघात राहत/शमन योजना (एस.आई.एम.पी)

क्र.सं.	सामाजिक समाघात निर्धारण बिन्दु	राहत/शमन योजना	विशेष विवरण
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रभावित परिवार हेतु प्रबन्धन योजना			
1	कृषि भूमि का अधिग्रहण	• प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए एवं उचित मुआवजे की मांग की गई। • नियम के तहत उचित मुआवजा राशि दिलवाना।	• राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत प्रावधान अनुसार राहत प्रदान कराना।
2	पुनर्स्थापना का कार्य	• परियोजना में किसी भी प्रभावित परिवार की आवासीय संरचना प्रभावित नहीं होगी।	–
3	आजीविका/जीवन यापन की चुनौती होना	• प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान कराना। • स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की सुनिश्चितता कराना। • प्रत्येक प्रभावित परिवार से एक युवक/वयस्क को परियोजना में कार्य/रोजगार दिलाना।	• परियोजना में युवकों को योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराये।
4	पलायन की स्थिति	• प्रभावित परिवार में सम्पूर्ण भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित नहीं है।	–
5.	पशु–पालन प्रभावित होना	• कम कीमत पर चारा उपलब्ध कराना। • डेयरी योजना से जोड़ना। • प्रभावित परिवारों में से इच्छुक व्यक्तियों को पशुपालन हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग देना।	• स्वरोजगार हेतु लोन/ऋण दिलाना। • इच्छुक युवकों को प्रशिक्षण दिलाना।
6.	रोजगार की चुनौती	• युवाओं को रोजगार से जोड़ना एवं क्षेत्र में प्रशिक्षण करा कर रोजगार के अवसर प्रदान करना। • किसी भी रोजगार योजना (ग्रामीण आजीविका मिशन/संगठन/एजेन्सी) कार्य करने वाले से जोड़ते हुए रोजगार की सुनिश्चितता करना। • प्रभावित परिवारों में से एक युवक/वयस्क को प्रस्तावित परियोजना में प्राथमिकता से रोजगार दिलवाना।	• परियोजना में योग्यतानुसार प्रभावित परिवार के युवकों को रोजगार प्रदान कराना।

क्र.सं.	सामाजिक समाघात निर्धारण बिन्दु	राहत/शमन योजना	विशेष विवरण
7.	विधवा का प्रभावित होना	• प्रभावित विधवा को पेंशन सुनिश्चित करना।	राज्य सरकार की योजना में शामिल करवाना।
8.	दिव्यांग/ विकलांग व्यक्तियों का प्रभावित होना	• प्रभावित दिव्यांग/ विकलांग व्यक्तियो को पेंशन सुनिश्चित करना। • प्रभावित दिव्यांग/ विकलांग व्यक्तियो को रोजगार से जोड़ना।	राज्य सरकार की योजना में शामिल करवाना।
अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवार हेतु प्रबन्धन योजना			
1.	अनुसूचित जाति के परिवारों की जमीन का अधिग्रहण	• कृषि कार्य, पशु चारागाह क्षेत्र के लिए प्रत्येक कुटुम्ब को एक एकड तक भूमि दी जायेगी। • आरएफसीटीएलएआरआर, नियम, 2016 के तहत उचित मुआवजा राशि दिलवाना। • अनुसूचित जाति को एक विशेष अभियान चलाकर अन्य भूमि उचित दस्तावेज एवं बंटवारे के साथ उनके भू–अधिकार के प्रत्यावर्तन करने की कार्रवाई पूर्ण करना। • प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है उसके एवज में अवाप्त भूमि का 1/4 भाग रीको द्वारा विकसित क्षेत्र में दिया जाए।	राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन कराना।
2.	आजीविका प्रभावित होना	• विस्थापित कुटुम्ब के लिए पंचाट की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में तीन हजार/ (3000) रूपये के समतुल्य का प्रावधान है जो दिया जाना चाहिये। • प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपय की वित्तीय सहायता एक बार दी जायेगी। • प्रभावित भू–स्वामी को बी.पी.एल से जोड़ा जा सकता है। • खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराना। • मनरेगा या/और किसी अन्य कार्य उपलब्ध कराने वाली सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना। • स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की सुनिश्चितता कराना।	राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन कराना।
3.	पुनर्व्यवस्थापन की चुनौती	• परियोजना में किसी भी प्रभावित परिवार की आवासीय संरचना प्रभावित नहीं होगी।	

क्र.सं.	सामाजिक समाघात निर्धारण बिन्दु	राहत/शमन योजना	विशेष विवरण
4.	पशु–पालन एवं कुक्कुट पालन प्रभावित होना	• कम कीमत पर चारा उपलब्ध कराना। • राज्य सरकार के पशुपालन योजना से जोड़ना। • डेयरी योजना से जोड़ना।	• पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनानुसार • राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ना
5.	परिवार के युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती	• प्रभावित कुटुम्ब के युवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता का विकास। • प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में प्रभावित युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करना।	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनानुसार
6.	दुकान एवं पशुशाला प्रभावित होना	• पशुशाला एवं छोटी दुकान के लिए कम से कम पचीस हजार रूपये का प्रावधान है जो दिया जाना चाहिये।	राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अनुसार सुनिश्चित करना।
7.	विधवा का प्रभावित होना	• प्रभावित विधवा को पेंशन सुनिश्चित करना।	राज्य सरकार की योजना में शामिल करवाना।
8.	दिव्यांग/ विकलांग व्यक्तियों का प्रभावित होना	• प्रभावित दिव्यांग/ विकलांग व्यक्तियो को पेंशन सुनिश्चित करना। • प्रभावित दिव्यांग/ विकलांग व्यक्तियो को रोजगार से जोड़ना।	राज्य सरकार की योजना में शामिल करवाना।
9.	सार्वजनिक सुविधाएँ/ सामुदायिक सम्पत्ति प्रभावित होना।	• सार्वजनिक सुविधाएँ/ सामुदायिक सम्पत्ति की सुनिश्चितता करना।	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनानुसार

अध्याय–10
जन सुनवाई कार्यक्रम

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डी.एफ.सी) निर्माण परियोजना कार्य हेतु अधिसूचना राजपत्र क्रमांक–प.4(28) उद्योग/1/2025, दिनांक 04 फरवरी, 2026 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 4(1) के अनुसार सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन हेतु शासन उप सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व विभाग के इमपैन्लड एजेंसी (सेंटर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज, (सीडेक्स) का चयन कर कार्य करने की जिम्मेदारी दी। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन कार्य पूर्ण विधा के साथ कर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जनसुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी टपूकड़ा के द्वारा दिनांक/तारीख तय की गई। जिसका प्रकाशन दिनांक 09 अप्रेल, 2026 को दो स्थानीय समाचार पत्रों क्रमशः महानगर टाईम्स एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन कराया गया। ताकि परियोजना से प्रभावित होने वाले खातेदार परिवारों को जनसुनवाई की सूचना मिल सके और सभी खातेदार जनसुनवाई में उपस्थित होकर अपनी बात/राय/मांग आपत्ति दर्ज करा सके।

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, टपूकडा
जिला खैरथल–तिजारा

क्रमांक :1366–1376 दिनांक : 09.04.2026

–:: लोक सूचना ::–

सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र के तहसील टपूकडा ग्राम सलारपुर की कुल 4.1712 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि को अवाप्त करने के क्रम में राजस्थान भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, नियम 2016 के नियम 5 के तहत शासन द्वारा गठित सामाजिक निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट प्रारूप प्रस्तुत किया है, जो जिला कलेक्टर कार्यालय खैरथल–तिजारा, उपखण्ड कार्यालय टपूकडा, तहसील कार्यालय टपूकडा तथा पंचायत समिति सलारपुर में भी उपलब्ध करवाई गई है।
उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप रिपोर्ट पर निम्नानुसार ग्राम पंचायत सलारपुर में लोक सुनवाई संचालित की जायेगी। जिसमें प्रभावित कुटुम्बों द्वारा विचारों एवं सुझावों को अभिव्यक्त किया जा सकेगा।

क्रम सं.	स्थान	दिनांक	समय
1	ग्राम पंचायत भवन, सलारपुर	17.04.2026	प्रातः 11.00 से

उपखण्ड अधिकारी
राज.संवाद/सी/26/696 **टपूकड़ा, जिला–खैरथल–तिजारा**

सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) टपूकड़ा के द्वारा निर्धारित दिनांक को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कराया गया जिसकी अध्यक्षता श्री लाखन सिंह जी गुर्जर, सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी), टपूकड़ा द्वारा की गई। जिसका विवरण निम्न खण्ड में प्रस्तुत है।

क्र. सं.	जिला का नाम	उपखंड का नाम	जनसुनवाई दिनांक	जनसुनवाई का समय	जनसुनवाई का स्थान	जनसुनवाई की अध्यक्षता
1	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	17.04.2026	सुबह 11.00 बजे से	ग्राम पंचायत भवन–सलारपुर	उपखंड अधिकारी, टपूकड़ा

जन सुनवाई के मुख्य उद्देश्य

1. सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के ड्राफ्ट प्रतिवेदन को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत करना व उनको बताना कि भू–स्वामियों/खातेदारों द्वारा एस.आई.ए. के दौरान रखी गई मांगों को इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया है।
2. भू–स्वामियों द्वारा प्रस्तुत मांग (अध्ययन के दौरान) जिसे ड्राफ्ट प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई है। उन्हें सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) के सामने प्रस्तुत करना।
3. उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीणजन व भू–स्वामियों द्वारा अपनी बात सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत करना ताकि ऐसी बातें जो ड्राफ्ट प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से रह गई हैं उन्हें शामिल किया जा सके एवं खातेदारों द्वारा रखी गई मांग व सुझावों को प्रतिवेदन में शामिल कर अंतिम रिपोर्ट (Final Report) प्रस्तुत किया जा सके।
4. स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व अन्य ग्रामीणजन से संवाद स्थापित करना ताकि प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डी.एफ.सी) निर्माण परियोजना के अन्तर्गत होने वाले लाभ व हानि की जानकारी साझा करना।
5. ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों से प्रस्तावित भूमि–अवाप्ति के बारे में सुझाव/राय प्राप्त करना।

जन सुनवाई कार्यक्रम–ग्राम सलारपुर
ग्राम पंचायत–सलारपुर, उपखण्ड–टपूकड़ा, जिला –खैरथल–तिजारा

प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डी.एफ.सी) निर्माण परियोजना अन्तर्गत श्री दिलीप शर्मा द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित श्री लाखन सिंह जी गुर्जर, सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) टपूकड़ा, श्री अखिल कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबन्धक रीको, भिवाड़ी, डिवीजन द्वितीय, श्रीमती कलिका सिंह, आर. एम. रीको, भिवाड़ी, डिवीजन द्वितीय, श्री एच.सी बहुगुणा, सीनियर

जनसुनवाई के दौरान सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) टपूकड़ा खातेदार/हिस्सेदारों से चर्चा करते हुए

प्लानिंग सहायक, रीको भिवाड़ी, श्री गुरदीप सिंह, ए.आर.एम रीको, भिवाड़ी, श्री श्रवण कुमार डी.जी.एम. लॉ रीको, भिवाड़ी, डिवीजन द्वितीय, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि श्री राजेश जी यादव, वरिष्ठ ग्रामीण जन एवं उपस्थित स्थानीय खातेदार/हिस्सेदारों का स्वागत किया गया। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) महोदय की इजाजत से जनसुनवाई की कार्यवाही आरम्भ की गई। जनसुनवाई का आयोजन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। श्रीमान सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) टपूकड़ा, जिला खैरथल–तिजारा की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के आरम्भ में ही सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) महोदय द्वारा भी उपस्थित खातेदारों का स्वागत करते हुए उन्हें अपनी समस्या/मांग/विचार रखने हेतु आमंत्रित किया गया साथ ही खातेदारों को अपनी बात रखने की स्वतन्त्रता के बारे में भी बताया गया ताकि लोग आपनी बात बिना किसी दबाव/डर–भय के रख सके। प्रस्तावित सूची अनुसार खसरावार सभी खातेदारों के नाम पढ़कर अपनी बात रखने हेतु आमंत्रित किया गया। जिसमें खातेदार हिस्स्ेदार परिवारों द्वारा दिये गये सुझाव/राय/मांगों को लिपिबद्ध किया गया। जनसुनवाई में खातेदारों द्वारा दिये गये सुझाव/मांग/राय को अंतिम प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है जिसका विवरण निम्न खण्ड में प्रस्तुत है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) निर्माण परियोजना
जनसुनवाई कार्यक्रम दिनांक– 17 अप्रेल, 2026

स्थान– ग्राम पंचायत भवन, सलारपुर					
क्र.स	प्रभावित खसरा संख्या	खसरा संख्या से उपस्थित खातेदार/व्यक्ति का नाम	सुझाव/विचार/मांग/राय	खातेदार/हिस्सेदारों का मत (सहमति–1, असहमत–2)	विशेष टिप्पणी
1.	319, 481	श्री रघुवीर यादव पुत्र श्री नेतराम मोबा. 7073805078	खातेदार द्वारा मांग की गई है कि 25 प्रतिशत भूमि की जगह 50 प्रतिशत भूमि दिया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू–अर्जन, नियम, 2016 (RRFCTLARR Rules, 2016) के तहत उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
2.	319, 481	श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण यादव मोबा. 9672156397	खातेदार ईश्वर सिंह द्वारा की मांग है कि जो भूमि अवाप्ति के पश्चात/बचेगी उसमें जाने के लिए रास्ते की समस्या आयेगी अतः रास्ते का प्रावधान कराया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू–अर्जन, नियम, 2016 (RRFCTLARR

					Rules, 2016) के तहत उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
3.	437431, 430, 438, 439, 1721/439 आदि	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामकिशोर यादव मोबा. 9660664654	भूमि अवाप्ति के बाद शेष भूमि की नाप कराकर दी जावे। श्रीराधा कृष्ण मंदिर को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाया जावे उसे यथा स्थिति में ही रखा जावे। खेतों में सिंचाई कार्य हेतु पाईपलाईन जमीन में डाली हुई है अतः उन सभी का भी मुआवजा दिलाया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू–अर्जन, नियम, 2016 (RRFCTLARR Rules, 2016) के तहत उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
4.	1163/1515	श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रामकवॅार मोबा. 9728526547	भूमि अवाप्ति के एवज में खातेदार द्वारा बच्चों को नौकरी देने की मांग/ प्रस्ताव रखा।	1	स्थानीय औद्योगिक ईकाईयों में रोजगार हेतु समन्वय/ पहल करनी चाहिये।
5.	1618/321	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मामनसिंह यादव मोबा. 8829981898	खातेदार की मांग है कि 50 प्रतिशत विकसित भूमि मुआवजा के रुप में दिलाई जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू–अर्जन, नियम, 2016 (RRFCTLARR Rules, 2016) के तहत उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
6.	319-481	श्री सीताराम पुत्र श्री सोहन यादव मोबा.	खातेदार श्री सीताराम जी की मांग है कि 25 प्रतिशत विकसित भूमि दी जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू–अर्जन, नियम, 2016 (RRFCTLARR Rules, 2016) के तहत उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और

					पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
7.	319-481	श्री पूरण पुत्र श्री शिवदयाल यादव मोबा. 8290541001	खातेदार श्री पूरण जी यादव ने की 25 प्रतिशत विकसित भूमि की मांग है।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू–अर्जन, नियम, 2016 (RRFCTLARR Rules, 2016) के तहत उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।
8.	वरिष्ठ ग्रामीण	श्रीराम यादव	गांव में कोई पॉच व्यक्ति शहीद हुए थे उनकी मूर्ति लगाने हेतु जमीन उपलब्ध कराई जावे। श्रीराधाकृष्ण मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जावे।	–	–
9.	ग्रामीण	श्री धर्मपाल पुत्र श्री सोमदत्त	खसरा 318 में गैर मुमकिन रास्ता एवं पानी के निकास का ध्यान रखा जावे ताकि खातेदारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।	–	भूमि अधिग्रहण एक्ट के प्राधानुसार उचित कार्यवाही प्रस्तावित है।
10.	ग्रामीण	श्री जगमोहन यादव मोबा. 8059258651	ग्रामीण श्री जगमोहन जी यादव द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी को पूर्व में हुई भू अवाप्ति के बारे में जानकारी दी एवं बताया गया कि 12 वर्ष पूर्व भूमि अवाप्ति के एवज में प्राप्त भू–खण्डों के भू–धारकों को आज दिनांक तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराये गये है। अतः इस पर उचित एवं शीघ्र कार्यवाही कराई जावे। उपरोक्त के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी द्वारा रीके के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्ध श्री अखिल कुमार	–	–

			अग्रवाल जी से जानकारी लेकर खातेदारों को जानकारी दी गई एवं इस पर शीघ्र कार्यावही करने के लिए भी कहा गया।		
11.	सरपंच प्रतिनिधि	श्री राजेशकुमार यादव मोबा. 9928120061	श्रीराधाकृष्ण जी के मंदिर की भूमि छोड़ी जाये। मंदिर को नुकसान नहीं किया जावे। प्रभावित खातेदारों को विकसित 25 प्रतिशत भूमि मुआवजा के रुप में दिलाई जावे। गांव में पूर्व के समय में पॉच व्यक्ति शहीद हुए थे उनकी मूर्ति लगाने हेतु जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई।	–	खातेदार/हिस्सेदार के हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू–अर्जन, नियम, 2016 (RRFCTLARR Rules, 2016) के तहत उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्त में सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) टपूकड़ा द्वारा सभी खातेदार/हिस्सेदारों को मुआवजा के बारे में आश्स्वस्त किया। रीको द्वारा पूर्व में आवंटित भू–खण्डों को बिजली कनेक्शन पर कार्यवाही करने के बारे में समस्या के निवारण हेतु वरिष्ठ प्रबन्ध को नियमानुसार कार्यवाही के लिए कहा गया। प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त किया

जनसुनवाई के दौरान खातेदार/हिस्सेदार सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) के सामने अपनी मांग रखते हुए

जाना प्रस्तावित है उसमें खातेदारों को जानकारी देते हुए बताया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान के भूमि अधिग्रहण नियम, 2016 की पालना की जायेगी। जनसुनवाई में आये सुझाव एवं मांगों को लिपिबद्ध करा लिया गया है। इन सुझाव एवं मांगों को अंतिम प्रतिवेदन में शामिल कर सरकार को भेजा जायेगा।

जनसुनवाई के अंत में सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) टपूकड़ा, रीको भिवाड़ी डिवीजन द्वितीय के समस्त अधिकारी एवं कार्मिकों, ग्राम पंचायत जन प्रतिनिधियों, वरिष्ठ ग्रामीण जन एवं उपस्थित खातेदार/हिस्सेदारों का सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज (सीडेक्स) के प्रतिनिधि श्री दिलीप शर्मा द्वारा आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय की इजाजत से जनसुनवाई कार्यक्रम का समापन किया गया।

जनसुनवाई कार्यक्रम बैठक कार्यवाही ग्राम सलारपुर

DATE : 17/04/2026
PAGE NO. :

जनसुनवाई कार्यक्रम

स्थान: ग्राम पंचायत भवन, सलारपुर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिकार नियम, 2016 के तहत "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना" कार्य हेतु ग्राम पंचायत सलारपुर, ग्राम-सलारपुर तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल-तिजारा के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन कार्य करने की जिम्मेदारी सेन्टर फॉर डवलपमेन्ट कम्युनिकेशन एण्ड स्टडीज (सीडीकस) को दी गई। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन कार्य पूर्ण कर ड्राफ्ट प्रतिवेदन (DRAFT REPORT) प्रस्तुत किया गया।

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को ग्राम पंचायत भवन, सलारपुर में प्रस्तावित परियोजना "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) हेतु भूमि अधिग्रहण के सन्दर्भ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अधिग्रहण नियम, 2016 के उपनियम-5 की अनुपालना में भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी श्री लाखन सिंह जी गुर्जर, टपूकड़ा की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जन सुनवाई कार्यक्रम में श्रीमान अखिल कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबन्धक रीको, भिवाड़ी डिवीजन द्वितीय, श्रीमती कालिका सिंह, आर.एम श्री. एच. सी. कहगुप्ता सीनि. प्लानिंग, सहायक, श्री गुरदीप सिंह डी.जी.एम श्री श्रवण कुमार डी.जी.एम लॉ रीको, भिवाड़ी डिवीजन द्वितीय उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सलारपुर के सरपंच प्रतिनिधि श्री राजेश यादव, वरिष्ठ ग्रामीण एवं खातेदार भी जन सुनवाई में उपस्थित रहे। एस.आई.ए. संस्थान सीडीकस के प्रतिनिधि दिलीप शर्मा, भरत कपूर उपस्थित थे।

DATE: / /

PAGE NO.:

- लाखन सिंह SDM Tapukara — Lan
- अखिल कुमार अग्रवाल व० क्षे० प्रबन्धक, रीको भिवाड़ी द्वितीय — [signature]
- कालिका सिंह क्षे० प्रबंधक रीको भिवाड़ी द्वितीय — [signature]

नाम/पद	मोबाईल	हस्ताक्षर
पवन सिंह	8290541001	[signature]
धनराज सिंह	9521304489	[signature]
पोहाड़ सिंह		पोहाड़ सिंह
RAGHUBIR SING	7073806078	[signature]
Rohtash	9654012375	[signature]
अमरसिंह रतिराम	9991014697	अमरसिंह
मनोज	8059702048	मनोज
Deepak	8607075001	Deepak
प्रदीप	8619037112	प्रदीप
बलवीर		
Rajinder	8307835172	Rajinder
सरपंच		[signature]

सरपंच ग्राम पंचायत ... पं० स० तिजारा (अलवर)

जनसुनवाई कार्यक्रम के छायाचित्र–ग्राम सलारपुर

जनसुनवाई कार्यक्रम के आरम्भ में खातेदार/हिस्सेदार आपसी चर्चा करते हुए

जनसुनवाई के दौरान उपस्थित खातेदारों का स्वागत कर एस.आई.ए. प्रक्रिया के बारे में बताते हुए श्री दिलीप शर्मा

जनसुनवाई के दौरान उपस्थित खातेदार सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी)के समक्ष अपनी मांग रखते हुए

जनसुनवाई के दौरान उपस्थित खातेदारों एवं अधिकारियों को एस.आई.ए. अध्ययन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए श्री दिलीप शर्मा

जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित खातेदार/हिस्सेदार

एस.आई.ए. अध्ययन के दौरान खातेदार/हिस्सेदारों द्वारा दिये गये सुझाव/मांग के बारे में सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) जी को जानकारी देते हुए श्री दिलीप शर्मा

जनसुनवाई के दौरान खातेदार/हिस्सेदार सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) को समस्याओं के बारे जानकारी देते हुए

संलग्नक

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन प्रक्रिया छाया चित्र

परियोजना प्रस्तावित स्थान के बारे में बताते हुए श्री एच.सी. बहुगुणा

परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति स्थान को नक्शा पर बताते हुए श्री एच.सी. बहुगुणा

परियोजना प्रभावित खातेदारों के साथ चर्चा करते हुए श्री दिलीप शर्मा साथ में रीको के सहायक परियोजना अधिकारी श्री एच.सी. बहुगुणा ग्राम सलारपुर

प्रस्तावित स्थान के बारे जानकारी लेते हुए श्री मांगीलाल छीपा

परियोजना प्रस्तावित से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए खातेदार, ग्राम सलारपुर

परियोजना प्रभावित खातेदार से एस.आई.ए. के दौरान जानकारी लेते हुए श्री जगदीश चौधरी

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में सम्भावित प्रभावित संरचना

परियोजना प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतु रेलवे लाईन के दोनों तरफ प्रस्तावित स्थान

परियोजना प्रभावित महिला खातेदार से चर्चा करते हुए श्री जगदीश चौधर एवं मांगीलाल छीपा

एस.आई.ए. के दौरान प्रभावित खातेदारों के विचरों/ सुझावों/मांगों को पढ़कर सुनाते हुए श्री जगदीश चौधरी

डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन
ग्राम बैठक कार्यवाही

ग्राम बैठक - सलारपुर

DATE: 26/02/2026
PAGE NO.:

आज दिनांक 26/02/2026 को ग्राम सलारपुर, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल तिजारा में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में डीएफसी कॉरिडोर के साथ 40.00 मीटर चौड़ाई में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर विकसित करने के लिए ग्राम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्थानीय आमजन, प्रभावित होने वाले परिवार एवं परियोजना से सम्बन्धित व्यक्तियों ने भाग लिया। यह बैठक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय क्षेत्र एवं प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन (SIA) के तहत किया जा रहा है। यह (SIA) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत आयोजित की जा रही है।

इस बैठक का उद्देश्य है कि ग्रामीणों एवं प्रभावित परिवारों को प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी देना तथा उससे होने वाले लाभ/फायदा एवं नुकसान जानना है, साथ ही साथ एस. आई. ए. अध्ययन से यह भी पता लगाना है कि इस परियोजना से प्रभावित होने वाले कौन-कौन से परिवार हैं। परियोजना में सम्भावित प्रस्तावित परिवारों की जीवन शैली, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रहन-सहन, रोजगार/काम धंधा के बारे में जानना ताकि इस परियोजना से होने वाले प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं।

बैठक में उपस्थित ग्रामीणों को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी/चर्चा की गई।

DATE: / /

PAGE NO.:

1. सलारपुर (भिवाड़ी) में भूमि अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) से जोड़कर एक अत्याधुनिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केन्द्र के रूप में विकसित करना है।

2. सलारपुर एक ड्राई पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है क्योंकि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से नजदीक है। सरकार का प्रस्तावित ड्राई पोर्ट के माध्यम से व्यापारियों एवं उद्योगों को आयात निर्यात के क्षेत्र में माल की ढुलाई हेतु बेहतर एवं उत्कृष्ट सेवाएं देना है।

3. इस टर्मिनल का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की कुल लागत को घटाना है।

4. यह स्थान न केवल बंदरगाहों के कंटेनरों की शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला एवं आस-पास के क्षेत्र के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करेगा एवं क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा।

5. इस परियोजना निर्माण में आस-पास के गांव की निजी जमीन प्रभावित होने की सम्भावना है।

6. सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) का उद्देश्य है कि प्रभावित परिवारों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना तथा उनके हितों की रक्षा हेतु उपयुक्त पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (R&R) तथा प्रभावित परिवारों एवं आम ग्रामीण लोगों की उचित मांग को एस.आई.ए. प्रतिवेदन में शामिल कर राज्य सरकार को अवगत कराना इत्यादि है।

ग्राम सलारपुर में प्रस्तावित खसरों के खातेदारों/हिस्सेदारों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतु प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि के अवाप्ति हेतु पूर्ण चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपस्थित खातेदारों ने अपनी मांग निम्नानुसार रखी।

DATE 26/2/2026
PAGE NO.:

1– बैठक में उपस्थित खातेदारों/हिस्सेदारों द्वारा बताया गया कि जो भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित की उसमें भूमि अवाप्ति पश्चात जो शेष भूमि बचेगी उसमें खातेदारों से सुझाव लिये जावे।

2– • प्रस्तावित परियोजना हेतु जो भूमि अवाप्त की जानी है इसके एवज में हमें भूमि (विकसित) उपलब्ध कराई जावे। (रिको द्वारा विकसित भूमि) (319, 320) मनोज कुमार द्वारा बताया गया की जमीन का उचित मुआवजा दिया जावे

3– प्रमोद S/o रामकिशोर यादव वगैरह द्वारा खसरा नं० 430, 438, 439, 427, 481, 1721/431, 1163/1515, 1618/321, 315, 319, 320 एवं 429, 1715/427, द्वारा मांग की गई कि हमारी अवाप्ति के बाद शेष जमीन को नाप करा के दी जावे।

4– रेलवे ट्रेक के दोनो तरफ धार्मिक स्थान राधा कृष्ण मन्दिर एवं एक तरफ भीमापीर मन्दिर जो चिन्हित किये गये है। इनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जावे।

5– प्रस्तावित भूमि में आने वाली सभी प्रकार की परिसंपत्तियों (ट्यूबवेल, बोर, पाइप लाईन, पक्का निर्माण के प्रभावित होने पर इनका मुआवजा अलग से दिया जावे।

6– परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि जो अवाप्त किया जाना है उसका चिन्हिकरण कराया जावे

7– प्रस्तावित भूमि का सर्वे व चिन्हिकरण खातेदार की उपस्थिति में किया जावे। ताकि किसी प्रकार की कोई भूल व छूट नहीं हो।

DATE: / /
PAGE NO.:

मनोज जोदन 8059702048

विक्रम 7877857896 विक्रम

चान्द सिंह 8395998482 चान्द सिंह

प्रमोद यादव 9660664654

रामोहन 8059725865

पूर्ण सिंह 8696511793 Puransingh

लाल सिंह 9982305789 लालसिंह

ईश्वरसिंह 9672156397 ईश्वरसिंह

रघुवीर सिंह 7073805078 रघुवीर

जगदीश चन्द 9728526547

दिलीप कुमार शर्मा 8209528336 dilip

SIA Team member
CDECS, Jaipur

जगदीश लौदिया 9509524627 Jagd
SIA Team member
CDECS Jaipur

मांगीलाल छीपा
SIA Team member 99835-12867
CDECS Jaipur

सरपंच
ग्राम पंचायत ससारपुर
पं० स० किशनगढ़ (अजमेर)
9928120061

DATE: / /

PAGE NO.:

बलराम S/o श्रीकृष्ण अहीर — बलराम

Mob – 7665711014

मनजीत S/o कृष्णा अहीर — मनजीत

Mob – 7891816366

मनोजकुमार S/o घीसाराम अहीर — Manoj Kumar

Mob – 9001682911

कृष्ण S/o मामन सिंह अहीर

Mob – 8829981898

मोनूराम S/o देवराज

Mob – 8285551069

रोहताश S/o मोहनलाल अहीर — रोहताश

8107838545

वीरसिंह S/o मोहनलाल अहीर — वीर सिंह

9983867475

देवानन्द S/o मोहनलाल अहीर

Mob – 9165526558

प्रपत्र–1 प्रस्तावित खसरावार सूची

ग्राम सलारपुर, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल–तिजारा

क्र.सं.	खसरा नं.	किस्म	खातेदार का नाम	कुल रकबा (है.)	प्रस्तावित रकबा (है.)
1	319	चाही–3	1. ईशवरसिह पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा– 1/32 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 2. कृष्णा पुत्र हेमकरण हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/24 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Salarpur 3. छोटी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा– 1/32 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 4. छोटीदेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा– 1/8 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 5. नेतराम पुत्र तेजसिंह हिस्सा– 1/8 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 6. पूर्ण पुत्र हेमकरण हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 7. पुरणसिंह दत्तक पुत्र शिवदयाल हिस्सा– 1/8 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 8. बलराम पुत्र हेमकरण हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 9. मनोज कुमार पुत्र घीसाराम हिस्सा– 1/8 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 10. विक्रम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा– 1/32 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 11. सीताराम दत्तक पुत्र सोहन हिस्सा– 1/4 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/4 (खसरा सं– 316, 319) BRKGB सलारपुर, हिस्सा–1/4 (खसरा सं– 316, 319 बिना रहन) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Salarpur 12. सोनू यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा– 1/32 जाति– अहीर सा. देह खातेदार,	0.5300	0.0302
2	320	चाही–3		0.9022	0.4811
3	427	चाही–3		0.6810	0.4600
4	1715/427	चाही–3		0.0078	0.0078
5	429	चाही–3		0.6210	0.3806
6	481	चाही–3		1.6086	0.4470
7	431	चाही–3	1. उर्मिला पत्नि कालूराम हिस्सा– 1/36 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/36 (पूर्ण खाता) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलारपुर 2. कृष्णा पुत्री मोहनलाल हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 3. छोटी पुत्री मोहनलाल हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 4. देवानन्द पुत्र मोहनलाल हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार	1.9800	0.0942
8	437	बारानी–3		1.6100	0.0410

क्र.सं.	खसरा नं.	किस्म	खातेदार का नाम	कुल रकबा (है.)	प्रस्तावित रकबा (है.)
			5. दिल्लोदेवी पत्नि लालसिंह हिस्सा– 1/12 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/12 (पूर्ण खाता) OBC टपुकडा 6. ममता पत्नि राजबीर हिस्सा– 1/36 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 7. रामगिरी पत्नि मोहनलाल हिस्सा– 1/8 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 8. रोहताश पुत्र मोहनलाल हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/24 (पूर्ण खाता) RGB टपुकडा 9. लालसिंह पुत्र कुन्दन हिस्सा– 1/4 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टपुकडा 10. वीरसिंह पुत्र मोहनलाल हिस्सा– 1/24 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/24 (पूर्ण खाता) RGB टपुकडा 11. श्योचन्द पुत्र कुन्दन हिस्सा– 1/4 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 12. सरोज पत्नि युद्धवीर हिस्सा– 1/36 जाति– अहीर सा. देह खातेदार,		
9	430	बारानी–3	1. ताराचन्द पुत्र गोरधन हिस्सा– 1/4 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Tapukara 2. प्रदीपकुमार पुत्र रामकिशोर हिस्सा– 15/128 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–15/128 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा MILAKPUR GUJAR 3. प्रमोद पुत्र रामकिशोर हिस्सा– 15/128 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–15/128 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा MILAKPUR GUJAR 4. भानवती पुत्री गोरधन हिस्सा– 1/64 जाति– अहीर सा. देह खातेदार 5. राजबीर यादव पुत्र गोरधन हिस्सा– 1/4 जाति– अहीर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा	0.7567	0.3438
10	438	गैर मुमकिन चाह		0.0100	0.0100
11	439	बारानी–3		2.0400	1.1250
12	1721/ 439	बारानी–3		0.2305	0.2305

क्र.सं.	खसरा नं.	किस्म	खातेदार का नाम	कुल रकबा (है.)	प्रस्तावित रकबा (है.)
			राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ज्चनांतं 6. रामनन्द पुत्र गोरधन हिस्सा– 1/4 जाति– अहीर सा. देह खातेदार,		
13	1163/ 1515	बारानी–2	1. चॉदसिह पुत्र रामकंवार हिस्सा– 1/4 जाति– मेघवाल सा.देह खातेदार 2. जगदीश पुत्र रामकंवार हिस्सा– 1/4 जाति– मेघवाल सा.देह खातेदार 3. देशराज पुत्र रामकंवार हिस्सा– 1/4 जाति– मेघवाल सा.देह खातेदार 4. मनमावतीदेवी पत्नि रामकंवार हिस्सा– 1/4 जाति– मेघवाल सा.देह खातेदार,	1.0687	0.3200
14	1618/321	चाही–3	1. कृष्ण पुत्र मामनसिह हिस्सा– 1/5 जाति– अहीर सा. कमालपुर खातेदार 2. गीता पुत्री मामनसिह हिस्सा– 1/5 जाति– अहीर सा. कमालपुर खातेदार 3. घनश्याम पुत्र मामनसिह हिस्सा– 1/5 जाति– अहीर सा. कमालपुर खातेदार 4. फूलवती पुत्री मामनसिह हिस्सा– 1/5 जाति– अहीर सा. कमालपुर खातेदार 5. राकेश पुत्र मामनसिह हिस्सा– 1/5 जाति– अहीर सा. कमालपुर खातेदार,	0.1700	0.1700
15	1505/ 1170	बंजड़	1. लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेशकुमार हिस्सापूर्ण सालाहेडा. मेघवाल सा – पूर्ण जाति – खातेदार	0.1300	0.0150
16	1506/ 1170	बंजड़	1. धनपति पत्नी राजाराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर साकिन माजरी तहसील कोटकासिम खातेदार	1.1400	0.0150
	कुल भूमि			**13.4865**	**4.1712**

प्रपत्र–2

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना तहसील, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सूची

संरचना विस्थापित परिवार की सूची

क्र.सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सरंचना का नाम	स्थान	स्वामित्व	होने वाले नुकसान व विवरण	व्यक्तिगत संरचना का स्वामी का स्वामी का आधार नः	विशेष विवरण
	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

प्रपत्र 3

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना तहसील, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सूची

प्रभावित व्यापार/धंधे की सूची

क्र.सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	प्रभावित व्यापार/धंधे का नाम	स्थान का नाम /कॉर्डीनेट्स	स्वामित्व/सरकारी निजी	रोजगार पर क्या प्रभाव होगा	अपेक्षा क्या है	विशेष विवरण
	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

स्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना तहसील, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सूची

भूमिहीन परिवार की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	मुखिया का नाम	पिता का नाम	आयु	परिवार सदस्य संख्या			जाति/वर्ग	वार्षिक आय	आधार नम्बर	होने वाले नुकसान का प्रकार
							महिला	पुरुष	कुल				
	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

प्रपत्र 5

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना तहसील, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सूची

विस्थापित अनुसूचित जाति के परिवारों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	मुखिया का नाम	पिता का नाम	आयु	परिवार सदस्य संख्या			जाति/ वर्ग	वार्षिक आय	आधार नम्बर
						महिला	पुरुष	कुल			
	खैरथल– तिजारा	टपूकड़ा	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना तहसील, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सूची

प्रभावित क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए संभावित इच्छुक युवाओं की सूची

क्रम सं.	जिला	तहसील	गांव	नाम	पति / पिता का नाम	उम्र
1.	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	नवीन	पूरण सिंह	29
2.	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	उमेश	बलराम	28
3.	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	सोनू	कृष्ण	29
4.	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	प्रदीप	अजीत	29

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना तहसील, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सूची

प्रभावित क्षेत्र में दिव्यांग की सूची

क्रम सं.	जिला	तहसील	गांव का नाम	नाम	पति / पिता का नाम	उम्र
1.	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	NIL	NIL	NIL	NIL

<u>प्रपत्र 8</u>

प्रस्तावित डीएफसी कॉरिडोर निर्माण परियोजना तहसील, टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सूची

प्रभावित क्षेत्र में विधवाओं की सूची

क्रम सं.	जिला	तहसील	गांव का नाम	नाम	पति / पिता का नाम	उम्र
1.	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	छोटीदेवी	लक्ष्मीनारायण अहीर	80
2.	खैरथल–तिजारा	टपूकड़ा	सलारपुर	राजेश	घीसाराम	48

पी.आर.ए. अभ्यास

गांव का इतिहास

गांव का नामः सलारपुर ग्राम पंचायतः सलारपुर

तहसीलः टपूकड़ा जिलाः खैरथल–तिजारा

गांव सलारपुर लगभग 350 वर्ष पूर्व सलारा नाम के संत ने बसाया था। उन्हीं संत के नाम गांव का नाम सलारपुर रखा गया। सन् 1947 से पहले यह गांव अलवर रियासत का हिस्सा रहा है। गांव की बसावट के बारे में बात की जाए तो समय एवं परिस्थितियों में आये बदलाव अनुसार घरों की बनावट में काफी कुछ बदलाव आया है। इसका कारण है कि राज्य का सीमावर्ती गांव होने के साथ एक तरफ हरियाणा राज्य है तो एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण घरों की बनावट एवं निर्माण के तरीकों में खासा बदलाव आया है।

गांव सलारपुर के सभी परिवार/लोग कृषि/खेती पर निर्भर रहे हैं। गांव की मिट्टी दोमट एवं बालू है जोकि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है। गांव में जमीनी जल स्तर भी बहुत ही अच्छा है आज भी गांव में 50 से 60 फीट गहराई पर पानी उपलब्ध है। पानी मीठा एवं कृषि कार्य के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसका प्रभाव फसल के बेहतर उत्पादन से समझा जा सकता है। गांव में आरम्भ से ही लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे हैं किसान हमेशा कृषि से बेहतर फसल एवं अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रयासरत रहे है। आज भी गांव में लोग इतना जागरुक है कि खेती के लिए उन्नत किश्म के बीज लेकर आते है और कम भूमि में भी अधिक फसल उत्पादन लेने के प्रयास करते हैं। एस.आई.ए. अध्ययन के दौरान प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान खेतों में खड़ी फसल (गेंहू एवं सरसों) बहुत ही अच्छी थी, गेंहू की फसल खेतों में इतनी अच्छी थी कि गेंहू की बाली के वजन से पौधे नीचे की ओर झुके हुए थे। एस.आई.ए. के दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि पूर्व में निर्मित रेलवे कॅरिडोर के कारण खेतों के दो टुकड़े हो गये थे जिससे फसल उत्पादन काफी प्रभावित हुआ था। गांव का कुल क्षेत्रफल 2800 बीघा में है।

सलारपुर गांव में लगभग 85 प्रतिशत आबादी अहीर (यादव) समुदाय की है। लोगों से सम्पर्क एवं चर्चा दौरान यह महसूस किया गया कि लोगों में आपसी तालमेल एवं व्यवहार काफी अच्छा है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गांव में दो चौपाल बनी हुई है जहां पर समय की उपलब्धतानुसार लोग बैठते हैं चर्चाएं करते हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों में आपसी मेलजोल काफी अच्छा एवं सराहनीय है। चौपाल पर बैठकर लोग गांव के बारे में, परिवारों के बारे में तथा आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं। गांव में श्री राधाकृष्ण का भव्य मंदिर एवं शिव मंदिर है जोकि 1956 में बनाया गया। रेलवे लाईन के दूसरी तरफ मीठा बाबा पीर की दरगाह है जहां पर प्रत्येक गुरुवार को गांव के आप–पास के लोग दर्शन के लिए आते हैं तथा बैसाख सुदी दोज को मेला लगता है। इसी गांव में किसी सिद्ध महात्मा का यादव समुदाय को वरदान भी है एवं यादव परिवार का कोई व्यक्ति बीमार को झाड़ा लगा सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर में कोई गांठ (रसोली) बनी हुई है तो प्रति शनिवार झाड़ा लगाया जाता है जिससे रोगी को आराम मिलता है। सिद्ध महात्मा के आर्शीवाद के प्रभाव को इस प्रकार से देखा गया कि गांव में कोई भी व्यक्ति तम्बाकू, गुटखा आदि का सेवन नहीं करते हैं एवं ऐसा व्यक्ति ही झाड़ा लगा सकता जो तम्बाकू, गुटखा आदि का सेवन नहीं करता है।

गांव में गंदे पानी के निस्तारण की व्यवस्था काफी अच्छी एवं योजनाबद्ध तरीके से की गई है। जमीन के अन्दर नालियों के द्वारा निकासी की गई है जो गांव के बाहर रेलवे लाईन के पार एकत्र होता है। गांव के रास्ते कीचड़ एवं गन्दगी से मुक्त हैं एवं गांव साफ सुथरा एवं मकानों की बनावट नई एवं पुरानी दोनों ही प्रकार की है। कुछ मकान बड़े हवेली जैसे है लेकिन उनमे रहने वाला कोई भी नहीं है। लोग रोजगार के लिए बाहर कुछ नजदीक में दिल्ली चले गये हैं जो कभी कभी आते हैं।

गांव की आबादी लगभग 3000 है जिसमें 85 प्रतिशत यादव है उसमें भी 75 प्रतिशत परिवार महला गोत्र के हैं। 10 प्रतिशत यादव निंगालिया व कोसनिया गोत्र के हैं। शेष 15 प्रतिशत आबादी में खाती, नाई, ब्राह्मण एवं

अनुसूचित जाति के हैं। लालपुर (कोटकासिम) की खोड़िया गोत्र की बेटी अपने दो पुत्रों के साथ सलारा संत की शरण में आई जिनमें यह खेड़ा सलारपुर के नाम से आबाद हुआ। गांव की बसावट दो पट्टियों में थी। जोरावर एवं परुआ दो भाईयों से गांव का आरम्भ हुआ था। आज गांव में 3000 की आबादी है। गांव के श्री रामकरण यादव स्वतन्त्रता सेनानी रहे। सेना के कैप्टन व डीएसपी जैसे कई लोगों का गांव में योगदान रहा। इसी गांव के हंसराज पुत्र श्री दयाराम यादव देश की सेवा करते हुए शहीद हो गये। सन् 1934 में एक आन्तरिक विद्रोह में मेवात के तीन गुटों ने इस गांव पर हमला कर दिया था। यहां के वीरों ने अपनी जान पर खेलकर मेवात के हमलावरों को पीछे धकेल दिया था। इस हमले के समय के थानेदार ने अंग्रेजों की सह पर डेडाराम व प्रतापसिंह (दोनों भाई), देवी सहाय, गंगाराम व ठाकुरसिंह को गोली मार दी थी। यह एक बड़ा हमला था लेकिन इस हमले के जवाब में गांव वालों ने बराबर से जवाब दिया जिसका भय मेवात के लोगों में आज तक व्याप्त है।

गांव में शिक्षा की बात की जाए तो सीतारम जी शर्मा एवं भगवानी देवी गांव के सबसे पहले शिक्षित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। गांव में शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए श्री छतरसिंह जी, श्री रामौतार जी, श्री प्रतापसिंह जी, श्री नन्दराम जी, श्री रणधीर जी, श्री नानकराम जी का बहुमूल्य योगदान रहा। श्री नन्दराम जी द्वारा निजी विद्यालय सन् 1990 में स्थापित किया एवं नानकराम जी ने एनीबीसेंट गर्ल्स कालेज व श्री श्याम बी.एड कॉलेज की स्थापना की गई जो वर्तमान में भी संचालित है। गांव सलारपुर में एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय भी उपलब्ध है। यह शिक्षण सुविधा गांव को वर्ष 1956 में ही मिल गई थी। आज गांव में 10 से 12 लड़के एवं लड़कियां एम.बी.बी. एस. करने के बाद सेवाएं दे रहे हैं। गांव में पहले सरकारी नौकर के रुप में श्री नेतराम जी यादव हैं जिन्हें फौज में सूबेदार के पद पर नियुक्ति मिली। इसके बाद आज गांव से लगभग 450–500 व्यक्ति सेना, सशस्त्रबल एवं राजकीय सेवा में कार्यरत है। सेना में एन.डी.ए. के जरिए विक्रांत पुत्र श्री बीरसिंह कमांडेट के पद पर चयन हुआ एवं देवेन्द्र यादव पुत्र श्री ओमकार यादव का इनकम टैक्स ऑफीसर के पद पर चयन हुआ।

गांव सलारपुर में सुविधाओं के रुप में देखे तो वर्ष 1955 में पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगाये गये। पीने का पानी पीने योग्य एवं मीठा है। आज गांव में प्रत्येक परिवार में ट्यूबवेल लगे हुए हैं। गांव में जमीनी जल स्तर 50 से 60 फीट गहराई पर ही उपलब्ध है। गांव में वर्ष 1975 में बिजली लगाई गई जिसे देखने के लिए लोग एकत्र हो गये थे।

सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक आयुर्वेदिक अस्पताल एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है। जहां से लोगों स्वास्थ्य सेवा लेते है एवं बड़ी बीमारी की स्थिति में नजदीक में खण्डेलवाल हॉस्पिटल से लेते है एवं दिल्ली नजदीक होने के कारण लोग वहां भी जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार–प्रसार हेतु एक आंगनबाड़ी केन्द्र है जिसमें एक कार्यकर्ता, आशा वर्कर एवं सहायिका कार्य करती हैं जो छोटे–छोटे बच्चों को कुछ सिखाने के साथ–साथ खाना भी खिलाना एवं महिलाओं को जागरुकता हेतु कार्य कर रही है। इस आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाएं सभी को सतत् रुप से मिल रही हैं।

वर्ष 2019–20 में कोरोना बीमारी को लोगों ने एक महामारी के रुप में देखा। गांव के लगभग 17 व्यक्ति इस महामारी की चपेट में आये जिसमें से एक व्यक्ति अपनी जिन्दगी की जंग हार गया। इस बीमारी से लोगों में एक दूसरे को मदद करने के लिए भी प्रेरित किया। सभी लोगों ने इस महामारी के दौरान सभी ने नियमों का पालन किया। इस बीमारी/महामारी का डर मन में सालों–साल तक रहेगा। हमारे जीवनकाल में इस प्रकार की कोई महामारी नहीं देखी एवं बुजुर्गों से भी इस प्रकार की बीमारी/महामारी के बारे में नहीं सुना था।

गांव के बारे में जानकारी जुटाने में गणमान्य श्रीराम जी पंच, जगमोहन जी, मास्टर, श्री कर्णसिंह जी, मास्टर राजवीर जी, श्री सोमदत्त जी एवं श्री आजाद सिंह जी का सहयोग रहा।

गांव के सभी परिवार कृषि पर ही आश्रित है एवं गांव के युवा आस–पास की फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं। प्रभावित परिवारों में कुछ लोगों सरकारी नौकरी एवं सेवा निवृत्त हैं। लोग फसल में गेहूँ सरसों, जौ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, तिल, मोठ एवं ग्वार तथा सब्जियां आदि की पैदावार करते हैं। गांव में खातेदारों के पास भूमि की मात्रा कम है

लेकिन फसल उत्पादन हेतु जमीन अच्छी है। पानी की उपलब्धता होने के कारण लोग कुओं एवं ट्यूबवैल से सिंचाई करते हैं।

मुआवजा राशि के सन्दर्भ में प्रभावित लोगों के विचार/रायः

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डी एफ सी कॉरिडोर) निर्माण परियोजना का निर्माण के लिए गांव के लोगों से हुई चर्चानुसार सभी ने अपने अपने पक्ष रखें हैं। लोगों का मानना है प्रस्तावित परियोजना के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु भूमि अवाप्ति से लोगों को जो क्षति/नुकसान हो रहा है वह भी कम नहीं है। लोगों का यह कहना है कि हमारे पास कम जमीन है। अतः उक्त जमीन का मुआवजा या जमीन के बदले 1/4 रीको द्वारा विकसित जमीन दिया जाये। वहीं एक खातेदार हिस्सेदार द्वारा मुआवजे की मांग की गई है।

इस प्रकार से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति कर किसानों/खातेदारों के दर्द को कम किया जा सकता है। लोगों का यह भी कहना है कि आज जिस भूमि पर कृषि कर रहे हैं उसके नामान्तरण की कार्यवाही एवं बंटवारे को लेकर समस्या है। ऐसी स्थिति में मुआवजा राशि को लेकर सामाजिक पारिवारिक विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। एक समस्या यह भी आयेगी कि एक खातेदार/हिस्सेदार खसरे में अधिक हैं एवं पारिवारिक आपसी तालमेल में कमी हैं जो विवाद का कारण बन सकता है।

बदलाव विश्लेषण

क्र.सं.	मुद्दे	30 वर्ष पूर्व	20 वर्ष पूर्व	10 वर्ष पूर्व	वर्तमान स्थिति
1.	पेयजल	• कुएं से ही पानी पीते थे। • 1971 में हैण्डपम्प लगा था।	• कुए से पानी पीना। • हैण्डपम्प से पानी पीना। • सुविधानुरुप घरों में ट्यूबवेल लगाये गये।	• कुए से पानी पीना। • हैण्डपम्प से पानी पीना। • गांव में सरकारी स्कीम से पानी की व्यवस्था की गई थी लेकिन सतत रुप से नहीं चलने के कारण सुविधानुरुप घरों में ट्यूबवेल लगाये गये।	• कुए से पानी पीना। • हैण्डपम्प से पानी पीना। • सुविधानुरुप घरों में ट्यूबवेल लगाये गये।
2.	स्वच्छता	• स्वच्छता के प्रति लोग जागरुक हैं।	• स्वच्छता के प्रति लोग जागरुक हैं। • खान–पान की स्वच्छता में भी तुलनात्मक बदलाव आया।	• स्वच्छता के प्रति लोग जागरुक हैं। • रहन–सहन एवं खान–पान की स्वच्छता पूर्ण रुप से अपना रहे हैं। • घरों में शौचालय बनाये गये है। जिनका उपयोग करने लगे हैं	• गांव के लोग नियमित स्नान करना एवं मंदिर जाना तथा स्वच्छता के प्रति लोग जागरुक हैं। • रहन–सहन एवं खान–पान की स्वच्छता पूर्ण रुप से अपना रहे हैं। • घरों में शौचालय बनाये गये है। जिनका उपयोग करने लगे हैं
3.	भोजन	• बाजरा, जौ एवं गेहूँ उपयोग करते थे। • सायंकाल में सभी घरों में राब ही बनाते थे जिसमें समय भी कम लगता था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भोजन हल्का रहता है।	• भोजन में ज्यादा बदलाव नहीं आया और बाजरा, जौ एवं गेहूँ का उपयोग करते थे। • सायंकाल में परिवारों में राब के साथ रोटी बनाने लगे।	• तुलनात्मक लोगों का खेती की तरफ से रुझान अच्छा है एवं उन्नत खेती करना पसन्द करते हैं। • समय में आये बदलाव के कारण भोजन / खान–पान में ज्यादा बदलाव आया। • सायंकाल में परिवारों में राब के साथ रोटी बनाने लगे।	• लोग कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो बाजार में उपलब्ध चीजों की ओर रुझान बढ़ा। • लोगों की आय बढ़ने लगी तो बाजार में बनी खाद्य–वस्तुए घर तक लाने लगे है। • सायंकाल में परिवारों में रोटी बनाने लगे इसके अतिरिक्त खाद्य–पकवानों की ओर रुझान बढ़ा है। • वर्तमान में अधितम परिवार गेहूँ खाने

क्र.सं.	मुद्दे	30 वर्ष पूर्व	20 वर्ष पूर्व	10 वर्ष पूर्व	वर्तमान स्थिति
					के उपयोग में लेते हैं।
4.	बीमारी (स्वास्थ्य)	• सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे। एवं कुछ परिवार इलाज हेतु उपस्वास्थ्य केन्द्र जाते थे। • देवी देवताओं पर भी निर्भर थे। • बीमारियों मे झाड़फूंक पर भी विश्वास था। • महसरा एवं नन्दरामपुर गांव में सरकारी एवं निजी सुविधा होने के कारण लोग इलाज कराने हेतु जाते थे।	• सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे। एवं कुछ परिवार इलाज हेतु उपस्वास्थ्य केन्द्र जाते थे • देवी देवताओं पर भी निर्भर थे। • आर्थिक समस्या के कारण कुछ परिवारों द्वारा स्थानीय स्तर पर ही इलाज कराना। • महसरा, नन्दरामपुर गांव में सरकारी एवं निजी सुविधा होने के कारण लोग इलाज व जापा कराने हेतु जाते थे।	• महसरा एवं नन्दरामपुर गांव में सरकारी एवं निजी सुविधा होने के कारण लोग इलाज कराने हेतु जाते थे। • गांव में धार्मिक आस्था वाले लोग है अतः देवी देवताओं एवं झाड़फूंक भी विश्वास कराते हैं। • जापा हेतु कुछ परिवार की महिलाओं का अस्पताल में जाना।	• महसरा, टपूकड़ा एवं नन्दरामपुर गांव में सरकारी एवं निजी सुविधा होने के कारण लोग इलाज कराने हेतु जाते थे। • जापा (प्रसव) हेतु अधिकांश महिलाएं अस्पताल में जाने लगी हैं। • अभी भी आंशिक तौर पर देवी देवताओं की आस्था एवं विश्वास है। • बड़ी बीमारी में लोग दिल्ली नजदीक होने के कारण वहां पर भी जाते हैं।
5.	मकान	• कुछ परिवारों में कच्चे एवं अर्द्ध पक्के मकान थे। • कुछ मकान पक्के बनाये जाते थे।	• समय में आये बदलाव के अनुसार कुछ लोगों द्वारा आधे कच्चे पक्के मकान बनाना। कारण आय का सीमित होना है। • लोगों द्वारा पक्के मकान नये तरीके बनाने के बारे में महसूस किया एवं बनाने लगे।	• समय में और बदलाव आया एवं उसके अनुसार लोगों पक्के मकान बनाने लगे। • लोग पक्के मकान को सामाजिक प्रतिष्ठा के रुप में देखने लगे और नये तरीके से सुविधा युक्त एवं नक्शा से बनाने लगे।	• गांव में आज बहुत कम लोगों के घर कच्चे है। • सभी लोग पक्के मकान नये तरीके से बनाने लगे। • गांव में लोग पक्के मकान को सामाजिक प्रतिष्ठा के रुप में देखने लगे और नये तरीके से तथा सुविधा युक्त एवं नक्शा से मकान बनाने लगे हैं।
6.	शिक्षा	• गांव में अधिकतम लोग शिक्षित थे। • गांव में 30 वर्ष पूर्व भी व्यक्ति पढ़ने जाते थे।	• गांव में सरकारी एवं निजी स्कूल है बच्चों में पढ़ने का रुझान अच्छा था तथा अभिभावकों में पूर्व से ही जागरुकता थी।	• गांव में स्कूल था बच्चों का पढ़ने का भी रुझान भी अच्छा ही था कारण कि पूर्व से ही लोगों में जागरुकता थी।	• गांव में सभी बच्चे सरकारी एवं निजी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं।। • गांव में स्कूल था बच्चों का पढ़ने का भी रुझान भी अच्छा ही था कारण कि

क्र.सं.	मुद्दे	30 वर्ष पूर्व	20 वर्ष पूर्व	10 वर्ष पूर्व	वर्तमान स्थिति
		• महिला शिक्षा के लिए कुछ परिवारों को छोड़कर सभी की प्राथमिकता थी। पूर्व से ही लोगों में शिक्षा के प्रति जागरुकता थी।	• महिला शिक्षा को आवश्यक मानते हुए लड़कियों को स्कूल भेजते थे।	• अभिभावकों की शिक्षा के प्रति समझ एवं पारिवारिक प्रतिस्पर्धा के कारण सरकारी नौकरी में बहुत लोग हैं।	पूर्व से ही लोगों में जागरुकता थी एवं परिवार के स्तर से जोड़ना। • अभिभावकों की शिक्षा के प्रति समझ में सकारात्मकता के कारण सरकारी नौकरी में बहुत लोग हैं।

मौसमी चित्रण

क्रम संख्या	विषय/मुद्दे	जनवरी (पौष–माघ)	फरवरी (माघ–फाल्गुन)	मार्च (फाल्गुन–चैत्र)	अप्रेल (चैत्र–वैशाख)	मई (वैशाख–ज्येष्ठ)	जून (ज्येष्ठ–आषाढ़)	जुलाई (आषाढ़–श्रावण)	अगस्त (श्रावण–भाद्रपद)	सितम्बर (भाद्रपद–आसोज)	अक्टूबर (आसोज–कार्तिक)	नवम्बर (कार्तिक–मार्गशीर्ष)	दिसम्बर (मार्गशीर्ष–पौष)
1.	**बीमारियां**	निमोनिया, सर्दी–जुका, बुखार	सर्दी–जुकाम, खॉसी	सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस	–	लू, बुखार, उल्टी	लू, बुखार, दस्त	उल्टी–दस्त, हैजा, आंखो की बीमारी, बुखार	उल्टी–दस्त, हैजा, बुखार, आंखो की बीमारी	सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस	–	–	निमोनिया, सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस, माता, खॉसी
2.	**शादी/ विवाह**	–	15 के बाद आरम्भ	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं मुहुर्त हो तो	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं (देव उठनी एकादशी के बाद)	हॉं	15 बाद नहीं के
3.	**कृषि कार्य एवं भार**	फसल की रखवाली, पानी की पिलाई	15 फरवरी से फसल काटना	फसल काटना	15 अप्रेल तक फसल काटना	नहीं	15 जून के बाद जुताई कार्य करना	फसल लगाना	खेती में निराई –गुडाई का कार्य होना।	कृषि कार्य रखवाली	फसल काटना	निराई गुडाई, खेत में पानी देना	पानी की पिलाई, फसल की रखवाली
4.	**आर्थिक भार**	बीमारी, त्यौहार	शादी, खेती	शादी, खेती, फसल कटाई, मजदूरी	शादी, फसल कटाई, मजदूरी	बीमारी	बीमारी,	बीमारी, बीज,खाद ,खेती मजदूरी	बीमारी,	बीमारी	–	बीमारी, कृषि एवं विवाह	बीमारी, कृषि एवं विवाह
5.	**त्यौहार**	संक्रान्ति		होली, शीतलाष्टमी	गणगौर				रक्षा बन्धन, तेजा दशमी	नवरात्रा, बाबा रामदेव	दीपावली		

चपाती चित्रण (Chapati Diagram)

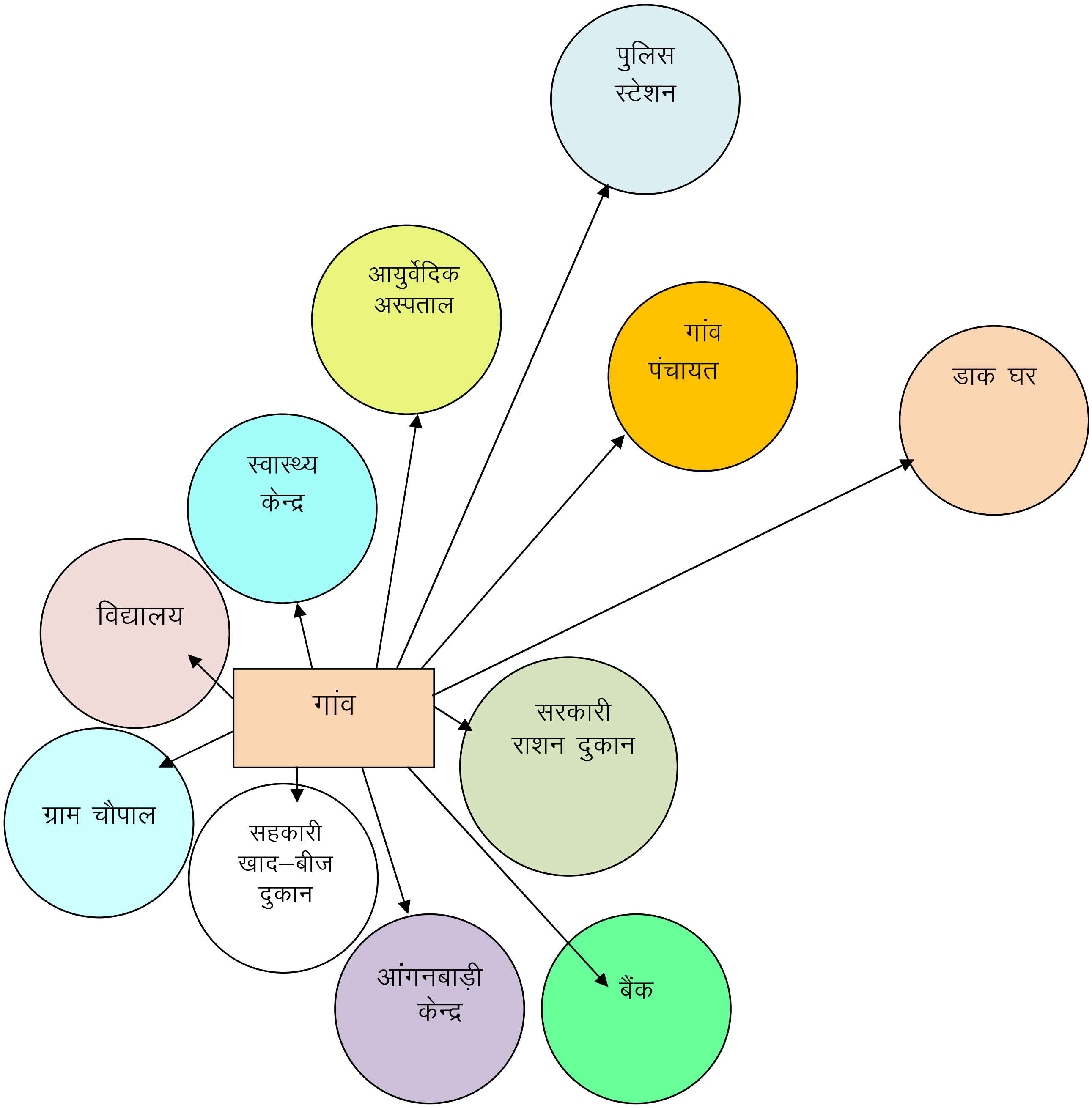

Matrix & Ranking

Issues	Community				
	Women	Men/Farmer	Youth	Older	Children
Employment	●●●	●●●●	●●●●●	●●	●●
Education	●●	●●	●●●●	●●	●●●●●
Welfare activity	●●●●●	●●	●●	●●●●●	●●●●
Health	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●
Sanitation/water	●●●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●●
Irrigation	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●

महत्त्वपूर्ण नहीं	कम महत्त्वपूर्ण	महत्त्वपूर्ण	अधिक महत्त्वपूर्ण
●●	●●●	●●●●	●●●●●

Section - 4 (1)

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प.4(28) उद्योग/1/2025 **अधिसूचना** जयपुर, दिनांकः 28.01.2026

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रिय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किये जाने हेतु अधिसूचना एतद्वारा जारी की जाती हैः-

1. परियोजना विकसित करने वाले का नामः- राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
2. प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्यः- औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में डीएफसी कॉरिडोर के साथ 40.00 मीटर चौडाई में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर विकसित करने हेतु
3. भूमि का विवरणः-

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	स्वामित्व
1	खैरथल-तिजारा	टपूकडा	सलारपुर	4.1712 हैक्टेयर	संलग्न सूची अनुसार

4. सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यः-

i. प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

ii. प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार-प्रसार के पश्चात् जनसुनवाई करना। जनसुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार-विमर्श को लेखबद्ध करना।

iii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आंकलन करना।

iv. प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रवन्धन योजना प्रस्तुत करना।

v. प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

vi प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आंकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों का ज्ञात करना।

vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सडक मार्ग, सार्वजनिक व निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाइयों, आंगनबाडी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आंकलन करना।

viii इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

ix. इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

x. ग्राम सभा, भू-स्वामियों की सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं?- नहीं

xi. सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।

xii. उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य अधिसूचना जारी होने के 180 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा।

xiii. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाधात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) तैयार कर हिन्दी भाषा में संबंधित ग्राम पंचायत, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी करानी होगी। संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट, विभागों एवं एजेन्सियों की वेबसाइट पर अपलोड की जानी होगी तथा दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशित किया जाना होगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु एजेन्सी का विवरणः-
सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (CDECS), - 0141-2294988/
133, देवी नगर, नन्नू मार्ग, सोडाला, जयपुर-302019 9950124028/9414077287

7. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको को उक्त भूमि अवाप्ति हेतु अधिनियम, 2013 की धारा 3(g) के अनुसार कलेक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए पदाभित किया जाता है।
अपेक्षक निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का विवरणः-
श्री अखिल अग्रवाल, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, इकाई प्रभारी, भिवाडी-द्वितीय, रीको 9414041306

संलग्नः- गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर की स्थापना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का खसरावार विवरण का विस्तृत ब्यौरा अनुसूची (क्यूआर कोड) में दिया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(महिपाल कुमार) शासन उप सचिव

जिलाः जयपुर।
http://reams.rajasthan.gov.in/PrintingStationary/Index
प्रकाशन तिथिः 04 फरवरी, 2026 विशेषाधिकार अंक
अधिसूचना क्रमांक प.4 (28) उद्योग/1/2025
https://riico.rajasthan.gov.in/writereaddata/Notification/02062026130528PMsocialimpactassesment.pdf

DIPR/C/4206/2026

Office order

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.4(28)उद्योग/1/2025 **जयपुर, दिनांकः** ई–हस्ताक्षरानुसार

डॉ. उपेन्द्र के. सिंह,
मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव,
सेन्टर फॉर डवपलमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज,
133, देवीनगर, नन्नू मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर

विषयः– औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में डीएफसी कॉरिडोर के साथ 40.00 मीटर चौडाई में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर हेतु राजस्व ग्राम सलारपुर की 4.1712 हैक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में डीएफसी कॉरिडोर के साथ 40.00 मीटर चौडाई में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कॉरिडोर हेतु राजस्व ग्राम सलारपुर की 4.1712 हैक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 41 परिवार प्रभावित होंगें। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार उपरोक्त ग्राम के प्रभावित होने वाले क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आपके पत्र दिनांक 13.01.2026 से सहमति प्रदान की गई है।

अतः ग्राम सलारपुर, तहसील टपूकडा, जिला खैरथल–तिजारा में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल 4.1712 हैक्टेयर भूमि, जिसका विवरण संलग्न है, का उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानानुसार आपको सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त अध्ययन संलग्न टर्म ऑफ रेफरेन्स अनुसार अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रारम्भ कर 180 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना होगा।

उक्त अध्ययन के आधार पर आप सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) प्रस्तुत करेंगें।

आपके पत्र दिनांक 13.01.2026 के अनुसार फीस राशि कुल रुपये 1,72,900/– (अक्षरे एक लाख बहत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र) (plus applicable GST) का भुगतान अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट एवं अंतिम सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् देय होगा। प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में कोई अतिरिक्त फीस देय नहीं होगी। देय फीस के बिल शासन उप सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे।

संलग्नः–

1. टर्म्स ऑफ रेफरेन्स
2. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

(महिपाल कुमार)
शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by M pal Kumar
Designation Dep Secretary To Government
Date: 2026.01. 3:19:57 IST

RajKaj Ref No.: 20056906

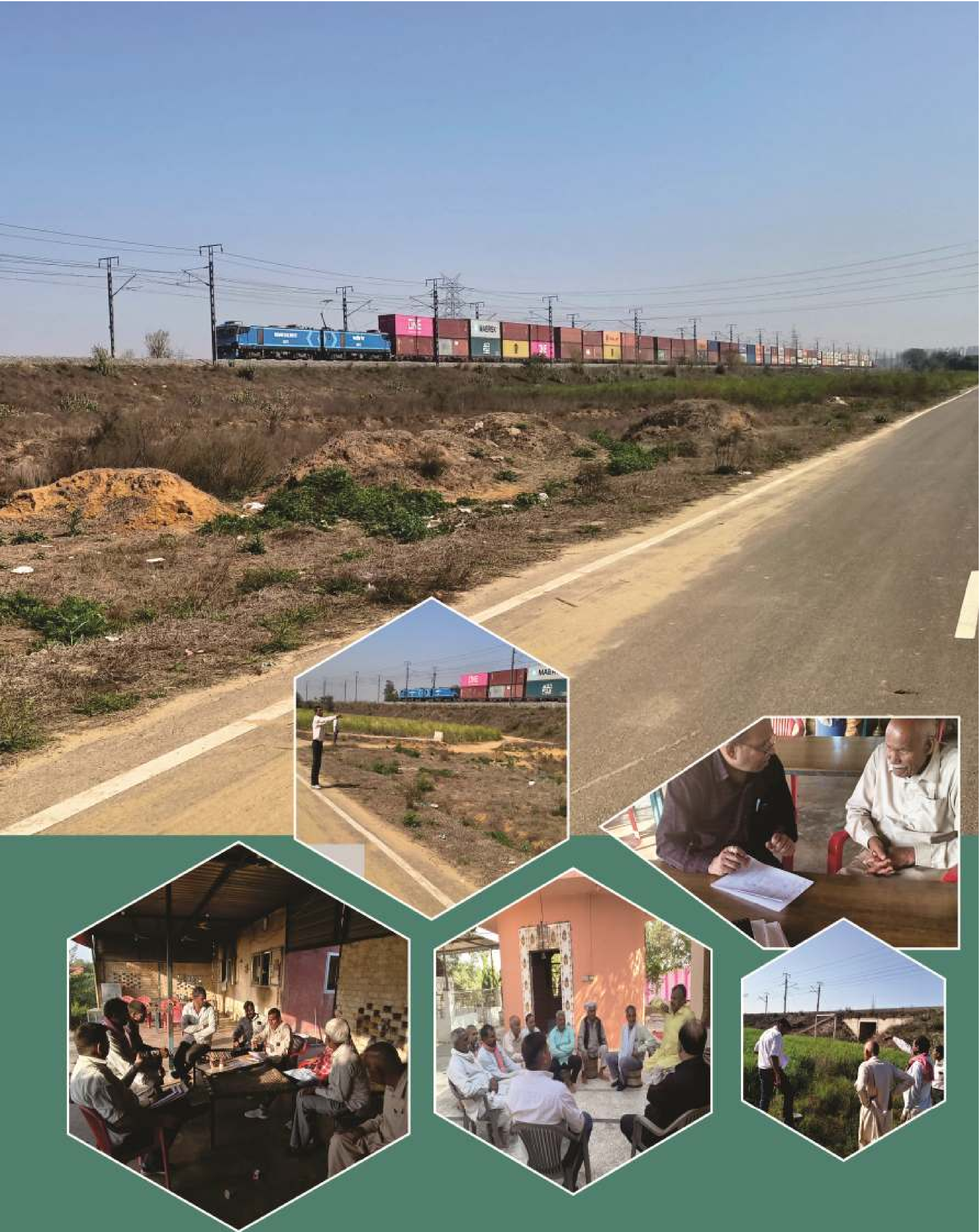

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज (सीडेक्स),जयपुर

133, नन्नू मार्ग, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला,जयपुर

सम्पर्क सूत्र: 0141–2294988, 4004967,9950124028

Email ID: cdecsjpr@yahoo.in, cdecsjpr@gmail.com